

HRA AN USIUS Che Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 598] No. 598] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 28, 2010/कार्तिक 6, 1932 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 28, 2010/KARTIKA 6, 1932

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन-स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2010

सा.का.नि. 862(अ).—महापत्तन-न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके, केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के साथ लगाई जा रही अनुसूची में यथा निर्धारित कोचीन-पत्तन-न्यास के न्यासी-बोर्ड द्वारा तैयार किया गया कोचीन-पत्तन-न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नित) विनियम, 2010 को एतद्द्वारा अनुमोदित करती है।

उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

[फा. सं. पी आर-12012/7/2006-पी ई-I]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

अनुसूची कोचिन पोर्ट ट्स्ट

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नित) विनियम, 2010

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट का न्यासी मण्डल, उक्त अधिनियम की धारा 124 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन पर कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, विरिष्ठता और प्रोन्नित) विनियम 2010 का परिशोधित विनियम बनाती है।

- 1. (i) इन विनियमों का नाम कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 2010 है ।
 - (ii) ये केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 और 132 के उपबन्धों के अन्तर्गत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नित) विनियम, 2010 निम्निलिखित प्रविष्टियाँ भी शामिल की जाएं।

अनुसूची

श्रेणी I काडर के 70 वर्गों के भर्ती नियम

पाद टिप्पणी : श्रेणी II, श्रेणी III, श्रेणी IV कर्मचारियों के संबंध में भर्ती के लिए वर्तमान भर्ती नियम उनके काडर रीस्ट्रक्वरिंग पूरा करके भारतीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख तक प्रवृत्त होंगे ।

4189 GI/2010

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (i) इन विनियमों का नाम कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2010 है ।
- (ii) ये केट्रीय सरकार के अनुमोदन से महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 और 132 के उपबन्धों के अन्तर्गत भारत के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना :- ये बोर्ड के अधीन अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत सृजित सभी पदों के लिए लागू होंगे जिसमें अधिनियम की धारा 24 के उपधारा (1) के खंड (क) भी शामिल है।
- 3. परिभाषाएं :- इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
 - (क) "अधिनियम" का अर्थ है महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) ।
 - (ख) ''सदृश पद'' का अर्थ है एक पद जिसके लिए ड्यूटी तथा उत्तरदायित्व का स्तर और वेतन श्रेणियाँ चयन किए जानेवाले पद से तुलनात्मक हो ।
 - (ग) किसी ग्रेड या पद से संबद्ध, "नियुक्ति प्राधिकारी" का अर्थ किसी ग्रेड या पद में नियुक्ति करने के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1964 के अन्तर्गत अधिकार दिया गया प्राधिकारी हो ।
 - (घ) ''बोर्ड'', ''अध्यक्ष'', ''उपाध्यक्ष'' और ''विभागाध्यक्ष'' के क्रमशः वही अर्थ है जो अधिनियम में निर्दिष्ट हैं ।
 - (ङ) श्रेणी [पद, श्रेणी [[पद, श्रेणी [[] पद और श्रेणी [[V पदों के लिए वही अर्थ है जो कोचिन पोर्ट कर्मचारी (वर्गींकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1964 के विनियम 6 में निर्दिष्ट हैं।
 - (च) " विभागीय पदोन्नित सिमिति" का अर्थ है किसी ग्रेड या पद पर पदोन्नित या पुष्टीकरण की सिफारिश करने के प्रयोजन के लिए विनियम 26 के अधीन, समय समय पर, गठित कोई सिमिति ।
 - (छ) ''सीधी भर्ती'' का अर्थ है सेवा चयन समिति द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा या परीक्षा और / या साक्षात्कार आधार पर भर्ती किया गया व्यक्ति ;
 - (ज) ''कर्मचारी'' का अर्थ बोर्ड के कर्मचारी से है ;
 - (झ) ''श्रेणी'' का अर्थ है अधिनियम की धारा 23 के अधीन बोर्ड द्वारा तैयार की गई और मंजूर की गई पदों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई श्रेणी ;

- (ञ) ''धारणाधिकार'' का अर्थ है कर्मचारी का वह अधिकार जो वह तत्काल या अनुपस्थिति की अविधयों की समाप्ति के बाद स्थायी पद को मौलिक रूप से प्राप्त करता है जिन्हें नियमित रूप से नियुक्त किया हो और पिरविक्षाधीन न हो ।
 - बशर्ते कि नियमित पद धारण करनेवाले कर्मचारियों में से अगर उसी ग्रेड के पद धारण करनेवाले कर्मचारियों की संख्या अधिक हैं तो ग्रड में किनष्ठ कर्मचारी को निम्न ग्रेड में परिवर्तित किया जाए ।
- (ट) ''स्थायी कर्मचारी '' का अर्थ है एक कर्मचारी जो उस श्रेणी या पद में मूल रूप से नियुक्त किया गया हो ।
- (ठ) " अनुसूची " का अर्थ है इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची ।
- (ड) ''अनुसूचित जातियों ''और ''अनुसूचित जनजातियों '' का वही अर्थ है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) में दिया है ।
- (ढ़) किसी श्रेणी के संबंध में , ''चयन सूची '' का अर्थ है विनियम 13 के अनुसार तैयार की गई चयन सूची ।
- (ण) ''चयन पद '' का अर्थ है इन विनियमों के विनियम 5 के अधीन घोषित पद ।
- (त) " सेवा चयन सिमिति " का अर्थ है सीधी भर्ती के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा , ट्रेंड परीक्षा एवं/ या साक्षात्कार, अध्यर्थियों का चयन करने के लिए विनियम 12 के अधीन गठित सिमिति
- (थ) "अस्थायी कर्मचारी" का अर्थ है वह कर्मचारी जो अस्थायी पद धारण करनेवाला हो या स्थायी पद में स्थानापन्न हो या बोर्ड की सेवा में उनकी नियुक्ति में परिवीक्षा पर हो ।

4. नियुक्ति की रीति

ये विनियम लागू होनेवाले पदों में सभी नियुक्तियाँ इन विनियमों के उपबन्धों के आधार पर बनायी जाएगी । नियुक्ति पदोन्नित द्वारा विलयन द्वारा या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती द्वारा बनायी जाए । प्रतिनियुक्ति , महा पत्तन , केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त निकाय, सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों से, पद के लिए निर्धारित योग्यता के मानदण्ड अनुकूल होने पर होगी । प्रतिनियुक्ति की साधारण अवधि 3 वर्ष है जो 4 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है ।

बशर्ते कि विभागाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों के एक स्तर नीचे आनेवाले पदों के संबन्ध में सभी रिक्तियाँ, "भर्ती की संयुक्त रीति" अर्थात् प्रोन्निति/स्थानान्तरण/विलयन पर प्रतिनियुक्ति आधार पर जो न होने पर प्रतिनियुक्ति और दोनों न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, भरी जाएगी । विलयन पर प्रोन्निति/स्थानान्तरण महा पत्तन न्यास के अधिकारियों से होंगे जिसकेलिए विनियम से संलग्न अनुसूची में निर्धारित योग्यता मानदण्ड पूरा करना है ।

5. अनुसूची

श्रेणी I पदों के संबंध में विभिन्न पदों में नियुक्ति की रीति अर्थात् क्या सीधी भर्ती या विभागीय प्रोन्नित या विलयन या प्रितिनियुक्ति द्वारा, योग्यता, आयु,शिक्षा, प्रशिक्षण, परिचय की अनिवार्यता, चयन या गैर-चयन पदों के रूप में पदों का वर्गीकरण और विभिन्न पदों में नियुक्ति संबंधी अन्य विषय इन विनियमों से संलग्न अनुसूची में दर्शाया जाएगा । श्रेणी II या श्रेणी III या श्रेणी IV पदों के संबंध में नियुक्ति की रीति बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा । महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 23 के उपबंधों के अधीन तैयार किए गए कर्मचारियों की अनुसूची में विभिन्न ग्रेडों के स्थायी और अस्थायी संख्या भी सूची में दर्शायी जाएगी । महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 23 के उपबन्धों के अन्तर्गत यह संख्या समय समय पर परिवर्तित हो जाएगी । सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं पदोन्नित के मामले में लागू होगी जो अनुसूची के कॉलम 9 में सूचित है और प्रोन्नित के लिए परिचय संबंधी अनिवार्यता अनुसूची के कॉलम 12 में निर्धारित आधार पर होगी ।

बशर्ते कि विभागाध्यक्षों के विषय में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित उच्चतम आयु सीमा के लिए छूट दी जाए और अध्यक्ष द्वारा सभी अन्य विषयों में नीचे के अनुसार सीधी भर्ती/विलयन/प्रतिनियुक्ति के लिए लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने के कारणों के लिए भी छूट दी जाए ।

- (i) 10 वर्षो का न्यूनतम परिचय निर्धारित किए गए विषय में 5 वर्षो तक या उससे अधिक और 5 से 9 वर्षो तक न्यूनतम परिचय निर्धारित विषयों में 3 वर्षों तक ।
- (ii) एक उम्मीदवार जो पूर्वी सैनिक होने पर अर्थात् भारतीय सुरक्षा सेवा के पूर्वी कर्मचारी, और जो 6 महीनों के लगातार सेवा में सुरक्षा सेवा में था, सुरक्षा सेवा में अपनी सेवा की परिधि तक और उसके साथ तीन वर्षों की सेवा जहाँ ऐसे पूर्वी सैनिकों और काम में रहते समय मृत कर्मचारियों की आश्रितों के लिए भरे जाने की रिक्ति में जो उनकेलिए आरक्षित है और सुरक्षा सेवामें अपनी सेवा की परिधि तक जहाँ भरे जाने की रिक्ति गैर आरक्षित रिक्ति हो; और
- (iii) इस विषय में समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ज़ारी करनेवाले ऐसे आदेशों के आधार पर अनुसूचित जाित/जनजाित या अन्य पिछडे वर्ग के उम्मीदवार के संबंध में । आगे बशर्ते कि अगर चयन की किसी भी स्तर में केन्द्रीय सरकार की राय यह है कि उन लोगों के लिए आरिक्षित पदों की भतीं के लिए अपेक्षित परिचय होनेवाले उम्मीदवार इन जाितयों से पर्याप्त संख्या में मिलने की संभाव्यता नहीं है तो अनुसूचित जाित/जनजाित उम्मीदवारों के संबंध में केन्द्रीय सरकार की इच्छा के अनुसार परिचय संबंधी अनिवार्यता के लिए छूट देने योग्य है ।

6. रिक्तियों की नामावली

विशेष रिक्ति, सीधी भर्ती या प्रोइति द्वारा भरना है या नहीं यह दिखाने के लिए हर एक ग्रेड के लिए एक रोस्टर बना रखेगा । यद्यपि सीधी भर्ती के लिए आरक्षित रिक्ति सीधी भर्ती द्वारा भरा नहीं सका तो यह प्रोन्नति द्वारा भरा जाए और अगली रिक्ति सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा । प्रोन्नति के लिए आरक्षित एक रिक्ति के बारे में प्रोन्नति द्वारा भरा नहीं सका तो ऐसा प्रयोग अनुवर्त किया जा सकता है ।

आरक्षण

- इसके अन्तर्गत आरक्षण के लिए समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ज़ारी आदेश अनुस्चित (1) जाति और जनजाति के संबंध में सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा भरा जाना है या नहीं यह इन विनियमों के अन्तर्गत आनेवाले सभी नियुक्तियों के लिए यथोचित परिवर्तन करके लागू होगा ।
- इसके अन्तर्गत पदों के आरक्षण के लिए समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ज़ारी आदेश, अन्य (2) पिछडे वर्गो, पूर्वी सैनिक और काम करते समय मृत कर्मचारियों की आश्रितों, खेलकूद लोग और विकलांग व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के अन्तर्गत आनेवाली नियुक्तियों और जिसकेलिए सीधी भर्ती बनायी है उसकेलिए यथोचित परिवर्तन करके लागू होगा ।

सोधी मर्ती के लिए राष्ट्रीयता, चरित्र , शारीरिक योग्यता आदि ; 8.

- (1) किसी पद या ग्रेड में सीधी भर्ती केलिए योग्य होने के लिए एक उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए कि (क) एक भारतीय नागरिक; या
- (ख)एक नेपाली; या

(ग) भुटान से एक नागरिक ; या

- भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से 1 जनवरी 1962 के पहले भारत में आये एक (घ)
- भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्थान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, उगाण्डा जैसे पूर्वी आफ्रिकन राष्ट्र , युनाइटड रिपब्लिक ऑफ टानज़ानिया, सांबिया, (광) मालवी, सयर और एत्योपिया और वियटनाम से प्रवास किए गए भारतीय उत्पत्तिवाला व्यक्ति :

बशर्ते कि श्रेणी (क) में आनेवाले उम्मीदवार अपनी राष्ट्रीयता का प्रमाण समय स्मय पर अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना । आगे बशर्ते कि श्रेणी ख, ग, घ और ङ में आनेवाले उम्मीदवार वही होना चाहिए जिसकेलिए भारत सरकार द्वारा एक योग्यता प्रमाणपत्र ज़ारी किया हो ;

फिर भी बशर्ते कि एक उम्मीदवार जिसके विषय में राष्ट्रीयता या योग्यता प्रमाणपत्र का प्रमाण अनिवार्य है, मामले के आधार पर केन्द्रीय सरकार से उसके लिए अनिवार्य प्रमाणपत्र की उपलब्धि विलंबित रखकर उन्हें अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाए । ऐसे मामले में अस्थायी नियुक्ति की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(2) जब एक विशेष तरह के काम के लिए नियुक्ति की जाती है और इन विनियमों की अनिवार्यताएं सफल करनेवाले अनुयोज्य उम्मीदवार को मिलना व्यवहार्य नहीं हो , केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमित से अध्यक्ष द्वारा उप विनियम (1) के किसी भी अनिवार्यताओं का संशोधन या त्याग किया जाए ।

(3) किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं करना :

- (क) जीवित पति या पत्नी होनेवाले व्यक्ति के साथ विवाहित होना ; या
- (ख) जीवित पति या पत्नी होनेवाले व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ विवाहित होने पर ।

इन विनियमों के आधार पर किसी भी ग्रेड या पद में नियुक्ति के लिए हकदार होगा ;

बशर्ते कि विभगाध्यक्षों के मामले में केन्द्रीय सरकार और सभी अन्य मामले में , अध्यक्ष संतुष्ट है कि व्यक्तिगत नियम के अन्तर्गत ऐसे विवाह के लिए ऐसे व्यक्ति को और विवाह के लिए दूसरे पार्टी को अनुमोदन और इस उप विनियम के उपयोग से किसी भी व्यक्ति को छूट देने के लिए अन्य कारण भी हो ।

- (4) एक उम्मीदवार नियमित अधिकारी को यह समाधान देना है कि अपने व्यवहार और पूर्ववृत्त के अनुसार किसी भी ग्रेड या पद में नियुक्ति के लिए उन्हें औचित्य है । नैतिक चरित्रहीनता जैसे एक अपराध के लिए एक उम्मीदवार को एक कानूनी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया है या एक परिक्षीएण के रूप में दण्डित किया गया है तो किसी ग्रेड या पद में नियुक्ति के लिए वह हकदार नहीं होगा ।
- (5) उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और वह उन शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे बोर्ड के अधिकारी के रूप में उसका ड्यूटियों के निर्वाह्न में बाधा होने की संभावना हो । यदि विभागाध्यक्षों के बारे में केन्द्रीय सरकार और अन्य मामले में अध्यक्ष द्वारा विहित शारीरिक परीक्षा के पश्चात् यह पाया जाता है कि उम्मीदवार उक्त अपक्षेओं की पूर्ति नहीं करता है तो उसे नियुक्त नहीं किया जाएगा ।
- (6) अगर कोई प्रश्न उठता है कि एक उम्मीदवार इन विनियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति न करता है तो विभागाध्यक्षों के बारे में केन्द्रीय सरकार और अन्य मामले में अध्यक्ष द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा ।

9. सीधी भर्ती के लिए वर्तमान कर्मचारियों की पात्रता

सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए अपेक्षित पदों का विज्ञापन करते समय सेवा में होनेवाले वर्तमान कर्मचारियाँ भी आवेदन दिए जाए बशर्ते कि उन्हें निर्धारित योग्यताएं और परिचय हो । ऐसे मामले में आयु सीमा लागू नहीं होगी ।

10. रिक्तियों का विज्ञापन

- (1) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने का श्रेणी | और श्रेणी || रिक्तियाँ स्थानीय रोज़गार कार्यालय में अधिसूचित किया जाएगा । पर्याप्त संख्या में योग्य और उचित उम्मीद्वार प्राप्य नहीं होने पर राज्य के अन्दर प्रकाशित अखबारों में रिक्तियाँ विज्ञापित की जाएगी । सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए प्रत्याशित श्रेणी । एवं श्रेणी || एवं श्रेणी || पद राष्ट्रीय एवं स्थानीय अखबारों और / या रोज़गार वार्ता में विज्ञापित किए जाएंगे ।
- (2) योग्यता, परिचय और आयु के लिए निर्णायक तारीख पर निर्णय करते समय अन्यथा निर्धारित न करने पर पद अधिसूचित / विज्ञापित महीने का पहला दिन समझा जाएगा ।

कुछ मामले में लिखित या कुशल टेस्ट का आयोजन 11.

क्या एक लिखित या कुशल टेस्ट या दोनों की आवश्यकता है और अधिकारी का नाम जिसके द्वारा उक्त टेस्ट आयोजित करना है और टेस्ट की रीति और अन्य विवरण आदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिखित या कुशल टेस्ट के आयोजन के लिए एक परामर्शक या निर्णय लेने के अनुसार होगा । परामर्शकों का फेर्म को बुलाने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी पर निक्षिप्त है ।

सेवा चयन समिति :-12.

सीधी भर्ती के ज़रिए विभिन्न नियुक्तियों के लिए उम्बीदवारों की चयन के लिए योग्य (1) उम्मीद्रवारों की साक्षात्कार के लिए जो उप विनियम (2) में उल्लिखित किए गए अनुसार, प्रत्येक ग्रेड या पद के लिए एक सेवा चयन समिति होना चाहिए ।

उप धारा (1) में सन्दर्भितानुसार पदों की श्रेणी एवं सेवा चयन समितियों का संयोजन (2)

निम्नानुसार होगी, अर्थात् :

विभागाध्यक्षों के लिए (क)

पोत मंत्रालय के संयुक्त सचिव

उपाध्यक्ष

(ii)

अध्यक्ष

(ख)

सदस्य पोर्ट के अध्यक्ष पोत मंत्रालय द्वारा नामांकित किए जानेवाले कोई अन्य पत्तनों के अध्यक्ष या क्षेत्र में सदस्य बृहत् अनुभववाले अधिकारी पोत मंत्रालय द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति/ -सदस्य अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडे वर्ग के प्रतिनिधि श्रेणी I पद के लिए अध्यक्ष (i) अध्यक्ष

विभागों के प्रभारी अध्यक्ष जहाँ सदस्य (iii) रिक्ति होती है

सदस्य

कार्मिक के प्रभारी विभागाध्यक्ष सदस्य (iv)

अध्यक्ष द्वारा नामांकित अनुसूचित / सदस्य (v) अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडे वर्ग के प्रतिनिधि

(3)

(ग) श्रेणी II पद के लिए

- (i) उपाध्यक्ष अध्यक्ष
- (ii) विभाग के अध्यक्ष जहाँ रिक्ति सदस्य होती है
- (iii) कार्मिक के प्रभारी विभागाध्यक्ष सदस्य
- (iv) अध्यक्ष द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति/ सदस्य अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडे वर्ग के प्रतिनिधि

(घ) श्रेणी III एवं श्रेणी IV पदों के लिए(साधारण वर्ग)

- (i) उपाध्यक्ष, उनकी अनुपस्थिति पर, बोर्ड -अध्यक्ष
- के अध्यक्ष द्वारा नामांकित विभागाध्यक्ष
- (ii) कार्मिक के प्रभारी विभागाध्यक्ष सदस्य
- (iii) अध्यक्ष द्वारा नामांकित किए जानेवाला सदस्य 16000-400-20800 रू. के नीचे ग्रेड से न होनेवाला एक वरिष्ठ अधिकारी
- (iv) अध्यक्ष द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति/ सदस्य अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडे वर्ग के प्रतिनिधि

(ङ) श्रेणी III एवं श्रेणी IV पदों के लिए(असाधारण वर्ग)

- (i) विभागाध्यक्ष जहाँ रिक्ति होती है अध्यक्ष
- (ii) कार्मिक के प्रभारी विभागाध्यक्ष सदस्य
- (iii) अध्यक्ष द्वारा नामांकित किए जानेवाला सदस्य 16000-400-20800 रू. के नीचे ग्रेड से न होनेवाला संबंधित विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी
- (iv) अध्यक्ष द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति/ सदस्य अनुसूचित जनजाति वा अन्य पिछडे वर्ग के प्रतिनिधि

नियुक्ति प्राधिकारी बोर्ड की सेवा में न होनेवाले अन्य व्यक्ति को भी सेवा चयन समिति में नामांकन कर सकता है अगर वह संबंधित क्षेत्र में

विशेषज्ञ होनेवाला एक संगत व्यक्ति हो , जहाँ सेवा चयन समिति का कोई सदस्य उपलब्ध नहीं है तो नियुक्ति प्रधिकारी द्वारा उनके स्थान पर बैठक में उपस्थित होने के लिए उचित स्तर के दूसरे अधिकारी को नियुक्त किया जाए ।

जहाँ भर्ती, साधारण एक विभाग से अधिक ग्रेडों की रिक्तियाँ एक साधारण चयन में की जाती है तो प्रत्येक मामले में अध्यक्ष द्वारा समिति के चयन पर निर्णय लिया जाता है।

13. चयन सूची

सेवा चयन समिति अपने न्यायनिर्णय किए अनुसार योग्यतानुसार, सीधी भर्ती के पदों की नियुक्ति पर मान लिए गए , चयन किए गए उम्मीदवारों का नाम चयन सूची में रखने के लिए सिफारिश करें । इस प्रकार की सूची को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मंजूर की गई सूची तारीख से 12 महीनों की अविध के लिए मान ली जाएगी । सूची की मान्यता छः महीने से न अधिक होनेवाले अविध का या नए चयन सूची के अनुमोदन करने तक की अविध, जो भी पहले हो, उसे स्वीकार करने का प्राधिकार नियुक्ति प्राधिकारी पर निर्भर है ।

14. सेवा चयन समिति तथा तदर्थ नियुक्तियों के सिफारिशों को मान लेना

संबंधित सेवा चयन समिति के सिफारिश पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सभी नियुक्तियों का सीधी भर्ती किया जाता है ।

बशर्ते कि सेवा चयन समिति के सिफारिशों को स्वीकार न करने का कारणसहित लिखित रूप में मानने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी पर निर्भर हो ।

आगे कि नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष के अधीनस्थ अधिकारी तथा किसी भी मामले में प्राधिकारी ऐसे सिफारिशों से सहमत होते हैं तो ऐसे असहमित का रिकार्ड करें एवं इसे अध्यक्ष से प्रस्तुत करें जो इस पर निर्णय लेता है ।

परन्तु पूर्णतया अस्थाई पद के संबंध में, एक छुट्टी रिक्ति या सीधी तुरन्त भर्ती चाहनेवाले रिक्त पद के संबंध में अध्यक्ष एक समय में छ: महीनों की अवधि के लिए या तदर्थ आधार पर एक साल से अधिक न होनेवाले रिक्त पद की भर्ती के लिए योग्य व्यक्ति की नियुक्ति इस शर्ते पर करें कि:

- (1) तदर्थ नियुक्ति के लिए, अपरिहार्य अवसर पर, भर्ती नियम में उपबन्ध की गई योग्यता रखनेवाले कर्मचारियों में ही करना चाहिए ।
- (2) अस्थाई पद के नियुक्ति की कुल अवधि सावधिक पद से अधिक न हो ।
- (3) अन्य मामलों में अस्थाई नियुक्ति को चयन सूची से नियमित नियुक्ति के जिरए शीघ्र ही प्रतिस्थापित करना चाहिए ।

अनुयाचन प्रोत्साहन एक अयोग्यता

किसी पद की नियुक्ति या उच्च पद की प्रोन्नति के लिए सीधे या परोक्ष तरीके पर कोई व्यक्ति द्वारा की गई अनुयाचन प्रोत्साहन को उनकी नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए अयोग्य मान ली जाएगी ।

16. तथ्यों का दमन एक अयोग्यता

कोई उम्मीदवार जिन्होंने जानबूझकर गलती सूचनाएं दी हो या तथ्यपूर्ण सूचनाओं का दमन किया गया देख पाया तो उसे ग्रेड या पद में नियुक्ति पाने से रोक दिया जाएंगे, अयोग्य मान लिया जाएगा तथा अगर नियुक्त किए गए हो, तो सेवा से पदच्युत किया जाएगा ।

17. नियुक्ति आदेश का निरसन

सीधी भर्ती के लिए कोई उम्मीदवार किसी पद के नियुक्ति प्रस्ताव में बतायी गयी तारीख में शामिल होने में असमर्थ हो या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सहमत की गई नियुक्ति प्रस्ताव के ज़ारी करने के तारीख से 30 दिनों के भीतर जहाँ ऐसे तारीख का उल्लेख नहीं किया गया हो या बढ़ाई अवधि के भीतर शामिल होने में असमर्थ हो तो नियुक्ति प्रस्ताव का विलोपन किया गया मान लिया जाएगा ।

18. साक्षात्कार में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान

सीधी भर्ती के जिए भरे गए पदों के संबंध में सभी उम्मीदवारों को करने योग्य यात्राएं जैसे लिखित एवं व्यावहारिक परीक्षा या साक्षत्कार (बोर्ड के सेवा में हुए व्यक्तियों को जोडकर) सभी यात्राओं को अपने ही लागत पर करनी चाहिए । तथापि, लिखित परीक्षा या ट्रेड टेस्ट व साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को प्रथम श्रेणी के रेल भाड़ा के समतुल्य यात्रा भत्ता मंजूर की जाएगी । यह तो उनके द्वारा की गई वास्तविक, व्यावहारिक मार्ग की छोटी यात्रा के लिए सबूत प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी ।

19. परिवीक्षा काल

(1) 16000-400-20800 रू. एवं उससे ऊपर के वेतनमान धारण करनेवाले विभागाध्यक्षों तथा उप विभागाध्यक्षों के पदों में विलयन आधार पर संयुक्त रूप से नियुक्ति की गई कर्मचारियों को छोडकर उप विनियम (2) एवं (3) के उपबन्ध के अनुसार सीधी भर्ती या पदोन्नति व विलयन पर नियुक्त किए गए हर एक कर्मचारी दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे।

बशर्ते कि नियुक्ति आदेश में स्पष्ट की गई अवधि के लिएहो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति अवधि की बढ़ाई न की गई हो, तो इस प्रकार की नियुक्ति की कालाविध समाप्त होने की अवधि पर ही समाप्त होगी।

बशर्ते कि, नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की गई हो तथा पद वेतनमान धारण करके, 11,975 /- रूपये से अधिक न हो, तो परिवीक्षाकाल एक साल होगी ।

बशर्ते कि, श्रेणी -III एवं श्रेणी IV ग्रेडों में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति करने के मामलों में कोई परिवोक्षा नहीं होगी । बशर्ते कि आगे, अगर ग्रेड या पद के परिवीक्षा पर हुए एक कर्मचारी को उच्च ग्रेड या पद पर स्थानापत्र के लिए नियुक्त किया है, तो वह अपनी नियुक्ति अविध को उच्च ग्रेड या पद की अविध की गिनती के लिए योग्य होगा । वह अपने निम्न ग्रेड या पद पर अपनी परिवीक्षाकाल पूर्ण कर सकता है । उसी प्रकार, अगर एक कर्मचारी जिसे ग्रेड या पद पर स्थानापत्र करने के लिए पहले नियुक्त किया गया है, वह अपने परीक्षा पर उसी ग्रेड या पद पर नियुक्त करने पर स्थानापत्र अविध (तदर्थ सेवा छोडकर) को गिनने योग्य होगा कि ग्रेड या पद में परिवीक्षा पूर्ण करेगा ।

- (2) नियोक्ता अधिकारी यदि उचित समझे तो, एक समय पर किसी भी स्पष्ट अवधि के लिए परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगा, परन्तु यदि कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय या विधिक कार्रवाई लंबित होने के कारण अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक समझा जाए तो ऐसे मामले को छोडकर इस प्रकार की कुल बढ़ाई गयी अवधि एक साल से अधिक नहीं होगी।
- (3) परिवीक्षा की अवधि के दौरान कर्मचारी से अपेक्षा की जाएगी कि वह यथास्थिति विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करें और ऐसी विभागीय परेक्षा पास करें ।

20. परिवीक्षा पर कर्मचारियों का स्थायीकरण

(1) सामान्य

(i) स्थायीकरण कर्मचारी की सेवा में केवल एक बार किया जाएगा और वह सेवा में

प्रवेश के ग्रेड में ।

(ii) ग्रेड में स्थाई रिक्ति की सुलभता से स्थायीकरण जोडी जाती है । दूसरे शब्दों में एक अधिकारी जिन्होंने अपनी परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण किया है उसे स्थायीकरण के लिए मान लिया जाएगा ।

(2) प्रारंभिक नियुक्ति के ग्रड में स्थायीकरण

- (i) वर्तमान में जैसे, नियुक्ति को परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करना चाहिए ।
- (ii) मामला विभागीय पदोन्नति समिति के (स्थायीकरण के लिए) आगे प्रस्तुत की जाएगी ।
- (iii) जब मामले का सभी दृष्टियों से निर्बाध होने के बाद स्थायीकरण का स्पष्ट
 आदेश ज़ारी किया जाएगा ।

(3) पदोन्नति पर

(i) अगर भर्ती नियम कोई परिवीक्षा निर्धारित नहीं करते हैं, तो एक अधिकारी जिसे नियमित आधार पर (निर्धारित डी पी सी, प्रक्रिया, आदि का पालन करने के बाद) उसे स्थायीकरण की गई ग्रेड का सभी लाभ मिलेगा ।

(ii) जहाँ परिवीक्षा निर्धारित की हो, निर्धारित परिवीक्षा की अविध पूर्ण करने पर नियुक्ति अधिकारी, अधिकारी के काम और व्यवहार की जाँच करेंगे तथा मामले की परिसमाप्ति यही होगी कि अधिकारी उच्च ग्रेड धारण करने के लिए योग्य हैं वे यह घोषित करके आदेश पारित करेंगे कि संबंधित व्यक्ति ने सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण की है। मामले के अनुसार, यि , अधिकारी का काम संतोषपूर्ण नहीं है या और कुछ समय के लिए भी जाँच करना है, तो प्राधिकारी उसे पदोन्नित दी गई पद या ग्रेड में प्रत्यावर्तित करेंगे, या परिवीक्षा काल बढ़ा देंगे।

जबिक एक कार्मिक के संतोषपूर्ण परिवीक्षा काल पूर्ति की घोषित करने के पहले पदोन्नित पर कोई स्थायीकरण नहीं है । उनके निष्पादन की कडी जाँच करनी चाहिए तथा परिवीक्षा के अवसर पर अधिकारी का काम संतोषपूर्ण नहीं है तो उस पदोन्नत व्यक्ति के पद या ग्रेड प्रत्यावर्तित करने में कोई हिचक नहीं होना चाहिए ।

परिवीक्षार्थि का स्थायीकरण : एक व्यक्ति जिसे स्थाई पद के खिलाफ परिवीक्षा के निश्चित शर्तों के साथ सीधी भर्ती के रूप मे नियुक्त किया हो, उसने परिवीक्षा अविध का संतोषपूर्ण पूर्ति की तारीख से ग्रेड स्थाई करनी होगी । प्रारंभिक परिवीक्षा कालाविध समाप्त करने के शीघ्र ही उसके स्थयी की या बढ़ाई परिवीक्षा के संबंध निर्णय लेना है, अर्थात् साधारणतया 6 से 8 हफ्ते के भीतर करना है तथा कर्मचारी को बढ़ाई करने के संबंध में सूचित करना है । यद्यपि सीधी भर्ती के परिवीक्षा कालाविध छोड देने के बाद डी पी सी बैठक आयोजित किया जाता है, तो भी स्थायी पद के खिलाफ निश्चित परिवीक्षा शर्तों के साथ भर्ती किए गए व्यक्ति को उनके परिवीक्षा कालाविध सफलतापूर्वक समाप्त करने के ग्रेड की तारीख से स्थायी करना है । एक परिवीक्षार्थी सेवा में सन्तोषजनक प्रगित या अपनी सेवा में अपर्याप्त दिखाता है तो उसे असली परिवीक्षा कालाविध समाप्त होने के पहले अपनी न्यूनताएं सूचित करना है ताकि वह अपनी सेवा प्रगित में कठोर प्रयास कर सकें ।

परिवीक्षा के मामले में, डी पी सी को अधिकारियों के ग्रेडिंग संबंध निर्धारित नहीं करना चाहिए , मगर उन्होंने परिवीक्षा संतोषजनक पूरा की है पर घोषणा करने का ही निर्णय लेना है । यदि कोई परिवीक्षार्थी का निष्पादन संतोषजनक नहीं है, तो परिवीक्षा कालाविध बढ़ाना है या सेवामुक्त करने की सलाह डी पी सी को देना है ।

21. परिवीक्षा पर कर्मचारियों की सेवामुक्ति या प्रत्यावर्तन

(1) यदि कोई कर्मचारी को अपने व्यवहार या निष्पादन के आधार पर अपनी प्रथम नियुक्ति के परिवीक्षा कालावधि के अन्त में विनियम 19 में, निर्धारित किए अनुसार स्थायीकरण केलिए योग्य नहीं पाया गया है, तो उसे बोर्ड की सेवा से सेवामुक्ति दी जाएगी ।

- (2) यदि कोई कर्मचारी अपने परिवीक्षा कालावधि मे एक पद का धारणाधिकारी हो एवं विनियम 19 के अधीन स्पष्ट किए गए परिवीक्षाकालावधि संतोषजनक पूरा नहीं करता है , तो नियुक्ति अधिकारी उसे अपने धारणाधिकार पद पर प्रत्यावर्तित कर सकता है ।
- (3) एक पद धारण करनेवाले यदि कोई कर्मचारी अपने परिवीक्षा कालावधि के दौरान अपने निष्पादन या व्यवहार या निर्धारित की गई विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल होता है तो उसी पद में आगे की धारणाधिकार नहीं है तो किसी भी समय सेवा से सेवाविमुक्त करने का अधिकार है या उसके द्वारा धारण करनेवाले पद पर प्रत्यावर्तित करने का अधिकार है।

22. कुछ मामलों में स्थायीकरण ,पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा

अध्यक्ष द्वारा समय समय पर , पद, स्थायीकरण, के लिए यदि कोई, योग्य विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किस पद में स्थायीकरण या पदोन्नति मिलेगा , यह स्पष्ट करना है। अध्यक्ष द्वारा समय समय पर , योग्य विभागीय परीक्षा का विशद विवरण जैसे कि परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया , परीक्षा का पाठ्यक्रम विवरण, परीक्षा आयोजित करने की कालावधि , उम्मीदवार द्वारा उत्तीर्ण की जानेवाली अधिकतम कालावधि इत्यादि के संबंध में भी स्पष्ट करना है।

23. विभागीय परीक्षा में असफल होने में प्रत्यावर्तन

पद पर पदोन्नत एक कर्मचारी को अध्यक्ष द्वारा स्पष्ट की गई समय समय पर , कालाविध के भीतर उत्तीर्ण की जानेवाली यदि कोई योग्य विभागीय परीक्षा है तो उसे उत्तीर्ण करना है । यदि कर्मचारी असफल हो तो उसे प्रत्यावर्तित किया जाएगा । जहाँकि उच्च पद की पदोन्नति के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करना पूर्वनिर्णय का शर्त है, तो कर्मचारी को निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण होने के बिना, ऐसे पद पर पदोन्नत करने के लिए नहीं मान लेंगे ।

24. वरिष्ठता सूची

कर्मचारी के हर एक ग्रेड के लिए अन्तरानु वरिष्ठता की सूचना देते हुए एक अद्यतन ग्रेडिंग सूची तैयार करना है । सूची में हर एक ग्रेड के स्थायी तथा अस्थाई कर्मचारियों का अलग- अलग सूचना होनी चाहिए । हर साल सूची परिचालित करना चाहिए ।

25. वरिष्ठता तय करना

- (1) एक ग्रेड में सीधी भर्ती किए आदमी और विभागीय पदोन्नति आधार पर नियुक्त आदमी की विष्ठता का निर्णय सीधी भर्ती और पदोन्नतिवालों की रिक्तियों के बीच की विरष्ठता बारी बारी से आधार पर हो जो अनुसूची में सूचित प्रकार सीधी भर्ती तथा पदोन्नतिवाला के लिए उस ग्रेड में आरक्षित रिक्तियों के अनुसार होगा । ऐसे मामलों में जहाँ रिक्तियों का विनिमय, विनियम 6 के आधार हो, विरष्ठता भरने की रीति के अनुसार होगा ।
- (2) सीधी भर्तीवालों का रैंकिंग इन्टरसे योग्यता के अनुसार उनकी लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार या दोनों के निष्पादन के अनुसार होगा ।
- (3) रिक्तियों में पदोन्नित कोटा द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का रैंकिंग विभागीय पदोन्नित समिति द्वारा पदोन्नित के लिए अनुमोदन प्राप्त आदेश के अनुसार होगा ।
- (4) उक्त उप विनियम (1) से (3) तक के किसी बात के होते हुए भी इन विनियमों में पहले ही निश्चित वरिष्ठता जो इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले हो वैसे ही रह जाएगा ।

26. विभागीय पदोन्नति समिति

- (1) इन विनियमों के अनुसार पदोन्नित द्वारा विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए कर्मचारियों के पैनल की सिफारिश के लिए हर एक ग्रेड या पद के लिए विभागीय पदोन्नित समिति होगा ।
- (2) विभागीय पदोन्नित समिति की गठना विनियम 12 के अधीन की सेवा चयन समिति के अनुसार होगा तथा पैनल की मान्यता विनियम 13 में सूचित प्रकार होगा ।

27. पदोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र

- (1) यदि पदोन्नित द्वारा एक ग्रेड में एक या उससे अधिक पदों को भरा देने की आवश्यकता हो, चयन रीति द्वारा फीडर ग्रेड में पद धारण करनेवाले कर्मचारियों से निर्धारित भर्ती नियम के अनुसार योग्यताप्राप्त तथा पदोन्नित के लिए निर्धारित योग्यता तथा अनुभव होनेवालों को पदोन्नित के लिए विचार किया जाएगा यदि वे विचाराधीन ज़ोन के अन्दर आ गया हो ।
- (2) चयन समिति द्वारा पदोन्नति के लिए सिफारिश किए कर्मचारियों के मामलों में निम्न लिखित प्रक्रिया का पालन किया जाए :

- (क) निर्धारित कसौटी के संदर्भ में पदोन्नित के लिए योग्यता का मूल्यांकन विभागीय पदोन्नित सिमिति (डी पी सी) द्वारा तय किया जाएगा तथा तदनुसार अधिकारियों को 'योग्य 'या 'अयोग्य' ग्रेड किया जाएगा । डी पी सी द्वारा योग्य में ग्रेड करनेवालों को फीडर ग्रेड में इन्टरसे वरिष्ठता में शामिल किया जाएगा । तदनुसार चयन सूची तैयार किया जाएगा । अयोग्य ऐड के अधिकारियों को चयन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा ।
 - (ख) विभागीय पदोन्नित सिमिति उन मामलाओं को भी ध्यान में रखेगा जो विदेश सेवा या अध्ययन छुट्टी पर गया हो ।
- (ग) सरकारी कर्मचारियों के लिए डी पी सी कार्यवाहियों की प्रक्रिया में समय समय पर सरकार द्वारा ज़ारी अनुदेशों को यथोचित परिवर्तन करके पालन करेंगे ।
- टिप्पणी :- 16000-400-20800 रूपये तथा उससे ऊपर के वेतनमान के पद के विलयन के लिए तथा जिसकेलिए कोम्पोसिट भर्ती स्वीकार किया हो, समग्र ग्रेडिंग की कसौटी '' बहुत अच्छा'' होना है । सभी अन्य मामलों में कसौटी '' अच्छा'' होना है ।
- (3) गैर-चयन पदों की पदोन्नति के लिए जहाँ कोई कसौटी निर्दिष्ट नहीं हो, चयन का मानदण्ड वरिष्ठता -कम- योग्यता होगा ।

28. तदर्थ नियुक्तियाँ

अति आवश्यक मामले में जहाँ विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सिफारिश किए पैनल का उपयोग करें, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा फीडर ग्रेड या पद में सबसे विरष्ठ योग्यता प्राप्त और उचित्व कर्मचारी को एक ही समय में 6 महीने तक या अधिक से अधिक एक साल तक या विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सिफारिश किए नया पैनल चालू हो , जो पहले हो, पद में तदर्थ नियुक्ति किया जाए । तदर्थ नियुक्ति जहाँ अपरिहार्य हो, भर्ती नियम में निर्दिष्ट योग्यता और अनुभव के अनुसार होगा ।

29. अनुकंपा नियुक्तियाँ

इन विनियमों में किसी अन्य बात के होते हुए भी अध्यक्ष इस विनियमों में निर्धारित भर्ती के सामान्य प्रक्रिया के अनुसार सेवा में रहते समय दिवंगत कर्मचारी के न्यायसंगत पुत्र या पुत्री या जीवित पित/ पत्नी को श्रेणी -III या श्रेणी - IV पद जिस पद में नियुक्त करनेवाला हो, निर्धारित पद की योग्यता व अनुभव हो तथा अन्य उचित समझा जाए, नियुक्त किया जाएं ।

30. निर्वचन

इन विनियमों के उपयोग में केन्द्र सरकार के सभी अनुदेशों को समय समय पर ज़ारी संशोधन के साथ जो इन विनियमों के उपबन्धों तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर ज़ारी अनुदेशों के विरुद्ध नहीं है, का पालन किया जाएगा ।

इन विनियमों के निर्वचन में कोई भी संदेह पैदा हो जाए, मामला अध्यक्ष के पास निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाए ।

31. निरसन तथा मितव्ययता

इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले के इन विनियमों से संबंधित सभी विनियम, प्रक्रिया, रीति तथा रूढ़ी एतत्द्वारा रद्द किया जाएगा ।

बशर्ते कि विनियम, प्रक्रिया, प्राक्टीस तथा रीति के अधीन रद्द किए किसी आदेश या ली गई कार्रवाई को इन विनियमों की अनुरूप उपबन्धों के अधीन मान लिया समझा जाएगा ।

उम्ररू र्रीए म्झीत्व ——

ामान्य प्रशासन -मुख्य स्थापना

								— т		— Т	Т		
- 11						<u>सर्वेभव</u>							
- -	ļ		İ	ļ		कि लाम हं में प्रदाक गिक्धेक			ŀ	1			
						में इन्ति शास क्षंक्ष्म कागींधिस	ļ	ļ			1		
		। ई हिम् माम्तेष्ठ इए माल्क				,कमितक, मासम क्रामिक,							
li.	1 13 15/51	के FIमित्रके .क 00241-0088				मं मक्ष्यः गिक्ष्यः \क्ष्योणीः]		i	İ		
	। है फिक्हो	क्रिक में फ्रिगीडमेक III कि	% 8/188			\कापीडििक क्र्य (ii)							
₩	. इ.स. इ.मीम्ड्रिय	हाग0-11975 क. के नेतनमान	एउड्ड होइए			ছি হী	ļ				İ		
- 11	म् भूनः	सात के नियमित सेवा के साथ	% E / E 99			मं शिवि म्रं नाष्रम्भ\ष्रलाडवीव्यहो	ļ						
-	। इर्ष घनोम्	हें मिलाए मिएस मिएस के	गाडू किए थिसि			मारांकधनाम ए ।मिन्धि	ļ						
	सहायक	ागमही होहो\ हमाएए छनामाम् व हिंसाल समाव है				म फिथनी इ.हम भेमर ए एएडन्ह							
- 11	कि इम	<u> </u>	21 अगस्त, 2012 के बाद			मक्ष \ धाक कागीमाम	1	İ		İ			
	(स्थाप)	ਸੀਸ਼ ਤਿ ਸ ਪ ੰ	%E/E 99			\एक्स कापीछिकि नध-कर			1				
♬∥	इन्हो म	II- (8ग्रीव) गत्माधर्म स्थाप		}		क्मीकि\kिडी फ़र्तक्राम् उ (i)		1					
असाधारण	सहायक		ए द्वार होस्			<u>क्षिक्ष्म</u>		1			1		
ਲੱ 	माम ो ह	मह (रिजमीक) होनी स्वाधित	33 1/3%		हिम कि (ग)	सिटी क्य मि			12100			(1 - ฮห์)	
	र्क नामन्त्रह	II इर्ष हानीम कणात्रम शाहान	របន្ទ គ្រម ង្គេរ		诱作 (v)	म्हाडमिल्स्ने माराहरूम् (i)			-097			ह्मिम	
राजपत्र	15100 ₹.	िमीधनी कं जाम ε में डर्स मिट	2012 तक	<i>₽</i>	हिम् (क) * के (-)	:अनिवार्यः	30	크코크	-0016] flux	l	सहायक	I
<u>=</u>	-0016	र्क नामन्त्रक .त्र 00041-008		10	6	8	L	9	ς	t	٤	7	Ī
मारव	£ I	15	11				(й						
1					गणहे कुगन्त		ॉम≅)	ŀ					
			(में रुमाम क लोहमीत ीए		ामीम						
•			ग्रम्ह कोष्टमीतीर ,		\Fष्रुष्ठा । निहारू 		अर्ध						
Ì			 अलयम्		ग) अनीमञ		<u> </u>	महस्र			j		
		। प्रज्ञीाच मनार एउन्हो	\ती रा रूम ाष्ट	(मॅं फिंह)	ग्राप्तमार्थ काशीष्ट् (छ	ग्रामधांक स्टब्स् हुग	प्राजीक	- र्फ	, , , ,		15-50		
		इंग् हें हर्स सकी में रुपाप रूं किय	! !	अबहा	, দৃদং(ক কাণ্ডান্	काडीर्ष क्रमोधन	भिष्	ग्रह	(क् <i>फ</i>)	1 lb . 1) . lb	ite≘ity iteoùty	ᇤ	₽7₹ Ft
	गिष्णज्ञ	ागडू क्लीपृमीतीष्र\मधलको\तीहर्द्धम इन क्लीप्रमीतीष्	1	कि ११३६िग्रेप	ज़ल के फिप धिप्त मार	मीची भर्ती केलिए	िशिम	मध्यम	ЕІ нг ьре́	ाए कि ग्रिक	कि फ्रि		1132

<u> ५५५ र्ड</u>ीम म्झीत्म

I HE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	21 क्यान्नम \ डाएं हजीम क्यान्नम छोने \(.ाम.ा) डाएं हजीम -0019 इंन्छी डाएं गिकणीमः कि हाम २ में नामनतर्ह 00121 हमफ कंभारी ,िंग हम हमीयनी के मामन्तर्ह 00121	\FBF (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	01 iż	\ तीहाईप हम्म्स (ए कं तीहानीह्र\मध्यानी हमाम ए हिम् (क) हिम् (ह)	% : फान्मीस् क्रमाडने हड़ेने भार क्रमाम (i) सिडी में \त्रामीर्डिस् स्कृ (ii)	हमट मिम मिट) (म 7	9	0\$291 -00\$ -0\$201 \$	t floris	ξ.	ू हम्मेह क्याइम हमिस	7
	ाठकी इक में डाएं सकी में रुभाम कें । एक्षीाच सिम्ह	स्पिम स्थिम स्पन्न \होहाईम स्ट	ਈਵਾਦ (ਸੌ ਇਸ)	, ग्रास्ट(क कथरनाय् हार्यक्रमंत्र कन्नीर्ट (छ	काशीए हमीछनी ग्राप्तकांक एनस्ट हंग्र	f . f	- ifi - ifi - ifi	(ਸੰਸਤ੍)		संख्या	İ	

: असाधारण	
राजपत्र	
8	
मारत	

ει	8016 र्क नामन्तर्क 60% 02.701-02.701 क्षेत्रिक क्षेत्रम स्वावक अर्थित विचन स्वावक स्	ा। क्षिमी गाउँ तीहरिप में घामस मिथ्यितीर(न्यज्ञा क्ष्मिनीर(न्यज्ञा क्षिपी में घामस् गिम थिपि में घामस्	10 E	\ FPM के कीश्मीति Infg _ Info fi Q BF (क BF (To (To (To (To (To (To (To (T	8 : भेगविह. : सिंद्री माय तायता प्राप्त विश्व (i) । सिंद्री में मानवान (i) । सिंद्री में मानवान (ii) (सिंद्री माय प्राप्ति (ii) म्हिल्ला सिंद्री (सिंद्री प्राप्ति (ii) में सामान्य प्राप्ति (सिंद्री (सिंट्री (सिंट्री (सिंट्री (सिंट्री (सिंट्री (सिंट्री (सिंट्री (सिंट्री (सिंट्री (सिंट्री (सिंट्री (सिंट्री (सिंट्री (інія (ўт.) (ў.) С	- 15년	05281 -058 -00081 S	t flore	1 E	2 उच्चिम प्रद	ε
	ि में गामने निपार जामाम में गिया निपार निप्तिक्ष्य में गियानिक्ष्य कि निप्ति निप्तिक्ष्य कि निप्तिक्ष्य क्ष्य कि निप्तिक्ष्य क्ष्य कि निप्तिक्ष्य क्ष्य कि निप्तिक्ष्य क्ष्य			phone \FISTER & Arther \Beta & Arther \bra & Arther \Deta \text{In prome Hre \Deta \text{In prome Hre \text{In prome Hre \text{In prome Hre \text{App In Inforce} \text{Itel} \text{App In Inforce} \text{Interned} \text{Exp Hrester}								

ऽभर्र र्रीए म्झीत्क

का राज्यत्र : असाधारण		कि में डॉर इंन्सी गित्हांशेष्ट जिन्हों का एए हुए कि में हों हैं सी गित्हांशेष्ट जिन्हों के लाए हुए ज 00802-00001 हैं हा कि तिमीषती के जाम हो मानिक्त की जाम कि निमित्ती कि जाम कि मानिक्त की मानिक्त की मानिक्त की मानिक्त का प्रमाप हो। कि जाम के मानिक्त का प्रमाप हो। कि मानिक्त की मानिक्त की कि मानिक्त के जाम हो। कि मानिक्त के 10802-00001 में कि आप कुए के मानिक्ष के मानिक्त के 10802-00001 में कि आप कुए को मानिक्ष के मानिक्त के	किस्म में नियम में महामंद्र भाग्नु कीम्मीला के मिट्टे म्ह् विभि में नाम्म्द्र । ग्राट्ट तिम	爲七	हैं स्ट्री प	सिंही सार गानजाम (i) सिंही से धानावानी (संहों से धानावानी (संहों के मूल्यां कि कर्मा (ii) कार्मा के मुक्स (संहों के मुक्स के मुक्स (क्षेप्य के मुक्स (क्षेप्य के मुक्स के मुक्स के मुक्स के मुक्स के मुक्स के मुक्स के मुक्स (क्षेप्य के मुक्स के मुक्स (क्षेप्य के मुक्स (क्षेप्य के मुक्स के मुक्स (क्षेप्य के मुक्स के मुक्स के मुक्स के मुक्स (क्षेप्य के मुक्स के मुक्स (क्षेप्य के मुक्स के मुक			006EZ -05¢	विभगाध्यक्ष		गिग्डाकः) 11 (मुडेिंग्	
मारत		र्जाहर पहुंच में महरून ग्री स्ट्री उपीएक के नामन्तर्भ ज 00222-00211ए फ्रिग्राक्सीस्ट	ग्रिड भीर ड्राग्रस्ट क्स्पर्न, निसके	गुग <i>र</i> ु	्रहिम् (क	:फान्नारः	54	FFF	-00581	fl¤fé	I	घनीम	ς
<i>*</i>	13	\$1 \$1	I I	10	6	8	L	9	ς	b	3		I
			, । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	(4, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16	, शास्ट (क ग्राप्तम्मक कम्हीक् (छ कम्ह्रस्ट (प कीश्रुनित्रीय\मण्ड्रिच ग्राप्ति में निमाम क् ग्राप्ति	ग्रातमापि वनस्ट हम्	कितिए उच्च अग् सीमा सीमा (वर्षे	- फ्री न्या	(&v≉)		ाम्बाम		
©	ſΙν		्राष्ट्र साथ साथ स	धीझर तिक (मॅक्टि)	लिए आवश्यक क)आय	क्छिकि ह्यास्त प्राप्तप्रकार स्था	15tr	II.	нинь б		fals		.i д
gus 3(i)]	5] ₽¤	म जिमाम की किथ ग्राडु सीप्टिनिशेष्/मध्यज्ञी (क्रीह्रोज्ञ । प्रज्ञीम मारू फिकी ज़ुक के डर्फ मुकी) तकिक तक किम एक किम थिसि एक्क	ाश्रकीए स्रोह्य कि	क् किथ थियि प्रक	सीधी भर्ती केलिए	सीमी	यत्रभ		वर्गीकाण	ťpμ	HIF 5P	H-AR

क्रम	पद नाम	पदों	वर्गीकरण		चयन	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती केलिएनिर्धारित	क्या सीधी भर्ती के	परिवीक्षा	भर्ती का तरीका (क्या	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में	टि प्य
सं.		की		वेतनमान	या	केलिए	शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	लिए आवश्यक	की अवधि	सीधी भर्ती या पदोत्रंति/	किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	णी
		संख्या		(रूपये)	गैर -	उच्च आयु		क)आयु ,	(वर्षों में)	विलयन/		,,
		 			चयन	सीमा		ख) शैक्षिक योग्यताएं		प्रतिनियुक्ति द्वारा)		
					}	(वर्षो में)		ग) अनुभव				
					Ì			पदोन्नति /				
								विलयन/प्रतिनियुक्ति	!			
]		के मामले में लागू				
	<u> </u>				ļ	ļ		होगा				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6		ì	श्रेणी !	9100-	चयन	30	अनिवार्य:					-
1	अध्यक्ष			250-	<u> </u>			क) नहीं	2 साल	पदोन्नति द्वारा जिसके	विभागाध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक/ उपाध्यक्ष	
	के			15100			(i) मान्यता प्राप्त विश्व	ख) नहीं		अभाव में	के निजी सचिवजिन्हें 8600-14600रू.	
	निजी	-					विद्यालय से डिग्री ।	ग) नहीं		विलयन/प्रतिनियुक्ति	वेतनमान में 3 साल की नियमित सेवा उस	
j	सचिव	ĺ								द्वारा, दोनों के अभाव	1	
		ł					(ii) आशुलिपी में तथा			में सीधी भर्ती द्वारा	अधिकारियों या फीडर पद में उस ग्रेड में 3	
							टंकण में क्रमश:120/40			i co-o o o o	साल की नियमित सेवा महा पत्तन न्यास में हो	
l							शब्द/प्रति मिनट वेगता के				7	
			;				साथ प्रवीणता				से विलयन/प्रतिनियुक्ति ।	
	Ì											
							(iii) कंप्यूटर की					
							जानकारी		}			
	!	i				Ì	(iv) आशुलिपिक/					
				}			वैयक्तिक सहायक के रूप		Ī			
		1				- 1	में औद्योगिक/]			į	
							वाणिज्यिक/सरकारी	İ	ŀ			
							उपक्रम में <i>पाँच</i> साल का	ĺ				
						j	अनुभव ।	ļ				
				1			ا ۱۰ ق.					
			1	i								

क्रम सं.	पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षो में)	सीधी भर्ती केलिएनिर्धारित शैक्षिकएवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टिप्पणी
1	2	3	4 3m9 1	5	6	7	8 .भनिवार्यः	क) नहीं	10		9100-15100 रू. वेतनमान के ग्रेड में 5	
7	अध्यक्ष के विरष्ठ निजी सचिव	1	श्रेणी 1	10750- 300- 16750	चयन	35	अनेवार्थः (i) मान्यता प्राप्त विशव विद्यालय से डिग्री । (ii) आशुलिपी में तथा टंकण में क्रमश:120/40 शब्द/प्रति मिनट वेगता के साथ प्रवीणता (iii) कंप्यूटर की जानकारी (iv) औद्योगिक/ वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में आशुलिपिक/ वैयक्तिक सहायक के रूप में आठ साल का अनुभव ।	क) नहीं ख) जी हाँ । ग) नहीं	2 साल	पदोन्नति द्वारा जिसके अभाव में विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा	साल के नियमित सेवावाले उपाध्यक्ष के निजी सहायक/ अध्यक्ष के निजी सहायक से, जिसके अभाव में 9100-15100 रू. वेतनमान के ग्रेड में दो साल के नियमित सेवा के साथ तथा 8600-14600 रू एवं 9100-15100 रू वेतनमान में कुल आठ साल नियमित सेवावाले उपाध्यक्ष के निजी सचिव/ अध्यक्ष के निजी सचिव से पदोन्नति । सदृशपदवाले अधिकारियों से या फीडर पद में 5 साल के नियमित सेवा महा पत्तन न्यास में हो, से विलयन/प्रतिनियुक्ति	

ऋम	पद नाम	पदों	वर्गीकरण	वेतनमान	T	4,4	22 22 24				सामान्य प्रशासन-कल्याण & औ. सं	
सं.	74 114	की	वनाकरण	(रूपये)	चयन	सीधी भर्ती	सोधी भर्ती केलिएनिर्धारित	क्या सीधी भर्ती	परिवीक्षा	भर्तीका तरीका (क्या	7	टिप्पणी
ζι,	1	संख्या		(रूपव)	या		शैक्षिकएवं अन्य योग्यताएं	के लिए	की	सीधी भर्ती या पदोन्नति/	मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए	
		4041			गैर -	केलिए		आवश्यक	अवधि	विलयन/	1	<u> </u>
					चयन	उच्च		क)आयु ,	(वर्षो	प्रतिनियुक्ति द्वारा)		
	,	ļ 1				आयु		ख) शैक्षिक	में)			
						सीमा		योग्यताएं	1			
				l '		(वर्षो		ग) अनुभव				
			i			में)		पदोन्नति /				
								विलयन/				
ĺ								प्रतिनियुक्ति के				
								मामले में लागू				
								होगा				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	13
8	कल्याण	1	श्रेणी 📗	9100-	चयन	30	अनिवार्यः	क) नहीं	दो	21 अगस्त,		
ĺ	अधिकारी	ĺ		250-		<u> </u>	(i) मान्यता प्राप्त विश्व	ख) जीहाँ।		2012 तक	8600-14600 रू. के वेतनमान ग्रेड में 3 वर्षों	
				15100			विद्यालय से डिग्री	ग) नहीं		सीधी भर्ती द्वारा	की नियमित सेवा के साथ सहायक कल्याण	
j							(ii) मान्यता प्राप्त विश्व			33 1/3%	अधिकारी/खेलकूद अधिकारी से पदोन्नति	
							विद्यालय /संस्था से			पदोन्नति द्वारा	या	
							सामाजिक विज्ञान में डिग्री			66 2/3%	6170-11975 रू. के वेतनमान ग्रेड में पाँच	1
		}			<u> </u>		/ डिप्लोमा ।			,	वर्षों के नियमित सेवा के साथ संबंधित शाखा	İ
		ŀ	ļ		. 1		(iii) स्थानीय भाषा की			21 अगस्त,	के कार्मिक & औद्योगिक संबंध प्रभाग के	
					. 1		जानकारी ।			्रा :: '.'' 2012 के बाद		
		ŀ			. 1		वांछनीय :		İ	सीधी भर्ती द्वारा	श्रेणी III कर्मचारियों से जहाँ 8600-14600	
							एक			66 2/3%	रू.के वेतनमान में उसी अनुशासन में कोई श्रेणी	
							्र औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी			पदोत्रति द्वारा	II पद नहीं हो से पदोन्नति।	
							उपक्रम में श्रम कल्याण			33 1/3%		
							अधिकारी/ औद्योगिक संबंध			ठे । / ३ % टिप्पणी: पदोन्नति		
				ļ.		ļ	अधिकारी के रूप में दो वर्षों का			लिखित और मौखिक		
- 1			ļ			i	अनुभव ।			परीक्षा के आधार पर		
							रापुत्रभा ।		1	होगी ।		
			L		<u> </u>					Gi.ii (-	

.

[判时 11—	(साग II—खण्ड 3(i)]	मारत र	भारत का राजपत्र : असाधारण
	flam2J	-05401	-005 6 7-51 के निमान के कामीडिमेर हो मान कामीडिमेर शिकाशिस हम कि किया के 1 है 1 है
	िमाम की पिथ ागड़ कीष्ट्रिमिस्/प्रधन्निक्षेत्र । मुद्धी का जान जान जान हेड के डर्स क्रकी वे	21 विष्ठ ट में इर्ए के नामनकि .ऋ 00121-0019	में ग्रात्मधीर एषायन थाप्र के किंग क्योधनी कि
	កេសិក កេះ តិក ប្រ តិក ខ្ទៃក្រ ចេន) \កមកនៀ\តានវទ្ធប (បាន កាំប្រកិត្តិក្	11	क्सकी ागड़ तीहरूप में घापस क्रीपृमीतीए/म्युन्वी घापस् के निड़े , ग्राड़ ग्राड़ तिथ थिमि में
	ाहिनोग कि अवध (वर्षे में)	01	t)
उम्रू रेिंग म्मिति	कं किय थिपि एक क्ष्म्य प्राप्त क्ष्म्य क्ष्म्य क्ष्म्य क्ष्म्य प्राप्त क्ष्म्य क्ष्म्य प्राप्त क्ष्म्य प्राप्त क्ष्म्य क्ष्य क्ष्म्य क्ष्म्य क्ष्म्य क्ष्म्य क्ष्म्य क्ष्म्य क्ष्म्य क्ष्म्य क्ष्म्य क्ष्म्य क्ष्म्य क्ष्य क्ष्म्य क्ष्म्य क्ष्म्य क्ष्	6	持 (((((((((((((((((((
- <u>2</u>	क्रीीधनी <i>प्रा</i> निक	8	मार फिनाम (i) सिशे में फलाखने कर्मने मार फिनाम (ii) मार फिनाम (ii) मार फिनाको कर्मने मार फिनाको कर्मने मार किनाको कर्मने मार किनाको कर्मने मार्गिन कर्मिमाम में मिर्मित क्रमे (हैं। भिरम्भित कर्म (iii) पिरम्भित कर्म (iii) पिरम्भित कर्म (iii) किमित्रित भिरम्भित कर्माणी किमित्रित भिरम्भित होने किमित्रित हो मिरम्भित होने किमित्रित हो मिरम्भित होने किमित्रित (vi)
	तिथी भूति उन्हें उन्हें श्रमध् तिष्में भूते	L	-
	चयन या - न्ययन	9	ተ ኩኬ
	नामन्त्रक् (क्ष्मञ्ज)	5	05/9I -00£ -05/0I
	वाधिकरण	Þ	I flok
	ফি ক ফি	3	
	田논 첫	7	ष्ट्रिक भिक्ति भिक्ति
	压变	Ī	6

		•
सामान्य	प्रशासन	–सपदा

 										सामान्य प्रशासन-सप	પ્યા
हम पद नाम सं.	पदी की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती केलिएनिर्धारित शैक्षिकएवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रितिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टिप्पणी
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 सहायक संपदा प्रबन्धक - ग्रेड - I	1	श्रेणी ।	9100- 250- 15100	चयन	30	अनिवार्यः (i) डिग्री के साथ वास्तुकला/ टाउण एवं कन्ट्री प्लानिंग में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय /संस्था या सर्वेयर की संस्था (इंडिया) की निगमित सदस्यता से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री । वांछनीय : (i) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से विधि में डिग्री (ii) औद्योगिक/ वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में संपदा प्रबन्धन , मूल्यांकन या भूमि रकोर्ड में दो वर्षों का कार्यकारी अनुभव ।	क) नहीं ख) नहीं । तथापि, मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/ संस्था से डिप्लोमा अनिवार्य है । ग) नहीं	दे	21 अगस्त, 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा 33 1/3% पदोत्रति द्वारा 66 2/3% 21 अगस्त, 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा 66 2/3% पदोत्रति द्वारा 33 1/3%	8600-14600 रू. बेतनमान ग्रेड में तीन सालों की नियमित सेवा सहित सहायक सचिव (किनष्ठ)/ उप मुख्य लेखाकार (विरिष्ठ)- II से पदोन्नति । या 6170-11975 रू. के बेतनमान ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा के साथ संपदा प्रभाग के श्रेणी III कर्मचारियों से जहाँ कि 8600-14600 रू. बेतनमान के अपनी शाखा में श्रेणी II का पद न हो से पदोन्नति।	

पद् नाम	पदों वर्गीकर की संख्या	ग वेतनमान (रूपये)	या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षो में)	सीधी भर्ती केलिएनिधारित शैक्षिकएवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षो में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रितिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेंड से वह किया जाना चाहिए ।	13
2 1 विरिष्ठ सहायक संपदा प्रबन्धक	3 4 1 श्रेणी	5 I 10750- 300- 16750	6 चयन	7 35	श्रिनेवार्यः (i) डिग्री के साथ वास्तुकला/ टाउण एवं कन्ट्री प्लानिंग में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय /संस्था या सर्वेयर की संस्था (इंडिया) की निगमित सदस्यता से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री । (ii) औद्योगिक/ वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में संपदा प्रबन्धन, मूल्यांकन या भूमि रकोर्ड में सात वर्षों का कार्यकारी अनुभव । वाछनीय: मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से विधि में डिग्री ।	9 क) नहीं । तथापि, मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/ संस्था से डिप्लोमा अनिवार्य है । ग) नहीं	रो	पदोन्नित द्वारा जिसके न होने पर विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर, सीधी भर्ती द्वारा	12 9100-15100 रू. वेतनमान ग्रेड में पाँच सालों की नियमित सेवा सहित सहायक संपदा प्रबन्धक ग्रेड I जिसके न होने पर 9100-15100 रू. वेतनमान ग्रेड में दो सालों की नियमित सेवा सहित तथा 9100-15100 रू. एवं 8600-14600 रू. वेतनमान में आठ वर्षों के नियमित सेवा के साथ सहायक संपदा प्रबन्धक ग्रेड I में संपदा प्रभाग की शाखा में से पदोन्नित । किसी महा पतन न्यास में सहायक संपदा प्रबन्धक ग्रेड I के सदृश पदवाले अधिकारी या 9100-15100 रू. के वेतनमान में पाँच सालों की नियमित सेवा के साथ संपदा प्रभाग के अपनी शाखा में समतुल्य पद के पदधारी से या 6170-11975 रू. के वेतनमान ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा के साथ संपदा प्रभाग के श्रेणी III कर्मचारियों से जहाँ कि 8600 - 14600 रू. वेतनमान के अपनी शाखा में श्रेणी III कर्मचारियों से जहाँ कि 8600 - 14600 रू. वेतनमान के अपनी शाखा में श्रेणी III का पद न हो से विलयन/प्रतिनियुक्ति ।	

ж н स .	पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	बेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती केलिएनिर्धारित शैक्षिकएवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लाग्	परिवीक्षा की अवधि (वर्षो में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोत्रति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टिप्पणी
1	2 विधि	1	श्रेणी ।	5 9100-	6 ਚ ਧਜ	7 30	8 अनिवार्यः	9	10	11	12	13
2	अधिकारी ग्रेड			250- 15100			(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री वाछनीय : (i) औद्योगिक/ वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में कानूनी स्थापना में दो वर्षों का कार्यकारी अनुभव । (ii) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर डिग्री ।	क) नहीं ख) जी हाँ। ग) नहीं		33 1/3% पदोत्रति द्वारा 66 2/3% 21 अगस्त, 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा 66 2/3% पदोत्रति द्वारा 33 1/3%	8600-14600 रू. के वेतनमान ग्रेड में तीन वर्षों की नियमित सेवा के साथ विधि अधिकारी ग्रेड !! या 6170-11975 रू. के वेतनमान ग्रेड में पाँच वर्षों के नियमित सेवा के साथ संबंधित शाखा के विधि प्रभाग के श्रेणी !!! कर्मचारियों से जहाँ कि 8600-14600 रू. वेतनमान के अपनी शाखा में कोई श्रेणी !! पद नहीं हो से पदोन्नति !	

पद	नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षो	सीधी भर्ती केलिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोत्रति / विलयन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षो में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नित/बिलयन/प्रितिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	12
 	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12 9100-15100 रू वेतनमान ग्रेड में पाँच वर्षो	13
सा स	विष्ठ हायक प्रचिव (जन नंपर्क)		श्रेणी	10750- 300- 16750	चयन	35	अनिवार्यः (i) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय की डिग्री (ii) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय की डिग्री (ii) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय / संस्था से जन संपर्क / पत्रकारिता में डिग्री या डिप्लोमा (iii) पोर्ट/सार्वजनिक क्षेत्र/विख्यात सार्वजनिक लिमिटड कंपनी में जन संपर्क कार्य में अधिकारी काडर में पाँच वर्षों का अनुभव । वांछनीय : (i) व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा (ii) कंप्यूटर पैकेज की जानकारी	क) नहीं ख) जी हाँ। ग) नहीं	दो	पदोन्नित द्वारा जिसके अभाव में विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा	की नियमित सेवा के साथ सहायक सचिव ग्रेड	

[PART II—SEC. 3(i)]								,					
ÿ.						ग्रीकिमाह कि मलाग्रनम (V)							
<u> </u>]].]					ामिल्या				1			ł
			j			फर्जाककाम्य में झक्ट्रास (vi)							
ART						अधोगित कर मेरल कर्माध्य			1				
<u>e.</u>						अर्थेर अस्तिबन के लिए कार्यशाला				İ			ļ
			1			ां।) हिन्सु क क्रिया हिन्सु (iii))]						
i						इम्हिस् कि शिक किसिमाएए (ii)							
						ार्मह ग्रिकरार							İ
						कि मिष्टमी प्राप्त प्राप्तक मीथस्ट कीमड़							
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY						र्गार मधनीशोर ।शामकार (i)							
Ϋ́						वाख्नाव:							
Ē						। इस्पृष्ट एक केच र मक से मक							
9						मं एज की विश्विष्ठ ग्रीह हम्मून्छ							-
울						तक भेछ ८ तक घतक झाहरूस तक				İ			
EX						फ़्रुगिम के नीक् ई प्रीर किनिक्र में							
أننه						рत्र प्रामणीस में स्ट्रिस में हिन्ही	ļ						
7						र्गीस हिन्ही में हिएसे ग्रीस विक				l			
<u> </u>						क्षिक्रम क्षित्रकाष्ट्र में हिन्ही (ii)							
Ö			मिड्ड फिम			। हि में छन्न कं छण्टी क्युप्र	ļ						
買用	1		अभाव में सीधी	İ		ग्रह्म हिड़ी किड़ी ग्रीस्ट <mark>हिड़ी</mark> ग्रजाम	ĺ				1		İ
됩			क स्मि ,ागड़		अनुसार	ம் நெ€ழ் ம தெ¥் மன் க் மைவி						(गमामका)	
- X			क्र्मिपृनीशिष्\मण्जन		क् ऽ।.म मार्गक (ग	क्र हिर्हार प्र अन्य हिडी र्रीह	İ		12100			ि इस्	1
E (अनुवादको से परोन्नति	फ्र र्मिड़ म		ोड़ कि (छ	क्षित्री प्रम्तिककास्त्र मिं हिन्ही (i)			-052			म् म्	
臣		5 साली के अनुभववाले हिन्दी	क्सर्ध छाडू बीह्रिय	7	कि (क	<u> अभिवार्</u>	30	<u> चत्र</u> च	-0016	ffv≰s	I	सहायक	14
}	13	15	II	01	6	8	L	9	ς	Þ	ε	7	ī
][(¥						
[]	ŀ		j		मामने में लागू होगा		किंह)						
H			,		क क्रीष्टनिशिष्र\म्षण्टन्न		ामीम]]		
			(फ्राइ क्रीपृनीहीए		/		₽ïн€				}		
		1 5005 0005	वित्यत्र ।	(मॅक्कि)	निह्मं न्यम् स् (ग		3.44	<u> </u>					
		मुद्रीक मार्ग कार्य	\मिह्निम	अवधि	ग्राप्तप्रमाह कि श्रीर (छ	ग्राप्तकांक्र घनस्ट इंग्र	प्राजीक	- र्गः					
	शक्ति राज्या	हाइ से इर्ष सन्ति में रिमाम की सिम	ाष्ट्राध्या सीक्षी भन्ती या	कि ग्रिकीश	आवर्यक क)आयु ,	काश्रीष्ट क्रियोधनी	मध्य	ᄩ	(६४क)		ाफ्र्या म		Ή÷
_	4	រភត្ត ភ ាទ្រកាស \) तकिक किम		प्रन्ते के किम थिपि एक	मुन्तिक किम थिपि	भिधी	<u>ተአኮ</u>	नामफर्फ	क्गिकिएण	कि कि	माम इए	मन्ह
윤비													

क्रम सं.	पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	बेतनमान (रूपये)	चयन या गैर – चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षो	सीधी भर्ती केलिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षो में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टिप्पणी
					ļ. <u>.</u>	में)	8	9	10	11	12	13
1 15	2 सहायक निदेशक (अनुसंधान)	3	श्रेणी	5 9100- 250- 15100	वयन	30	अनिवार्यः (i) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय /संस्था से अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय या गणित में डिग्री । वांछनीय : (i) आंकड़े का संग्रहण, संकलन और व्याख्या या फील्ड सर्वे आयोजित करना, जाँच पडताल करना आदि में दो वर्षो का कार्यकारी अनुभव । (ii) कंप्यूटर प्रचालन की जानकारी । (iii) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय /संस्था से अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय या गणित या प्रचालनीय अनुसंधान और संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा ।	क) नहीं ख) जी हाँ । ग) नहीं	दो	21 अगस्त, 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा 33 1/3% पदोत्रति द्वारा 66 2/3% 21 अगस्त, 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा 66 2/3% पदोत्रति द्वारा 33 1/3%	8600-14600 रू. के वेतनमान ग्रेड में तीन वर्षों की नियमित सेवा के साथ अनुसंधान अधिकारी से पदोन्नति । या 6170-11975 रू. के वेतनमान ग्रेड में पाँच वर्षों के नियमित सेवा के साथ योजना एवं अनुसंधान प्रभाग के संबंधित अनुशासन में श्रेणी !!! कर्मचारियों से जहाँ कि 8600-14600 रू. वेतनमान के अपनी शाखा में कोई श्रेणी !! पद न होनेवालों से पदोन्नति ।	

<u> ५३५</u> र्डीए म्झीक

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART 11—SEC. 3(i)]	E1	इन प्र इत् मत्नी में जिमाम के फिम ग्रहीमान मिमाम के फिम ग्रहीमान मिमाम की फिम ग्रहीमान मिमाम कि फिम ग्रहीमान मिमाम कि फिम ग्रह्मी के ग्रिक चिम चिम में दिर्म त्राह्मी के ग्रिक चिम में दिर्म त्राह्मी के ग्रिक चिम में दिर्म त्राह्मी के ग्रिक मिमाम कि व्राह्मी के ग्रिक मिमाम कि व्राह्मी कि व्राह्मी कि	\तहांक्र \म्चल्वी (ग्राड्ड स्तीष्ट्रनिक्षेप 11 (ग्राड्ड कीश्वीक्ष) म्बल्वी ग्रम् निक्षे में जाम्ब्य में निर्म ग्राड्ड किम विक्षे	क्राध्य भि अविध् (वर्षे में) १	, छार (क कथर क्षि क्षे जीवर्षण कश्चीर्ष छ जीवर्षण चयुष्ट (प कं मीहनीय \प्राप्त क्षे ए हमाम हमाम हमाम हिस् (क हो कि (क्षे को नहीं	8 अनिकारं प्रमान क्षेत्र के अन्य योग्यता प्रमान क्षेत्र के अन्य वोग्यता हुं अन्य वोग्यता हुं अन्य वोग्यता हुं अन्य वोग्यता अनिकारं हुं अन्य का का का का का का का का का का का का का	हास कट (नियों में) 7 35	- т д - ты	0\$\(\frac{7}{9}\)\(\frac{1}{5}\)	\$ Pole	E	2 म्ह म्हेम् (भन्धंशन)	
	िलम्प	1912 सीष्टितिष्र\मधनकी\शिहांट्रप इच में इसं मतनी में निमाम के निम । प्रज्ञााः निम व्यक्ती			1	प्रान्तीक किथ विक्रि काशीष्ट कागीयमी प्राप्तवर्गाष्ट प्रमध्य क्षेत्र	ाम्भि		नाम+तर् द (र्ष्ट्र ाज ्र)	कारिकाण	कि ट्रिय ाष्ट्रांम	माम इम	<u>₽₹</u>

51रू र्रीण म्मीक

11

54 5	र्5ि	म्झीक

ह। प्रस्तामिक प्रमामिक -(E) क्रिमिक्सि -0016 \$. \text{3} 00121 \$. \text{3} 00121	12 मह १ ।। उद्यं क्षिमकाभी स्वर्म ।। (इ.क्षेमकाभी स्वर्म ।। (इ.क्षेमकाभी स्वर्भ स्वय्य स्वर्भ स्वर्भ स्वर्भ स्वय्य स्वर्भ स्वय्य स्वय्य स्वय्य स्वय्य स्वय्य स्वय्य स्वय्य स्वय्य स्वय्य स्वय्य स्वय्य स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्व	ा। २००२ अगस्य, समिती समित १३ ६/३%) i be (5	्रतिष्टिम \ तिष्टिम स्तित्रिम स्तित्रिम स्तित्रिम स्तित्रिम क्ष्म स्तित्रिम क्ष्म स्तित्रिम क्ष्म स्तित्रिम क्ष्म स्तित्रिम स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति	१ संस्था या लागत एवं इस्म संस्था या लगत एवं इस्म संस्था के संस्थ	0£	ERTA 9	-0016 -00181	t.	9	ड मछर्नि ग्रिकाशीस् इर्ष	
5 - 0016 \$ - 300121 डां शितकशिस शिक्ति किमीन्द्रप् - 1 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	ह में डह मड़ और ई 5,5 फेन्ड में ह ह क्षि हमीयनी कि लाम तिहरिय एक लामन्ह . जे 2.7011-0718 एनामा (गमनी हन्दी में क्षिप के गमन्दी स्थाप हमीयनी कि लाम होंगे हैं -008 है इस नामन्ह जे 0084 ईकि कि नामन्ह जे 0084	21 अगास्त, 21 अगास्त, 2102 के बाद 19 किस शिरी 2013 % 23 1/3% 33 1/3%		Β̄F (□)	ं क्रिकाम् मान्यस्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्य	:						

<u> इमरू र्राप म्झीक</u>

(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण		मिला में मिला के मिला में मिला में मिला के मिला के मिला मिला महि मान के हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं हुं	10 किय थिये 10क 10क 10क 10क 10क 10क 10क 10क 10क 10क	िम् (मॅं फिंह) (हें हेंह	कारकास प्राजी - क्रास्ट क्रिक्ट का का का का का का का का का का का का का	काशीक निर्माति क्षांतिक क्षां	फ़िन (मॅं फ्रैंग्र टे.ह	ाड - ऑं - फ्री- 	05781 -086 -08701 \$	t	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	पद नाम डिस्ड लेखा आधकारी	i.
gus 3(i)]		मनी में निमाम के किथ ग्राड़) त्विप्रिक तक क्रिय एक क्रिय थियी अपन	परिवीक्षा की अवधि	क्या सीधी भरती के जिए आवश्यक	मिटी की किए किन्निक क्षितिक	सीयी प्रमुख	FIRE	नामन्त्र <u>्</u>	श्यक्तीक	कि डिए	tile 5p	मन्ह
E	िर्मण्डी	क्मिष्टनितीष्र\म्घन्न्न्वो\तीक्ष्र्व्प	, 	0 0	1								

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

न्म पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षों में)	निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोत्रति/विलयन/प्रितिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टिप्पणी
2 उप मुख्य लेखा अधिकारी	1	श्रेणी [5 13000- 350- 18250	ह चयन	7	अनिवार्यः (i) भारत के चार्टेड अकाऊण्डन्टस संस्था या लागत एण्ड वर्कस अकाऊण्डन्टस ऑफ इंडिया के सदस्य । (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में वित्त, लेखाकरण क्षेत्र में कार्यकारी काडर में नौ साल का अनुभव ।	9 (क) नहीं । तथापि पान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय से एक डिग्री अनिवार्य है । (ग) नहीं	10		12 10750-16750 रू. वेतनमान की वरिष्ठ लेखा अधिकारी जिन्हें उस ग्रेड में चार साल की नियमित सेवा हो. से पदोन्नति, जिसके अभाव में 10750-16750 रू. वेतनमान के वरिष्ठ लेखा अधिकारी जिन्हें उस ग्रेड में 2 साल की नियमित सेवा हो तथा कुल मिलाकर नौ वर्ष की सेवा 10750-16750 रू. के वेतनमान तथा 9100-15100 रू. वेतनमान तथा 9100-15100 रू. वेतनमान में नियमित सेवा वित्त विभाग के अपनी शाखा में हो ,पदोन्नति द्वारा । सदृश पदवाले अधिकारी या वरिष्ठ लेखा अधिकारी या वरिष्ठ लेखा अधिकारी या वरिष्ठ लेखा अधिकारी या वरिष्ठ लेखा अधिकारी वेतनमान के 10750-16750 रू. वेतनमान में महा पत्तन न्यास में चार साल की नियमित सेवावालों से विलयन/प्रतिनिय्क्ति ।	13

ज्म पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती केलिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टिप्प णी
। 2 4 विष्ठि उप मुख्य लेखा अधिकारी	3 1	ने श्रेणी !	5 16000- 400- 20800	6 चयन	7 42	ह अनिवार्यः (i) भारत के चार्टेड अकाऊण्डन्टस संस्था या लागत एण्ड वर्कस अकाऊण्डन्टस ऑफ इंडिया के सदस्य । (ii) औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में वित, लेखाकरण क्षेत्र में कार्यकारी काडर में बारह साल का अनुभव ।	होगा 9 क) नहीं ख) जी हाँ ग) नहीं	ा० लागू नहीं	11 कम्पोसिट रीति से विलयन जिसके अभाव में अन्य सरकारी संगठन से प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा	मिलाकर सात वर्ष की नियमित सेवा निर्मान में महा पत्तन न्यार के वित्त विभाग में अपनी शाखा में अपनी शाखा में अपनी शाखा में समतुल्य पदवाले जिन्हें तीन साल की नियमित सेवा अपनी शाखा में समतुल्य पदवाले जिन्हें तीन साल की नियमित सेवा 13000-18250 रू. वेतनमान में महा पत्तन न्यास में हो य उप मुख्य लेखा अधिकारी तथा समतुल्य पद पर वित्त विभाग के अपनी शाखा में दो साल की नियमित सेवा के साथ कुल मिलाकर सात वर्ष की नियमित सेवा 10750-16750 रू. तथा 13000-18250 रू. के वेतनमान में महा पत्तन न्यार के वित्त विभाग में अपनी शाखा में काम करनेवाले योग होंगे । सदृश पदवाले अधिकारी या उप मुख्य लेखा अधिकारी तथा 13000-18250 रू. वेतनमान ग्रेड में सरकारी/अर्ध सरकारी सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त निकाय में उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवावाले वित्त विभाग के अपनी शाखा के समतुल्य पदधारीप्रतिनियुक्ति के लिए योग्य होंगे । चयन योग्यता के अनुसार होगा जिसमें ए सी आर के समग्र ग्रेडिं में कसौटी " बहुत अच्छा " से कम न हो ।	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

|--|

सल	2 वित्तीय	संख्या		(रूपये)	या गैर - चयन	भर्ती केलिए उच्च आयु	निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं	अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/	पदोत्रति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टि प्यणी
5 दि सल					1	उच्च	एवं अन्य योग्यताएं	1 '	(वर्षों में)	या पदोत्रति/	4	
5 दि सल					चयन	1 - 1		m\ :	1		1 '''	
5 दि सल						आयु		ग) अनुभव	[विलयन/		
5 दि सल					1			पदोन्नति /		प्रतिनियक्ति द्वारा)		
5 दि सल]	1	सीमा		विलयन/				
्र सल्				1		(वर्षो		प्रतिनियुक्ति के मामले में	(
5 दि सल		- 1				में)		लागू होगा				
सल	वित्तीय ।	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- 1		1	श्रेणी [18500-	चयन	45	अनिवार्यः	क) नहीं	लागू नहीं	कम्पोसिट रीति से	कम्पोसिट रीति द्वारा विलयन के लिए.	
एव	लाहकार		विभागाध्यक्ष	450-	ļ		(i) भारत के चार्टेड	ख) जीहाँ	,	विलयन जिसके	सदृश पद धारण करनेवाले अधिकारियों	
	व मुख्य	ļ		23900			अकाऊण्डन्टस संस्था या लागत	ग) नहीं		अभाव में	या 17500-22300 रू. वेतनमान में	
	लेखा				ĺ		एण्ड वर्कस अकाऊण्डन्टस ऑफ		•	प्रतिनियुक्ति द्वारा,	उस ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा	
1	ाधिकारी]			इंडिया के सदस्य ।			इन दोनों के	के साथ या 16000- 20800 रू.	
1 '	नटगरी -	1								अभाव में सीधी	वेतनमान में पद धारण करनेवाले महा	
11	पोर्टस)	1				į	(ii)			भर्ती द्वारा	पत्तन न्यास के वित्त विभाग में तीन	
							औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी				साल की नियमित सेवावाले इसके.	
							उपक्रम में वित्त, लेखाकरण क्षेत्र में				लिए योग्य होंगे ।	
							कार्यकारी काडर में पन्द्रह साल का				प्रतिनियुक्ति के लिए सदृश	
ŀ	j		i				अनुभव ।				पद धारण करनेवाले अधिकारियों या	
1		ļ				İ					वित्त विभाग में 16000-20800 रू.	
i		ĺ	Į			İ					तथा ऊपर वेतनमान पर उप मुख्य	
i					}						लेखा अधिकारी पद के अधिकारी या	
-											समतुत्य पदधारी जो सरकारी/	
	İ				1	İ					अर्ध सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम या	
		1			1						स्वायत्त निकाय में उस ग्रेड में तीन वर्षो	
1		1	1	ļ	-	}		ļ			की नियिमित सेवावाले इसके लिए	
		1		İ				ĺ		}	योग्य होंगे ।	
						ł				į	चयन योग्यता के अनुसार होगी ।	
											ए सी आर के समग्र ग्रेडिंग में कसौटी	
		ĺ		ł	1				ĺ	Ì	"बहुत अच्छा" से कमन हो ।	

ई डी प के द्वारा भर्ती के किया जाना	टिप्पणी	[भाग II—खण्ड 3(i)
मान के ग्रेड में 1 प्रोग्रामर से 75 रू. मंचारियाँ जो ई ग्राग में अपनी की नियमित ग्रँ ४६०० – श्रेणी पद	13 विश्लेषक प्रोग्रामर के वर्तमान पद सहायक निदेशक (ईडी पी) के पद में पुन: पदनामित किया है।)] भारत का राजपत्र : असाधारण

क्रम सं.	पद् नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती केलिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयम/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (ठर्षों में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टिप्पणी	-ব্রুণন্ <u>ভ</u> 3(i)]
6	2 सहायक निदेशक (ई डी पी)	3 2	4 श्रेणी	5 9100- 250- 15100	6 चयन	7 30	ह अनिवार्यः (i) एक मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय / संस्था से कंप्यूटर इंजीनियरिंग / कंप्यूटर विज्ञान की डिग्री । या गणित/सांख्यिकीय/प्रचालन अनुसंधान / अर्थशास्त्र में डिग्री के साथ एक मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय / संस्था से कंप्यूटर आप्लिकेशन / कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा । वांछनीय : (i) गणित/सांख्यिकीय/प्रचालन अनुसंधान / अर्थशास्त्र या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सिस्टम्स या सूचना सिस्टम या एम आई एस या सूचना प्रोद्योगिकी या कंप्यूटर आप्लिकेशन या व्यापार आप्लिकेशन (स्नातकोत्तर डिग्री कि साथ सूचना सिस्टम या एस आई एस या सूचना प्रोद्योगिकी तथा संबंध विषय में मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय / संस्था से विशेषज्ञता । (ii) प्रोग्रामिंग / इलक्ट्रोनिक डेटा प्रोससिंग/सिस्टम विश्लेषण आदि में दो माल का अनुभव ।	9 क) नहीं ख) जी हाँ ग) नहीं	री वर्ष	21 अगस्त, 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा 33 1/3% पदोन्नित द्वारा 66 2/3% 21 अगस्त, 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा 66 2/3% पदोन्नित द्वारा 33 1/3%	12 8600-14600 रू. वेतनमान के ग्रेड में तीन वर्ष नियमित सेवावाले प्रोग्रामर से पदोन्नति या 6170-11975 रू. वेतनमान के श्रेणी III कर्मचारियों जो ई डी पी / यो. एवं. अ. प्रभाग में अपनी शाखा में तथा पाँच साल की नियमित सेवा उस ग्रेड में हो, जहाँ 8600-14600 रू. वेतनमान के श्रेणी II पद वर्तमान नहीं है, से पदोन्नति ।	13 विश्लेषक प्रोग्रामर के वर्तमान पद सहायक निदेशक (ईडी पी) के पद में पुन: पदनामित किया है।	भारत का राजपत्र : असाधारण

ऽम्रू र्राए ह्नीक

	तिष्मण्डी	ग्राइ कीष्ट्रनितिष्\म्य न्नि निर्माट	स्पर्वा कि प्रमात्त्रका (ब स्स	कि प्रधिभा	कि पिथ थिति क	्राजीर्क किम धिक	सीयी	F121F	नामम्भ	एप्रक्रीफ	कि फ़ि	ᄪᆙᄝ	H-Ag
		क्र में इस मतनी में निमाम के किय	√निह€र ाम किम थिक्ष	भवधि	सिए आवरवक	काशीह क्रीरोधनी	मध्य	ΠE	(ध्यंत्र)		संख्या		12
		। प्रह्माच्या आसा व्यक्ति	(वस्पयन	(ਸੋਇ)	, हुगस्ट(क	ग्राप्तकर्ग छ एन्छ ह ग	,ग्रन्जिक	- र्गाः					
			(छाडू कीष्ट्रनिहिष्ट		क्मिशिष्ट (छ		3.53	타하고		•			
					ग्राम्बर्गाए		हुगार						
			:		ग) अनुभव		і нП,						
					∖ होह्र⊊म		ॉलक)					•	
					विस्तर्भ		(ř	ı					
[] []					िमाम क्र कीष्टनिर्हार गर्भ गर्भ			,					
	٤1	CI			में लागू होगा				•				
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY	<u> </u>	21	11	01	6	8	L	9	ς	b	3	Σ	<u> </u>
題川		डर्ष मामम्पर्क .ऋ 00121-0019 हाइम्हर्म द्राधानी के ज्या ज्या है	म क्सकी छाडू जीहरूप	Þ	(क) नहीं	:श्रायम्।स	۶٤	<u>ተለው</u>	-05401] flogs	τ	कार्यन्त मह	L
門貝		िराधावकी तसीयनी कि स्ताप्त व्यंप में सं(सा कि है) क्रम्पती कारकार	भेने पर विसथन/ इंक्ट्रिया क्रियानीय		। कि कि (छ)	म् एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यात्य /सस्था मे			-00£			(1) (1) (1)	
Ö		र्फ (कि है) काष्ट्री कागड़ प्र -0019 रूप रिड़ र क्सारी शिह्य	निह ,छाडु क्छाकृनीकीर मिथ विशेष में सायाद ई		हिम (π)	। प्रिष्टी कि नाइनी प्रद्रायके (ग्रीधनीकिट्टे प्रद्रायक			05491				
<u> </u>		-0012 가 다음 다 하라지 이지다.	क्रमाव में सीमी मती			LIE.							
ᅙᆘ		कि नियमित सेवा के साथ तथा	ារខ្			महाप्रक्षिक् भारतात्म अनुसरात्म अध्यास म							
$\forall \parallel$		9100-12100 € 6₫				मजाछवि छड़ि साथ तक मान के प्राप्त कि हिडी स्परांच \ हार्यक्रियाद गुरुपंत है प्रवार							
舀		म् मामम्बर्क ज 0001 -008				15पूर्यक नाष्ट्रकिनीमः 15पूर्यक में 1841में 1यस्थिन स्वित्तान्त में किसीरिकीर स्टास्प (नास्त्री							
K		िममस् की ।पासर.भः चेत्र .(कि ∤ सिडिड्रे				। ामिन्न्य अनिकासन में किपिडिए एम्बूप् \माद्रवी ए							
AC II		क्तपृभ कि लाम डाप्ट में ाछा।इ				\माष्ट्रकिंग्गार उठ्गणक ष्टाम की हिंडी में गंग्रीष्टनीहिंडू							
滋Ш		नियमित सेवावाले सहायक निरेशक				मार फिम्नाम में किगोडिंदि निम्भू\नाइडी प्रदूपक							
ŽΠ		। हीरू हि (फि हिड्डे)				मिन्न्डी फ़्लिम / संस्था मे स्माक्की राज्ञान							
AR.		सद्या पद या सहायक निदेशक				मञ्ज्ञमी\ाम्बीमर्षः ।ऽई कनीठूकाञ्ड\ गम्मीएर्षः (ii)			:				
اا ج		काष्ट्रिमी कणात्रम (गिटिड्रे)				ज्ञांप में हिंदे तथीं हम एक्टिए हो इनार महासही							
		(अनुसंधान) तथा अन्य समतुत्य				साख या अनेमव ।]		:				
		6 व्याप्त 9100-15100 महम्म				ः क्षान्यः							-
		र्कमाप्न फन्न में नामफ्त क्र टमंगम्पर फंन्ग्रिक्				ाष स्त्राष्ट्रेस्ट \नाश्ममृस्ट नलामर\किष्ट्याम\त्राणाः (i)							
		क्षात नियमित सेवावाले अधिकारियों				ाष सम्परम्भी वि ग्योधनीति इ उद्गयन वि माह्ने उद्गयन							i
PAF		ार्यास्तर । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस				सूचना मिस्टम या एम आई एस या सूचना प्रोट्योगिकी							
I I		L was to row to come to				नाष्ट्रकिन्गीम्ध प्रामाळ ाष्ट नाष्ट्रकिन्गीम्ध प्रद्रुघनक ॥							•
						रिही फ़र्किनाम में (स्मिन्ग्डी/सिंडी फ़र्किनाम)							
[Part II—Sec. 3(i)]						के माथ मूचना मिस्सम या एस आई एस या सूचना							
3						हम्ही मार किम्पार्ट में घटही शहें स्था कि किपीर्टिट हम्मिल्स के प्रधार प्रमास्त्र					:		
33 11		T			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	विद्यालय /सस्था मे विशेषज्ञता ।							

पद नाम	पदी की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षों में)	एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोत्रति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	ष
				6	7	8	9	10	11 पदोन्नति द्वारा जिसके	12 10750~16750 रू. वेतनमान की	13
2 चिरिष्ठ उप निदेशक (ईंडीपी)	3	4 श्रेणी 1	5 13000- 350- 18250	चयन	40	अनिवार्यः (i) एक मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय /संस्था से कंप्यूटर इंजीनियरिंग/कंप्यूटर विज्ञान की डिग्री । गणित/सांख्यिकी/प्रचालन अनुसंधान/ अर्थशास्त्र में डिग्री के साथ एक मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय /संस्था से कंप्यूटर आस्तिकेशन / कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा । ग इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ कंप्यूटर आस्तिकेशन / कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय /संस्था से स्नातकोत्तर डिप्लोमा (ii) प्रोग्रामिंग /इलबट्टोनिक डेटा प्रोप्तसिंग/सिस्टम डिसाइन आन्ड विश्लेषण एवं संबंधित क्षेत्र में नौ साल का अनुभव । गंछनीय : (i) गणित/सांख्यिकी/प्रचालन अनुसंधान/ अर्थशास्त्र या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सिस्टम्स या सूचना सिस्टम या एम आई एस या सूचना प्रोद्योगिकी या कंप्यूटर आस्तिकेशन या व्यापार आप्तिकेशन (स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा) में स्नातकोत्त डिग्री के माथ सूचना सिस्टम या एस आई एस या सूचना प्रौद्योगिकी तथा संबंध विषय में मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय /संस्था से विशेषज्ञता ।		त्रे	न होने पर विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा	चार साल नियमित सेवावाले उप निदेशक (ईडीपी) जिसके अभाव में 10750-16750 रू. वेतनमान के उप निदेशक (ईडीपी) जिन्हें उस ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा हो तथा संयुक्त रूप से 10750- 16750 तथा 9100-15100 रू. वेतनमान में ई डी पी के अपनी शाखा में नौ साल की नियमित सेवावालों से पदोत्रति । सदृश पद या उप निदेशक (ई डी पी)/ उप निदेशक (अनुसंधान) तथा अन्य समतुल्य पदवाले 10750-16750 रू.वेतनमान में महापनन न्यास के ई डीपी/ यो. एवं अ. प्रभाग में चार साल नियमित सेवा किए अधिकारियों से विलयन/ प्रतिनियुक्ति ।	

मराइन विभाग

क्रम पद नाम सं.	पदों की संख्या	वर्गीकरण	(रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षों	सीधी भर्ती केलिएनिर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोत्रति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के भामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टि प्पणी
1 याइलट	3 11	4 श्रेणी	5 14500 - 350 - 18700	6 लागू नहीं		अनिवार्यः (i) पोत परिवहन मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा ज़ारी की गई विदेशगामी जहाज़ के शास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र या पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त समतुल्य योग्यता होना चाहिए । (ii) विदेशागामी जहाज़ के मास्टर/मुख्य अधिकारी के रूप में एक साल का योग्यतोत्तर अनुभव ।	मामले में लागू होगा 9 लागू नहीं	2	।। सीधी भर्ती द्वारा	12 लागू नहीं	13

							कोचिन पो	र्ट ट्रस्ट				ì
क्रम सं.	पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयम या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती केलिएनिर्घारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोज्ञति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नित/विलयन/प्रितिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टि प्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	कम्पोसिट रीति द्वारा विलयन	18500-
2	हार्बर मास्टर		श्रेणी	17500- 400- 22300	चयन	45	अनिवार्यः (i) पोत परिवहन मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा जारी की गई विदेशगामी जहाज़ के मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र या पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त समतुल्य योग्यता होना चाहिए । (ii) पाइलट लाइसन्स धारण करनेवाला होना चाहिए तथा विदेशागामी जहाज़ के मास्टर या पाइलटिंग एकत्रित होकर 6 साल का अनुभव होना चाहिए ।	(क) नहीं (ख) जी हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	कम्पोसिट रीति द्वारा विलयन जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति तथा दोनों के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा ।	में सदृश पद धारण करनेवाले अधिकारी या 14500-18700 रू. वेतनमान की सदृश पद धारण करनेवाले पाइलट जिन्हें महा पत्तन न्यास में उस ग्रेड में पाँच साल का	450- 450- 23900 रू. वेतनमान के वर्तमान पदधारी

क्रम पद नाम सं.	पदो की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षों में)	सीघी भर्ती केलिएनिर्घारित शैक्षिक एवं अत्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोत्रति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टि प्पणी
1 2 3 उप संरक्षक	3	श्रेणी [5 18500- 450- 23900	6 ਚਧ ਜ		ह अनिवार्यः (i) पोत परिवहन मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा ज़ारी की गई विदेशगामी जहाज़ के मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र या पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त समतुलय योग्यता होना चाहिए । (ii) पाइलट लाइसन्स धारण करनेवाला होना चाहिए तथा विदेशागामी जहाज़ के मास्टर या पाइलटिंग एकत्रित होकर 8 साल का अनुभव होना चाहिए ।	9 क) नहीं (ख) जी हाँ । (ग) नहीं	10 लागू नहीं	पर प्रतिनियुक्ति तथा दोनों के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा ।	विलयन के लिए कम्पोसिट रीति द्वारा सदृश पद धारण करनेवाले अधिकारी या किसी महा पत्तन न्यास में 17500-22300 रू. के वेतनमान ग्रेड में 2 सालों की नियमित सेवा सहित हार्बर मास्टर का पद धारण करनेवाले योग्य होंगे । प्रतिनियुक्ति के लिए सदृश पद धारण करनेवाले अधिकारी या सरकारी / अर्ध सरकारी / सार्व जिनक उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों में 17500- 22300 रू. के वेतनमान गेड में 2 सालों की नियमित सेवावाले हार्बर मास्टर तथा इसके समतुल्य डेक साइड का पद धारण करनेवाले योग्य होंगे । चयन योग्यता के अहिंगी । ए सी आर के समग्र ग्रेडिंग में कसौटी '' बहुत अच्छा '' से कम न हो ।	13

क्रम सं.	पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षो	एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षो में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रितिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	समुद्री इंजीनियर	12	श्रेणी ।	14500- 350- 18700	लाग् नहीं	40	(i) मर्चन्ट शिप्पिंग अधिनियम 1958 के अधीन जारी किया गया एम ओ टी प्रथम श्रेणी मोटोर प्रमाण पत्र । (ii) एक विदेशगामी जहाज पर मुख्य इंजीनियर / द्वितीय इंजीनियर के रूप में एक साल का योग्यतोत्तर अनुभव		2	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	
5	उप समुद्री इंजीनियर	1	श्रेणी ।	10750- 300- 16750	नहीं		(i) मर्चन्ट शिप्पिंग अधिनियम 1958 के अधीन जारी किया गया एम ओ टी प्रथम श्रेणी मोटोर प्रमाण पत्र (ii) एक विदेशगामी जहाज पर स्वतंत्र वाच कीपिंग इंजीनियर के रूप में दो साल का अनुभव	लागू नहीं	2	सीधी भर्ती द्वारा	Cing ser	

[PART II—SEC. 3(i)]

535 र्डिंग म्मीक

-11													
	1	। मिन्ह के मिक्धीस्ट निार्टिग्रक एगाय						T	1	Τ		 	
$\ $		इप प्रधनीहिं हिसुस पर धाम के विभ											
$\ $		हमोद्धत कि जिए ४ में समन्द्रह <i>के</i>	1			छः साध या अनैमव ।							
$\ \ _1$		पत्तन न्यास में 10750-16750 ह.				1							
$\ $		छिम फिक्ने एर मिक्सीस रिक्निक				हिन्छ प्र ए होड़र मिगाएईटी (ii) में एक के प्रधनीरिष्ट गिगिक छाठ					}		
		एआध इम एड्स तमिएनिर्नार\मधलमे	र्क स्टिंह ,छाड़			हिन्छ प्र हाइस मिगापष्ट्री (ii)							
			इक्षा किया				166110	1					
		। निर्माह्म में हम प्रमितिक दिस्स पर	पर विलयन\		किम (ग)	TOTAL MOR PURBLIS IN P	_					प्रधनीय्हे	
		हाराष्ट्र हमीएने कि लाए ४ में इर्र	_			एएमए मंडीम विषक्ष इतिहा डि कि मण	₩		18250			ि भिम्म	
		नामन्त्रक कं. ज 02731-02701	দ্যেহ্ন নীর্নাইদ	7	ि हिम् (क)	1958 के अधीन जाती किया गया	विष्	E	320-			34	
\prod					(<u>+</u>)	मण्निशिष्ट गंग्गिष्ट प्रनेम (i)	07	pp-	13000-	I fluk	!	<i>ठ</i> गीह	9
$\ \cdot\ $	£ I	15	11	10	6	8	L	9	ς	Þ	ε	**	
П												7	
							(¥						
			(ग्राइ		नगू होगा		(वर्ष्यू						
			क्तीष्ट्रभितिष्ट 	(<u>þ</u>	\म्थलन्नि \ म् क्षिमाम क् क्रीपृतीकीर		En- IPIB						
			विस्तयम्	føs)	नीहरिष्ठ वयनुस् (प		म्बर आयु	Lhh					
		। प्रहीाम	∖शीह्र∳म ाष्ट्र किम	धीघार	ग्राप्तप्रक किन्नीह (छ		ग्राजी <i>र्क</i> जन्म	- 7ft Fफ़क्र			4641		
	Ilnho 3i	माए एकी ड्रेड में ड्रिस में से हमाम	किया सीक्षी	(a ⊳	अावश्यक क)आयु ,	व्राप्तकर्मक व्यन्त हेव	班组	IIZ	(₽₽ <i>n</i> ₹)		कि क्रिक्		-њ
L	पिक्य दी	कं तिम एड क्रिक्नितिष्र\मण्जन्नी\नीस्प्रेम	कि कि कि	परिवीक्षा	मुन्ते क किए थिपि एक	कछोष्ट ह्योधहोग्हीकं फिप थिपि	म्या	नक्षन	व्यनमान	ाण,स्नीम् <u>न</u>	(\$P	ਸਾਸ 5₽	₽π₹ π
											- :		

$\overline{}$
⋲
36
<u></u>
捕

4													
	Î	हिन मक हें '' बब्दार तर्ह्वक '' डिसिक में गडी सं समप्र											İ
		क्यन योग्यता के अनुसार होगी। ए सी आप के				। घरिष्ट कर्मुभेव ।	i						
- 1		। मिंड धर्मा नाहमान कार्य हो।		ļ		कि मिंगि दें में एक							İ
		र्क्सड़ में ग्रीधमीदिइ ट्रिम्स 1थित शिक्तधीर जिल्लिक				क प्रधमीएई छिन्दी							1
ll li		ण्याय प्रमानिक समुद्र हेमीन निमान क्यापन एक स्थित			-	इंगीनीयर तथा							1
ļļ		4 में इर्स नामनके कें .ऋ 00781 -00241 में किंकिनी				अनेमव गा मेख्य		}					
	मिन क	क्ताया से प्राक्ति होसे / प्राक्रम ए से प्राक्रिक्त	ਸਦੀ ਫ਼ਾਹ	,		कि किस ग्रह							
ll ll	मुज्वाध्यु	प्रतिनिधान करनेवाले सङ्ग्र पर धारण करनेवाले -	धिपि में घापर			र्म एक के प्रधनीरिहे							
	मि एक स्ता		क् मिट्ट गथा			जहाज पर मुख्य	ļ	ļ	İ				
	विभागाध्यक्ष	। गिर्फ ,	ग्रिट्ट क्लिप्टमीती ए			मिगगष्ट्री (ii)	-					į	
	अर्थात्	मणन माने भी अधिकारी से प्राप्तिक से प्राप्तिक स्थापन	ਸ਼ ਜਿਨਾਸ਼			l <u>E</u> h						<u> यध्य</u>	
_	मिन्नि पुगान कि न	र साल फ्रांसिट हेचीन निहास समुद्रे इंजीनियर का पर	गिकाम इनस् प्र			ागमर र्गर्जाम रीण्		İ				<u> भिमुद्</u> ग	
धारव	किमाम के द्रम	में इर्र नामने के कि 18700 के कि ने ने कि में	र्मह म क्समी			मधर 5ि स्टि स्प्र) फ़िलिए इं	
असाधारण	हेग कि माम	िकसी महा पत्तन न्यास में सङ्ग पद धारण करनेवाले	দাহু (*)		हिम (ग)	जारी किया गया						्रमेल्य	
	¥ p 3	। जीहरिय के इप	ज़िए विलयन		। हि	निधिम्ह र्क 8291	!			·		उष्टिम	
राजपत्र	भिष्मागम्ह	र्क प्रभाग सेवा के साथ मुख्य इंजीनियर या समुद्री इंजीनियर के	क होरि उम्रीस्पक	। हिम	<u>দি</u> (ছ)	मफनीछीरू एंग्रीडी			20800			<u> हिम</u> म्म	ĺ
	ръ (*)	कि लाप ४ में द्वर नामन्त्रक के .ऋ 00781-00241	ाष्ट ।ग्रञ्ज शह ्य	नुगार	हिम (क)	5-b म (i)	77	<u>चक्ष</u> न	-00091	I ffré	I I	<i>ह्या</i> कि	<u>L</u>
त का								_					i i
भारत	£1	71	11	10	6	8	L	9	\$	Þ	€.	7	+-
				Í	प्राप्त में लिमाम होगा								
					क कीष्ट्रनिहीए १४५८ १६ ८ ४००								
ľ					विध्यतम्\							1	
				,	\ जीहाईम	·	(É						
1				1	कम्मुस (ग		क्विं						
			(/-	ख) शायाय योगसमाय		माम् समा						
			्राष्ट्र स्मिष्टनिहीर	[म्बर्घ <u>(</u> स्	, ष्टाम्स् (क काशीष्ट्र (छ		ļar€.	सत्रन					
3(i)]			\চীহ্নচুদ \	भिन्द्र	अ <u>विक्र</u> ंतक	ग्राप्तकपि स्टब्स् ह्य)म्ह ीर्क	- र्गाः			ाष्ट्राम्		
3(। प्रजीक ानाक किसी जुन के ठर्स फरी	क्या सीदी मतीया	્રાપુક	प्रही के कि ए	क्निशिष्ट ह्यीयिन्याक्	मध्य	ΙĿ	(६फऋ)		file.		н
-මුගල	प्रिवकः दी	में र्रिमाम के फिम ग्राइ कीप्रनिशेष/म्याज्ञी/तीहरिम) तकिक तक किम	परिवीक्षा	क्या सीधी	किथ विभि	म्मुह्म	स्यम्	-।मम्भ्	ए)तमीक	ĺşμ	PITE SP	h4g

<u> ५५५ र्ड्स</u> इस्ट

<u> इमरू र्राप म्मीक</u>

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]		मिक्स ए फ्रिक्स के मिक्स में होंगे उस्पाप्तक मिक्स ए फ्रिक्स के मिक्स में होंगे उस्पाप्तक मिक्स ए फ्रिक्स ए प्राय इप कि काम में मिक्स ए प्राय इप कि 00802-00001 में साफ मुक्स कि काम । में इर्स मामक के कि फ्रिस्स फ्रिस्स के क्षित के फ्रिस्स के क्षित के क्षित के क्षित के क्षित के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि	अभापक प्रीह के जीए तेंड़ न फलकी जन्म के में त्रीह न केमची सें किम के में काम के में भाषी भारी 1 गड़	लगा नही	िंह (फ (छ) हिंह (π)	ते किया है। इस्टिस (1) किया प्रमान (1) कि किया गया एक किया माधित किया गया एम अपी मोडिस किया गया है। इस्टिस अपी मोडिस किया गया । इस्टिस कि अपी मोडिस के प्रमान के प्रम	84	מא	00872	Luck		ग्युक्त इन्होसिस् अधीक्षक	0
GA		म्हेंस , महें के नियन के लिए , सहुश	5म्री[प्यत्क			ाम्मीद्री ऽन्हम (i)	817	는RE-	00571	1 flux		रिमुम	8
HI.	£1	. 71		01	6	8	L	9	ς	Þ	٤	7	1
	क्षियम् दी	में निमाम की किथ ग्राड़ कीष्ट्रिकीय\नष्टिकी (निष्टिप । ग्रहीए । ग्रिस । । ग्रहीए । ग्रिस । । ग्रहीए । ग्रिस । । ग्रहीए । । ग्रहिए । । ग्रहि	तकीत कि सिम (क्या एक) भीत्रदिय का सिम प्रस्तिमित सिम्प्रम्	कि सिम् अनस् (में मिन्)	ற்நனர் கைழி (த தசத்ச (ர \நனத் \ நின்ற ந்பா க் கிழ்நிநி பாத் நூத் பி	कड़िष्टि कप्रीप्रसीगजीक किए थिमि ग्राहाफांक घनस्ट ह्य	सिम भूरतिक उच्च धापु समम (वर्षे	नयन ग्री नयन	नामम्बर (इन्द्र्य)	क्रमिक्स्थ	रूप कि एख्स	#11는 농사	н ж .н́х

49						ाक लाम दे में नामक्रम ग्र भ्रमुम्स (iii) क्ष्मिंग लाजेड-ग्रेड मिस्ट अंगल वाषिग में (हिन्जेड कि मि मिस्ट में (हिन्जेड कि मि			~				
भारत का राजपत्र : असाधारण		। हैं छपड़ उन्हाम निवाव मिक्स हमी हमी मिक्से , प्राती के स्मीधुनितीए \म्छात्त्र हो 00781-00241 में माध्य नित्म हिम कि उन्हाम में इसे नामन्त्र के उन्ह गिकधीस्ट निव्हिम्ह एपाथ प्रमुस । पिंड छपड़	्रागड़ क्षिष्टनितीर में वाष्टर र्क क्रिट्ट गणड़ किष्ट क्रिट्ट गण्ड किष्ट थिपि	िमि जिन्मिर क एजि	ा हिं कि (छ) हिंF (π)	कि मिल् प्राव मत्कम तम , में निहें मिन में कि में में में निहें मिन के कि में मुस्स माण में में के के के उन्मम में में कि के के उन्मम में में में में में में में में में में में में में में में में में में में			00£ZZ -00\$ZT	ा गीण्€	Ţ	क्रांड स्ट्रिंग स्ट्रिंग (जन्मीर	6
भारत		र्क लिए २ में इंध् , प्राजी र्क नीहांड्रम	'	7	9 हिम् (क)	8 मिल्लासम् म्ड्राम् प्रिम् (i)	5 tr	<u>숙성</u> 국 9	ς	 	٤	ž	ī
[भाग 11—खण्ड 3(j)]	धिष्णम् दी	र्क किए छाड़ क्तिप्रनीशीप्र\म्घनकी\तीहर्ष्ट्रप ामार ाधकी ड्रम्च क्रिक्सि में निमाम । प्रज़ीाम	ाक्क) तकित । क किथ \नीह्मंत्रम १४ किथ किथ \नग्महो (1915 कीष्ट्रनितीय	ाशकिरीए धीकार कि (में फिक)	545 र्रिम म्ह प्रजी के तिम थिपि एक , ष्टास्ट क काष्ट्रवास प्रोतिकार्थ काशीष्ट (छ कम्हस्ट (ग नियमि के कीष्ट्रिमीय नियमि के स्वीत्यान	काशीर्ष क्रोगियनीग्रजीकी क्रिम विक्री ग्राप्तकर्गक ष्टन्स क्रंग	सीधी मन्म केन्द्रिय उच्च समम (वर्ष्ये	म्ब्रह्म प्र - प्री चयन	मामम्प्रह (र्षपञ्च)		ॉटम कि ग्रष्टाम	hi⊭≯b	hÆ Ĥ

क्रम पदनाम सं	पदा की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षो	सीधी भर्ती केलिएनिधरित शैक्षिक एवं अन्य योग्यनाएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षी में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोज्ञित/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	ਟਿ ਧ਼ਸ ਯੀ
! 2 10 प्रबन्धक (समुद्री प्रदूषण नियंत्रण)	3	श्रेणी !	5 17500- 22300	6 चय न		हाज पोत परिवहन मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा ज़ारी की गई विदेशगामी जहाज़ से मास्टर के रूप में सक्षम प्रमाण पत्र धारण करनेवाला या पोत परिवहन मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त समतुल्य योग्यता धारण करनेवाला हो । (ii) पाइलट लाइसन्स के साथ एक विदेशगामी जहाज़ में मास्टर के रूप में या पाइलटिंग या संचयमान में 5 साल का अनुभव । (iii) हान्डलिंग लार्ज टैंकेर्स तथा क्रूड ऑयल वार्षिंग प्रोसस (सी ओ डब्लियु) में अनुभव ।	9 (क) नहीं (ख) जी हाँ । (ग) नहीं	2 (सीधी भर्तीवालों के लिए)	पदोन्नित जिसके न होने पर विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नित के लिए, ग्रेड में 5 सालों के नियमित सेवावाले पाइलट योग्य हैं। विलयन/प्रतिनियुक्ति के लिए, किसी महा पत्तन न्यास में 14500-18700 रू. के वेतनमान ग्रेड में पाइलटों का सदृश पद धारण करनेवाले अधिकारी योग्य होंगे।	13

क्रम सं.	पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षो में)	सीधी भर्ती केलिएनिर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोत्रति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टि प्प जी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	मास्टर (एन सी वी) के साथ 3	13
11	ड्रेडजर कमान्डर	4	श्रेणी	14500- 350- 18700 एफ जी धारण मास्टर के लिए 13000- 18250 दूसरों के लिए	चयन	45	कम से कम 6 महीनों के लिए मुख्य अधिकारी के अनुभव के साथ विदेशगामी मास्टर प्रमाण पत्र धारण करनेवाला या ड्रेडजरों में 2 साल के अनुअभव के साथ ड्रेडजर पास्टर ग्रेड - 1 का सक्षम प्रमाण पत्र धारण करनेवाला या ड्रेडजरों में 2 साल ों के अनुभव के साथ एस सी वी मास्टर का सक्षम प्रमाण पत्र धारण करनेवाला या भारतीय नौसेना के कार्यकारी शाखा में कम से कम 7 सालों के समुद्री सेवावाले लफटनन्ड कमान्डर/कमान्डर का पद धारण करनेवाला अधिकारी	आयु : नहीं योग्यता: जी हाँ । अनुभव: जी हाँ	2	पदोन्नति जिसके न होने पर विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा	वर्षों के अनुभववाले मास्टर टंग की ग्रेड से या मुख्य अधिकारी से या पाँच साल के अनुभव के साथ मेंट (एफ जी) से पदोन्नित	

भारत का राजपत्र : असाधारण

क्रम सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनगान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षों	सीधी भर्ती केलिएनिर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोत्रति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षो में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोत्रति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टि प्पर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ड्रेडजिंग मास्टर (मोबाइल ड्रेडजर)	1	श्रेणी ।	9100- 250- 15100 प्रथम श्रेणी के इनलन्ड मास्टरों के लिए	चयन	35	प्रथम श्रेणी के इनलन्ड मास्टेर्स प्रमाण पत्र (क) एस एस एल सी सहित	आयु : नहीं योग्यता: प्रथम श्रेणी से इनलन्ड प्रमाण पत्र सहित कॉलम 8 की तरह अनुभववालों को छूट ।	_	पदोत्रति जिसके न होने पर विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के अभाव में सीधी भर्ती	मास्टर टगों से स्थानान्तरण पदोन्नति द्वितीय मास्टेर्स/ नाविगेषन मास्टेर्स (प्रथम श्रेणी) / कनिष्ठ टग मास्टर से पदोन्नति	
3	मास्टर ट्रग	3	श्रेणी !	मास्टर (एन सी वी) 10750- 300- 16750 इनलन्ड प्रमाण पत्र	चयन	35	मास्टर (एन सी वी) या विदेशगामी जहाज़ के मेट के रूप में सक्षमता	आयु : नहीं योग्यता: जी हाँ । अनुभव: नहीं	2		1000 बी एच पी या उससे अधिकवाले टगों पर 7 सालों का अनुभववाले कनिष्ठ मास्टर ऑफ टग्स से पदोन्नति	
				होनेवालों के लिए 9100- 250- 15100								

54 5	र्डिंग	म्मी र ि
-----------------	--------	---------------------

[भाग II—खण्ड 3(i)]	. जाव	3(1)]		भारत का राजपत्र : असाधारण	e ni
	ि रिक्स डी			13 कि गगभ गिनकनार । गन्हें	— т
	क फिर पाइ तीपृतीतिष्(नयर)तीरहिंद्र । निष्ण किसी हेड से इस सन्हीं में कियाय	। ग्रहीाम		12 रिवाचित क्षिकति कि कि कि ट स्थाप्त क्षिकारी/पुरक्षा सीस् सिंह्ये के स्टिशास्ट्रिय	
	क्या (क्या	मीधी मती या पदोत्रित्रि विलयन\	कीश् नितिप्र (ग्राइ	11 .	
	ाक्षक्रिग्रीए ।धीह्मस् क्षि	(ਸੋਇ)		7	
	किथ धिक्षि एक ग्रनी की	क्ष्यवस्य , हाम्स्(क क्ष्रीष्ट्रं (छ	ग्राप्तकाफ	9 अमु : मही योग्यता: जी हाँ । अनुभव: नहीं	
ऽग्रू र्रिक म्झीक	द्राधिक	ग्राप्तम्पविष्ट ह्य		8 . मि. सुरा से प्रकास के किया के प्रकास मान () . मि. सुरा से . . मि. सुरा से . . मि. सुरा से . . मुगाम, किंगका किंग सीस घाषुए () . में प्रिक्त के सिक प्रीप्त घाषुए () . में मक्छिंग गिनके से एक घाषुए () . में मक्छिंग गिनके से एक कार्गिक कार्म के के हैं में किंग से कार्गिक कार्म के कि मिलके से एक से कि कार्म हैं मिलके से एक से किंग () . मिलके किंग के प्रकास में किंग से से से किंग से से किंग से से से से से से से से से से से से से	स्थानीय भाषा की जानकारी ।
	सीसी	मती केलिए उत्त	ин і), Йев) Д	\$ E	
	HR12	ार - र्गी स्पन		<u> 나라</u> 9	
	<u> मामम्ब</u>	(6pa)		00151 -057 -0016	
	ग्णिक्तीफ			1 flore	
	ĬŞÞ	कि क्षिम क्षि		1	
	मार इप			2 - क - कण अम स्थाप स्थाप क्रांप गिकडीस	
	H-7R	. Б		tΙ	

स ं.	द नाम पदे की संख्य		वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षो में)	एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षो में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोत्रति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोत्रति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टि प्पणी
। 15 सर्वेक्षव हाइड्रोग्र सर्वेक्षव	ग्रिक	श्रेणी I	9100- 250- 15100	चयन	35	हिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ समुद्री सर्वेक्षण में 5 साल का अनुभव	9 आयु:नहीं योग्यता: जी हाँ अनुभव : जी हाँ		ा पदोन्नति जिसके न होने पर विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के अभाव में सीधी भर्ती	वरिष्ठ समुद्री सर्वेक्षक से पदोन्नति	13

जम सं.	पद् नाम	पर्दों व की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती केलिएनिधीरित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू	परिवीक्षा की अवधि (वर्षो में)	भतीं का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नित/विलयन/प्रितिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	Han si
1	2	3	4	5	6	7	सक्षमता के प्रथम श्रेणी एम ओ टी प्रमाण	9 आयु:नहीं	10	पदोन्नति जिसके	12 समुद्री इंजीनियर ग्रेड में 3 वर्षो की नियमित सेवावालों से	
16	मुख्य इंजीनियर	5	श्रेणी !	14500 -350- 18700	-	40	पत्र ।	योग्यताः जी हाँ अनुभव : कॉलम 12 ^{र्} अनुसार	के	होने पर विलयन/ प्रतिनियुत्ति द्वारा, दोनं के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति हे	

क्रम पद नाम सं.	पदो वर्गीक की संख्या	(रूपये)	चयन या गैर - सीधी चयन लिके आयु (वर्षो	सीमा	कया सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू	परिवीक्षा की अवधि (वर्षो में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टि प्य
े सहायक कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत) समुद्री	3 4 1 श्रेणी [5 9100- 250- 15100	6 7 वयन 35		होगा	i s G di H	ाजसक न । होने पर । इ	ा2 प्रलोटिंग क्राफ्ट में 6 वर्षों के अनुभव के साथ कनिष्ठ इंजीनियर ग्रेड I (विद्युत) दिधारक से पदोन्नति	13

यातायात विभाग

						कोचिन पोर्ट	<u> </u>		याता	यात विभाग	
पट नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षी में)	सीधी भर्ती केलिएनिर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षो में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोत्रति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टि प्यणी
2 सहायव याताया प्रबन्धव ग्रेड 1	r	4 श्रेणी I	5 9100- 250- 15100	6 चयन	35	अनिवार्यः (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एक डिग्री वाँछनीय एक औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में शिप्पिंग /माल प्रचालन/रेल परिवहन में दो वर्षों का कार्यकारी अनुभव	9 (क) नहीं (ख) जी हाँ (ग) जी नहीं	दो	11 21 अगस्त, 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा 33 1/3% पदोत्रति द्वारा 66 2/3% 21 अगस्त, 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा 66 2/3% पदोत्रति द्वारा 33 1/3%	12 8600-14600 रू. वेतनमान ग्रेड में तीन वर्षों की नियमित सेवा के साथ सहयाक यातायात प्रबन्धक ग्रेड II / वार्फ अधीक्षक से पदोन्नति या 6170-11975 रू. वेतनमान ग्रेड में पाँच वर्षों के नियमित सेवा के साथ यातायात विभाग के अपनी शाखावाले श्रेणी III कर्मचारियों से जहाँ कि 8600- 14600 रू. वेतनमान के अपनी शाखावाले श्रेणी II का पद नहीं है ।	यातायात प्रबन्धक का वर्तमान पद सहायक यातायात प्रबन्धक ग्रेड I के रूप

क्रम पद्नाम सं.	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षो में)	सीधी भर्ती केलिएनिर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताए ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के	परिवीक्षा की अवधि (वर्षो में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोत्रति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टि प्यणी
1 2	3	4	5	6	7	8	मामले में लागू होगा 9	10	11		
2 वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबन्धक	4	श्रेणी !	10750 -300- 16750	चयन		अनिवार्यः (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री वाँछनीय एक औद्योगिक/ वाणिन्यिक/ सरकारी उपक्रम में शिप्पिंग /माल प्रचालन/रेल परिवहन में कार्यकारी काडर में पाँच वर्षों का अनुभव	(क) नहीं (ख) जी हाँ (ग) जी नहीं	दो	पदोन्नति जिसके न् होने पर विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा	9100-15100 रू. के वेतनमान ग्रेड	यातायात

सं.	वर्दों वर्गीकरण की ख्या	(रूपये)		सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती केलिएनिर्घारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु, ख) शैक्षिक बोग्यताएं ग) अनुभव पदोज्ञति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोत्रति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रितिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टि प्पणी
	3 4 2 श्रेणी I	5 13000 -350- 18250	6 चयन	7 40	अनिवार्यः (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री (ii) एक औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में शिप्पिंग /माल प्रचालन/रेल परिवहन में कार्यकारी काडर में नौ वर्षों का अनुभव	9 (क) नहीं (ख) जी हाँ (ग) जी नहीं	10 दो	ाविसके न होने पर विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा	12 10750-16750 रू वेतनमान ग्रेड में चार सालों की नियमित सेवा के साथ वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबन्धक से पदोन्नति जिसके न होने पर 10750-16750 रू. वेतनमान में दो साल की नियमित सेवा के साथ तथा 10750-16750 एवं 9100-15100 रू. वेतनमान ग्रेड में नौ सालों की संयुक्त नियमित सेवावाले यातायात विभाग के अपनी शाखावाले वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबन्धक से । किसी महा पत्तन न्यास में सदृश पद धारण करनेवाले अधिकारी से या 10750-16750 रू. के वेतनमान में चार सालों की नियमित सेवा सहित वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबन्धक पद धारण करनेवाले अधिकारी से विलयन / प्रतिनियुक्ति होगी ।	13 अपर यातायात प्रबन्धक का वर्तमान पद उप यातायात प्रबन्धक के रूप में पुन: पदनामित किया है ।

क्रम	पद नाम	पदाँ	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या	TA+A >- II	1 44 5 5 6 6				
स ं.	,	की संख्या		(रूपये)	गैर – चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षो में)	सीधी भर्ती केलिएनिधरित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती कें लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्निति/विलयन/प्रितिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से टि वह किया जाना चाहिए । प्प
	2 वरिष्ठ उप	3	४ श्रेणी ।	5	6	7	8	9	10	11	12
	यातायात प्रबन्धक			16000 -400- 20800	चयन		अनिवार्यः (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री (ii) एक औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में शिप्पिंग /माल प्रचालन/रेल परिवहन में कार्यकारी काडर में बारह वर्षो का अनुभव	(क) नहीं (ख) जी हाँ (ग) जी नहीं			कम्पोसिट रीति से विलयन के लिए , सदृश पद धारण करनेवाले अधिकारी या किसी महा पत्तन न्यास में 13000-18250 रू. के वेतनमान ग्रेड में तीन सालों की नियमित सेवावाले यातायात विभाग के अपनी शाखावाले उप यातायात प्रबन्धक या समतुल्य पद धारक से या यातायात विभाग के अपनी शाखा में दो वर्षों की नियमित सेवावाले उप यातायात प्रबन्धक एवं समतुल्य पद धारण करनेवाले तथा किसी महा पत्तन न्यास में 13000-18250 रू.एवं 10750-16750 रू. वेतनमान के यातायात विभाग के अपनी शाखा में सात सालों की संयुक्त नियमित सेवावाले अधिकारी योग्य होंगे । प्रतिनियुक्ति के लिए सदृश पद धारण करनेवाले अधिकारी या सरकारी / सार्व जिनक उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों में 13000- 18250 रू. के वेतनमान ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवावाले यातायात विभाग के उप यातायात प्रबन्धक योग्य होंगे । चयन योग्यता के अनुसार होगी । ए सी आर के समग्र ग्रेडिंग में कसौटी " बहुत अच्छा " से कम न हो ।

। पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षी में)	सीधी भर्ती केलिएनिधारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवरयक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोत्रति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टि प्प णी
्यातायात प्रबन्धक (काटगरी ॥ पोर्टस्)	3	4 श्रेणी विभागा ध्यक्ष	5 18500 -450- 23900	6 चयन	7 45	ह अनिवार्यः (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री (ii) एक औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में शिप्पिंग /माल प्रचालन/रेल परिवहन में कार्यकारी काडर में 15 वर्षों का अनुभव	9 (क) नहीं (ख) जी हाँ (ग) जी नहीं	10 लागू नहीं	ा कम्पोसिट रीति ज़रिए विलयन द्वारा जिसके न होने पर अन्य सरकारी संगठन से प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा ।	नियमित सेवावाले अधिकारी या 16000 -20800 रू. वेतनमान ग्रेड में तीन सालों की नियमित सेवावाले यातायात विभाग के अधिकारी योग्य होंगे । प्रतिनियुक्ति के लिए सदृश पद धारण करनेवाले अधिकारी या सरकारी / अर्ध सरकारी / सार्व जनिक उपक्रम या स्वायत्त निकायों में 16000 - 20800 रू.	Ţ

सं.	पदो वर्गीकरण की ख्या	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षो में)	सीधी भर्ती केलिएनिर्घारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षो में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टि प्पणी
6 कल्याण ।	श्रेणी 1	9100~ 250- 15100	चय न		अनिवार्यः (i) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से डिग्री (ii) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय /संस्था से सामाजिक विज्ञान में डिग्री / डिप्लोमा । (iii) स्थानीय भाषा की जानकारी । वांछनीय : एक औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में श्रम कल्याण अधिकारी/ औद्योगिक संबंध अधिकारी के रूप में दो वर्षों का अनुभव ।	क) नहीं ख) जी हाँ। ग) नहीं		21 अगस्त, 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा 33 1/3% पदोत्रति द्वारा 66 2/3% 21 अगस्त, 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा 66 2/3% पदोत्रति द्वारा 33 1/3% टिप्पणी: पदोत्रति लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर	8600-14600 रू. के वेतनमान ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा के साथ सहायक कल्याण अधिकारी/खेलकूद अधिकारी से पदोत्रति। या कार्मिक व औद्योगिक संबंध प्रभाग में 6170-11975 रू. के वेतनमान ग्रेड में अपनी शाखा में पाँच साल की नियमित सेवावाले श्रेणी ॥ कर्मचारियों से जहाँ 8600-14600 रू.के वेतनमान के श्रेणी ॥ पद	13

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

सीधी भर्ती केलिएनिर्धारित शैक्षिक

क्रम

पद नाम

वेतनमान

सीधी

यांत्रिक	एवं विद्युत इंजीनियरिंग वि	
परिवीक्षा	भर्तीका तरीका (क्या	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनि क टारा भर्ती के मामले
^	-0-0 	। ऋ यस धनाक मामल

ज्म पदनाम तं.	पदों की संख्या	वर्गीकरण -	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षो	सीधी भर्ती केलिएनिर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताए ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियु क द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टि प्पणी
ा 2 1 सहायक कार्यपालक इंजीनियर (यांत्रिक/ विद्युत/ इलक्ट्रोनिक्स तथा संचार)	3 9	4 श्रेणी [5 9100- 250- 15100	6 चयन	7 30	अनिवार्यः मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्था से यांत्रिक/विद्युत/इलक्ट्रोनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य वाछनीय : एक औद्योगिक/ वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कार्यकारी काडर में संबंधित शाखा में दो वर्षों का अनुभव ।	9 क) नहीं । तथापि मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय/संस्था से संबंधित शाखा में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अनिवार्य है । ग) नहीं	2	11 21 अगस्त, 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा 33 1/3% पदोन्नित द्वारा 66 2/3% 21 अगस्त, 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा 66 2/3% पदोन्नित द्वारा 33 1/3%	12 8600-14600 रो. वेतनमान ग्रेड में तीन सालों की नियमित सेवावाले सहायक इंजीनियरों से या 6170-11975 रू. वेतनमान में यांत्रिक तथा विद्युत इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित शाखा में पाँच सालों की नियमित सेवावाले ग्रेडों के श्रेणी !!! कर्मचारियों से जहाँ 8600-14600 रू के वेतनमान में उसी शाखा में श्रेणी !! पद न होनेवालों से पदोन्नति ।	(i) सुरक्षा अधिकारी के लिए अलग भर्ती नियम के साथ एक पद आबंटित किया गया है (ii) कल्याण अधिकारी के लिए अलग भर्ती नियम के साथ एक पद आबंटित किया गया है । (iii) यांत्रिक - 5 पद विद्युत - 3 पद

क्रम पदनाम सं.	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षो में)	सीधी भर्ती केलिएनिर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोत्रति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षो में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोत्रति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोत्रित/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह टि प्पर्ण किया जाना चाहिए ।	
1 2 2 कार्यपालक	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
इंजीनियर (यांत्रिक / विद्युत / इलक्ट्रोनिक्स तथा संचार)	7	श्रेणी I	10750 - 300 - 16750	न		डिग्री या समतुल्य (ii) एक औद्योगिक/	क) नहीं ख) नहीं। तथापि मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय/संस्था से संबंधित शाखा में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अनिवार्य है। ग) नहीं		सीधी भर्ती	9100-15100 रू. के वेतनमान ग्रेड में पाँच सालों की नियमित सेवावाले सहायक कार्यपालक इंजीनियर/सुरक्षा पद अधिकारी से जिसके न होने पर 9100-15100 रू. के वेतनमान ग्रेड में 2 सालों की नियमित सेवावाले सहायक कार्यपालक इंजीनियर से तथा आठ सालों की संयुक्त नियमित सेवावालों से जो 9100-15100 रू.वेतनमान ग्रेड में दो सालों की नियमित सेवा सहित हो तथा आठ सालों की संयुक्त नियमित सेवा सहित हो तथा आठ सालों की संयुक्त नियमित सेवा सहित शांत्रिक एवं विद्युत इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित अपनी शाखा में 9100-15100 रू. एवं 8600-14600 रू.के वेतनमानवालों से या 8600-14600 रू. के वेतनमान ग्रेड में आठ सालों की नियमित सेवावाले डिप्लोमा इंजीनियरों से जहाँकि अपनी शाखा में 9100-15100 रू. के वेतनमान न होनेवालों से पदोन्नित ! किसी महा पत्तन न्यास में संबंधित शाखा या फीडर पद में 5 सालों की नियमित सेवा सहित सदृश पद धारण करनेवाले अधिकारी से विलयन /प्रतिनियुक्ति होगी ।	

क्रम पद नाम सं.	पदों की संख्या	वर्गीकरण	बेतनमान (रूपये)	चयन ्या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षो में)	सीधी भर्ती केलिएनिर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए । चित्र के चेतनमान ग्रेड में 10750-16750 रू. के वेतनमान ग्रेड में	टि प्पणी 13 (i) यांत्रिक - 4
अधीक्षक इंजीनियर (यांत्रिक/ विधुत/ इलअट्रोनियस तथा संचार)	5	श्रेणी	13000- 350- 18250	चयन	40	अनिवार्यः (i) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्था से यांत्रिक/विद्युत/इलक्ट्रोनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य (ii) एक औद्योगिक/ वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कार्यकारी काडर में संबंधित शाखा में नौ वर्षों का अनुभव ।	क) नहीं ख) नहीं। तथापि मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय/संस्था से संबंधित शाखा में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अनिवार्य है । ग) नहीं	2	पदोन्नति द्वारा जिसके नहोने पर विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा	10750-16750 रू. क वित्तनात ग्रंड में 4 सालों की नियमित सेवावाले एम ओ टी प्रथम श्रेणीवाले समुद्री इंजीनियर/ कार्यपालक इंजीनियर से पदोन्नति , जिसके न होने पर 10750-16750 रू. के वेतनमान ग्रंड में 2 सालों की नियमित सेवावाले कार्यपालक इंजीनियर से तथा नौ सालों की संयुक्त नियमित सेवा सहित यांत्रिक एवं विद्युत इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित अपनी शाखा में 10750-16750 रू. तथा 9100-15100 रू. वेतनमानों से । किसी महा पत्तन न्यास में 4 सालों की नियमित सेवा सहित सनृश पद या फीडर पद धारण करनेवाले अधिकारियों से विलयन /प्रतिनियुक्ति होगी ।	पद विद्युत/ इलक्ट्रोनिक्स - 1 पद एवं संचार (ii) 13000-350- 18250 रू. वेतनमान में यांत्रिक अधीक्षक/ सहायक यांत्रिक अधीक्षक के वर्तमान पदों को अधीक्षक इंजीनियर (यांत्रिक) के रूप में पुन:पदनामित

क्रम पद नाम गं.	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षो में)	सीधी भर्ती केलिएनिर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षो में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टि प्पणी
उप पुग्छ्य रुपत्रिकः इंजीपियम	2	श्रेणी	16000- 400- 20800	चयन		श्रिनेवार्यः (i) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्था से यांत्रिक/विद्युत/इलक्ट्रोनिक्स/इलक्ट्रोनिक्स/इलक्ट्रोनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य (ii) एक औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कार्यकारी काडर में संबंधित शाखा में बारह वर्षों का अनुभव ।	9 (क) नहीं (ख) जी हों (ग) जी नहीं	.0 लागू नही		कम्पोसिट रिति से विलयन के लिए , सट्ट्रश पट्ट धारण करनेवाले अधिकारी या अधीक्षक इंजीनियर का पट तथा किसी महा पत्तन न्यास में संबंधित शाखा में 13000-18250 रू. के वेतनमान ग्रेड में तीन सालों की नियमित सेवावाले यांत्रिक एवं विद्युत इंजीनियरिंग विभाग में समतुल्य पट्वाले या अधिकारी या ग्रेड में अधीक्षक इंजीनियर तथा यांत्रिक एवं विद्युत इंजीडिनियरिंग विभाग में दो सालों के वेतनमान में सात सालों की संयुक्त नियमित सेवावाले एवं संबंधित अपनी शाखा में 13000 -18250 रू. वेतनमान के सेवावाले योग्य होंगे । सरकारी / सार्व जिनक उपक्रम / स्वायत्त निकायों आदि में 13000-18250 रू. वेतनमान ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवावाले यांत्रिक एवं विद्युत इंजीनियरिंग विभाग में संबंधित अपनी शाखा के समतुल्य पट्धारक या अधीक्षक इंजीनियर पट्धारक आधिकारी, सट्ट्रश पट्धारण करनेवाले अधिकारी योग्य होंगे। चयन योग्यता के अनुसार होगी। ए सी आर	13 यांत्रिक - 1 पद विद्युत/ इलक्ट्रोनिक्स एवं संचार -1 पद

मारत का राजपत्र : अस्ताधारण	13	21 39 एड्स , प्राजी के म्छानिशे मि तीरी उमीरियक काराधा ति कि कि कार कि में हुई माममार्क के अ काराधा कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि	क्षिमितीर (प्राप्टु होरी उमीरियक मध्यकी प्रप्रीत म्हस्मित्री प्रप्टु म्हस्मित्रीय स् क्षिमित्र स् क्षिमित्र स् क्षिमित्र स् क्षिमित्र स्	10 연매 <u>구</u> 구함	நாசும் () () () () () () () () () ()	8 मार किनाम (i) मिक्निक् मार किनाम (i) मिक्नि क्रिंक्षि में पश्चम (विश्वार्थ मिल क्षिण क्षिण क्षिण क्षिण मुक्ति में क्षिण मिल्मि क्षिण मुक्ति में क्षिण मिल्मि क्षिण मिल्मि क्षिण मिल्मि क्षिण मिल्मि क्षिण मिल्मि क्षिण मिल्मि मिल्मि मिल्मि मिल्मि मिल्मि मिल्मि मिल्मि मिल्मि मिल्मि क्षिण मिल्मि क्षिण क्षिण क्षिण क्षिण क्षिण क्षिण मिल्मि मिल्म	Биг. Бир. (Ад)	FRE 9	006EZ -05t -00581 \$	1 flok	ξ	s कहींगड़ प्रयमीहड़ [] क्रिप्डाक) (मुडेर्ग्म	5
[해제 II—평대로 3(i)]	ीउ व्यव्य <u>ी</u>		(mg		क किय थिमि एक क्षेप्रभास प्रजी . हुग्मर्स् क्षेप्रीर्ष (छ जम्म्हर्म्स (ग ५ तिहर्ष्ट्र १ तिहर्ष्ट्र १ तिहर्ष्ट्र १ तिहर्ष्ट्र १ तिहर्ष्ट्र १ तिहर्ष्ट्र १ तिहर्ष्ट्र	_ ·	п пПз (क्कि) (Ё	- प्रक - प्रक - प्रक	нинъб (фиж) ¿		हिंग कि कि	7 HIŁ Żħ	l nr≅

क्रम पदनाम सं.	पदों की संख्य		वतनमान (रूपये)	चयन यः गैर - चयन	सीधी भनी केन्हेंग् उच्च आयु सीमः (क्ष्पी	सीधी भर्ती केलिएनियांग्रित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोत्तति / विलयन/	परिवीक्षा की अवधि (वर्षो में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)		टि प्पणी
1 2 6 सहार्यक	3	4 श्रेणी	5 9100-	6 चयन	7 30	8 अनिवार्य:	प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा 9 क) नहीं	10	11	12	13
सामग्री प्रबन्धक ग्रेड -1			250- 15100			(i) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्था से यांत्रिक/विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य । वांछनीय (i) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/ संस्था से सामग्री प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिग्री /डिप्लोमा । (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में सामग्री प्रबन्धन में दो सालों के योग्यतोत्तर अनुभव ।	क) नहीं। तथापि मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय/ संस्था से संबंधित अपनी शाखा में डिप्लोमा अनिवार्य है। ग) नहीं	eridini daning i applica i a	2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा 66 2/3% एडोजनि द्वारा 33 1/3%	8600-14600 रू के वेतनमान प्रेड में तीन सालों की नियमित सेवावाले सहायक सामग्री प्रबन्धक ग्रेड II /सहायक भंडार नियंत्रक/ सहायक इंजीनियर (यांत्रिक) से या 6170- 11975 रू. के वेतनमान ग्रेड में एम. एम. प्रभाग के संबंधित अपनी शाखा में 5 साल के अनुभववाले श्रेणी III कर्मचारियों से जहाँ 8600- 14600 रू. के वेतनमान ग्रेड में श्रेणी II पद न होनेवालों से ादोन्नति	

म पद्रनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षों में)	एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नित/बिलयन/प्रितिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टि प्यणी
1 2 7 उप सामग्री प्रबन्धक	3	4	5 10750- 300- 16750	6 चयन	7 35	ह अनिवार्यः (i) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्था से यांत्रिक/विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य । (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम के सामग्री प्रबन्धन /यांत्रिक इंजीनियरिंग/विद्युत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्यकारी काडर में पाँच सालों का अनुभव । वांछनीय मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्था से सामग्री प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिग्री /डिप्तोमा ।	क) नहीं ख) नहीं। तथापि मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय/संस्था से संबंधित अपनी शाखा में डिप्लोमा अनिवार्य है। ग) नहीं	10 2	पदोन्नित द्वारा जिसके न होने पर विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा	शालां की नियमित सेवावाले सहायक सामग्री प्रबन्धक ग्रेड । से पदोन्नति । जिसके न होने पर 9100-15100 रू. के वेतनमान ग्रेड में 5 सालों की नियमित सेवावाले सहायक कार्यपालक इंजीनियर (यांत्रिक /बिद्युत) से दोनों के न होने पर 9100-15100 रू. के वेतनमान ग्रेड में दो सालों की नियमित सेवावाले सहायक कार्यपालक इंजीनियर (यांत्रिक /बिद्युत) से दोनों के न होने पर 9100-15100 रू. के वेतनमान ग्रेड में दो सालों की नियमित सेवावाले सहायक सामग्री प्रबन्धक ग्रेड ।/सहायक कार्यपालक इंजीनियर (यांत्रिक/बिद्युत) से तथा 9100-15100 एवं 8600-14600 रू. के वेतनमान ग्रेड में एम. एम. प्रभाग / यंत्रिक एवं बिद्युत इंजीनियरिंग विभाग में ४ सालों की नियमित सेवावालों से या 8600-14600 रू. के वेतनमान ग्रेड में नियमित सेवावाले डिप्लोमा इंजीनियरों से जहाँ कि 9100-15100 रू. के वेतनमान के शाखा नहीं विद्यमान होनेवालों से पदोन्नति । किसी महा पत्तन न्यास में 5 सालों की नियमित सेवा सहित सदृश पद धारण करनेवाले अधिकारियों से बिलयन / प्रितिनयुक्ति होगी ।	भंडार नियंत्रक/योजना अधिकारी के वर्तमान पद उप सामग्री प्रबन्धक के रूप में पुन:पदनामित किय गया है।

[Part II—Sec. 3(i)]		क णामने एंग्रेफ्सिएं ठाउँने छे कार्ष्ट्रम कि रिजा ९ में खाष्ट क्रियों छंगे । सिंडे छप्ट क्षाचानक क्सीक्से इप एड्स में साष्ट क्ता उस सिन्दी रिजा ८ में डर्स ए जिक्किंग्र एग्राथ रिजीक्षिय क्रिये हिस्सिक्सि कि											
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY		हमामन्हर्क कं ऊ 02701-02701 हमामन्हि कि जिस ह काउ-कर सिमाम पर जिमकां ह काउ-कर सिमाम पर जिमकां हमामन्हि कं ऊ 02701-02701 हमामन्हि क जिस्माम प हि म के जिस्माम प हि म के जिस्माम प हि म के जिस्माम ज	ागड़ सिस्टिंग प्रमानिक्त में कमारी ्राम्यानिक्त में नाम्पर के मिटिंग्स । प्राडु किम यिक्ति		हिम् (क 1 हिम् १ (छ स्थानम्प सर्वाभ्य संस्था संस्था में एकास में क्षिक्तम् १ १	ाध्यम् \ एकाडनी वर्डी भार किया (i) क्ष किडी में एकेक्सीलड़े कहुने \ क्सीक कि किक्रम \ कब्द्रीणीक \ क्सीडिंस (ii) क्ष क्षि कि एकेक्स क्षिमम के मक्ष क्ष क्षि क्सीक क्ष क्ष कि एकेक्स क्षिमम के मक्ष क्ष क्ष कि एकेक्सि के क्षि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि			18720			क्षमका मह	
GAZ	£1	13	11	01	6	हे हिन्द्र होते हैं है । इस्तु है । इस्तु है । इस्तु है । इस्तु है । इस्तु है । इस्तु है । इस्तु है । इस्तु ह	0 <i>t</i>	9	13000-	I flore	1	च्यीह	8
THE (क्षिक्ट दी	के फिथ छाड़ कीपृतीहोष\म्फलवी\तीहांट्र मारू एक्वी दृष्ट के द्वर्र प्रकी में लियाम 1 प्रद्रीपट	ाक्का (क्काप्ता क्या किय भिम्म स्थिम (प्राप्ट क्रिप्टिनिहीर	मिस्वीक्षा स्रीहास्ट स्टि (मॅं किह)	किय थियि एक गुनी कं कण्डास , हास्ट(क काडीहै (छ जान्मिर कास्ट्रस्ट (ग \ कास्ट्रस्ट \ मारु क्रियाम गारु में हमाम	काशीह क्रिसीयनीम्डीक् फिथ थिपि ग्राक्तप्रपंद क्रास्ट व्यं	所	– រក់ ក្ខេម	(इंग्लं)	*	कि क्रिंग इ	7	· Ht.
R				1		- Of - Chi-Chi-Cl-f The fift	िमि	15 FPE	नामम्भ	ण्फिलींग्घ	ÍŞΡ	파타 >p	h#

क्रम पद नाम सं.	पदों व की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षो में)	सीधी भर्ती केलिएनिर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु, ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोत्रति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रितिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिएं।	टि प्यणी
। 2 9 सुरक्षा अधिकारी	3	4 श्रेणी ।	5 9100- 250- 15100	वयन	7 30	अनिवार्यः (i) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्था से यांत्रिक/विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य । (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक सुरक्षा डिप्लोमा या उच्चतम योग्यता या समतुल्य (iii) कोई औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में संबंधित शाखा में अधीक्षक क्षमता में दो सालों का अनुभव । (iv) पत्तन के अधिकतर कामगारों द्वारा बोली जानेवाली भाषा की पर्याप्त जानकारी ।	9 (क) नहीं (ख) जी हाँ (ग) जी नहीं	2	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के अभाव में सीधी		13

क्रम पद नाम सं.	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षो में)	सीधी भर्ती केलिएनिधरित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवरयक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नित/विलयन/प्रितिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टि प्पणी
ा 2 10 कल्याण अधिकारी	3	⁴ श्रेणी	5 9100- 250- 15100	6		अनिवार्यः (i) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से डिग्री (ii) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय /संस्था से सामाजिक विज्ञान में डिग्री / डिप्लोमा । (iii) स्थानीय भाषा की जानकारी । वांछनीय : एक औद्योगिक/वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में श्रम कल्याण अधिकारी/ औद्योगिक संबंध अधिकारी के रूप में दो वर्षों का अनुभव ।	मामले में लागू होगा 9 क) नहीं ख) जी हाँ । ग) नहीं		11 21 अगस्त, 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा 33 1/3% पदोन्नति द्वारा 66 2/3% 21 अगस्त, 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा 66 2/3% पदोन्नति द्वारा 33 1/3% टिप्पणी: पदोन्नति लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर होगी ।	12 8600-14600 रू. के वेतनमान ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा के साथ सहायक कल्याण अधिकारी/खेलकूद अधिकारी से पदोन्नति । या कार्मिक व औद्योगिक संबंध प्रभाग में 6170-11975 रू. के वेतनमान ग्रेड में अपनी शाखा में पाँच साल की नियमित सेवावाले श्रेणी !!! कर्मचारियों से जहाँ 8600-14600 रू.के वेतनमान के श्रेणी !! पद उस शाखा में वर्तमान नहीं है , से पदोन्नति ।	13

सिविल इंजीनियरिंग विभाग

क्रम सं.	पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षो में)	सीधी भर्ती केलिएनिधारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवर्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षो में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति / विलयन / प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस प्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टि प्पणी
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	12	श्रेणी ।	9100- 250- 15100	चयन	30	अनिवार्यः मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य वांछनीय: योजना/निर्माण/डिसाइन/ अनुरक्षण में विशेषतया पोर्ट तथा समुद्री संरचना में कोई औद्योगिक/ वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम से कार्यकारी कांडर में दो वर्षों का अनुभव ।	क) नहीं ख) नहीं। तथापि मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय/संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अनिवार्य है । ग) नहीं	2	21 अगस्त, 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा 33 1/3% पदोन्नति द्वारा 66 2/3% 21 अगस्त, 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा 66 2/3% पदोन्नति द्वारा 33 1/3%	8600-14600 रू वेतनमान ग्रेड में तीन सालों की नियमित सेवावाले सहायक इंजीनियर (सिविल)से या 6170-11975 रू. वेतनमान में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अपनी शाखा में पाँच सालों की नियमित सेवावाले के श्रेणी III कर्मचारियों से पदोन्नति जहाँ 8600-14600 रू वेतनमान के श्रेणी II पद वर्तमान न हो	

म् पद्भाम पद्भे की संख्य	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती केलिएनिधांरित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आजरणक क)अगुयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं म) अनुभव पदांत्रति / विलय्का/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लगग्	र्पाखीक्षा की अवधि (जर्यों में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोधित/बिलयन/प्रितिनियुक्तिः द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टि प्पणी
कार्यपालक 8 इंजीनियर (सिविल)		5 10750 -300- 16750	6 चयन	35	श्रिनवार्यः (i) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/ संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य (ii) योजना/निर्माण/डिसाइन/ अनुरक्षण में विशेषतया पोर्ट तथा समुद्री संरचना में कोई औद्योगिक/ वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम से कार्यकारी काडर में पाँच वर्षों का अनुभव ।	१ क नहीं तथापि भान्यताप्राप्त विद्यालय/सस् था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अनिवार्य है । ग) नहीं	2	द्वारा, दोनों के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा	12 9100-15100 रू. वेतनमान ग्रेड में 5 सालों की नियमित सेवावाले सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) से जिसके अभाव में 9100-15100 रू वेतनमान ग्रेड के 2 वर्ष की नियमित सेवावाले सहायक कार्यपालक इंजीनियर तथा 9100-15100 रू के वेतनमान एवं 8600-14600 रू. वेतनमान में संयुक्त रूप से 8 वर्ष की नियमित सेवावाले इंजीनियरिंग विभाग के अपनी शाखावालों से पदोन्नति । सदृश पद धारण करनेवाले अधिकारी या फीडर पद के अधिकारी, जिन्हें ऊपर सूचित प्रकार महा पत्तन न्यास में अनुभव हो , से विलयन/ प्रतिनियुक्ति ।	13

क्रम पद नाम पदों सं. की संख्य	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती केलिएनिर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु, ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रितिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टि प्पणी
1 2 3 3 अधीक्षक 3 इजीनियर (सिविल)	4 श्रेणी ।	5 13000 -350- 18250	6 चयन	7 40	ह अनिवार्यः (i) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य । (ii) योजना/निर्माण/डिसाइन/ अनुरक्षण में विशेषतया पोर्ट तथा समुद्री संरचना में कोई औद्योगिक/ वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम से कार्यकारी काडर में नौ वर्षों का अनुभव ।	9 क) नहीं ख) नहीं। तथापि मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय/ संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अनिवार्य है । ग) नहीं	2	पदोन्नित द्वारा जिसके न होने पर विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा	12 10750-16750 रू. के वेतनमान ग्रेड में 4 सालों की नियमित सेवावाले कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) से पदोन्नति, जिसके न होने पर 10750-16750 रू. के वेतनमान ग्रेड में 2 सालों की नियमित सेवावाले कार्यपालक इंजीनियर तथा 10750-16750 रू. तथा 9100-15100 रू. वेतनमान में नौ सालों की संयुक्त नियमित सेवा सहित सिविल इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित अपनी शाखावालों से सदृश पद धारण करनेवाले अधिकारी या फीडर पद के अधिकारी, जिन्हें ऊपर सूचित प्रकार महा पत्तन न्यास में अनुभव हो , से विलयन/ प्रतिनियुक्ति ।	वर्तमान पद को अधीक्षक इंजीनियर (सिविल) के रूप में पुन:पदनामित किया गया है।

計	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY		प्रपाप उप एड्रुस, फ़री के FUNDED में तीर उमीरियक पर प्रमित्रीय काशीयर पर प्राक्षित काशीयर का प्राक्षित काशीयर का प्राक्षित काशीयर का प्राक्षित काशीयर का प्राक्षित काशीयर का प्राक्षित काशीयर का प्राक्षित काशीयर का प्राक्षित काशीयर के प्राप्त कार्यावन कि कि कि ए में माफ फिर हम में सामकि काशियर के प्राप्त का प्राप्त काशीयर पर कामित के कि उस प्रदेश पर में विवास कि प्राप्त कि काशियर के प्राप्त कि के कि कि के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि	11 600 Stiffty a Fursial office of the stiff	0.1 第一元 子	जिम्मूर (॥ 하라는 (॥ 하라는 (॥ 하다한 (॥ 한 (한 (한 (한 (한 ()))) 한 (한 (한 ()))	8	ти (ф. т. т. т. т. т. т. т. т. т. т. т. т. т.	Hbb. 9	0080Z -00+ -0009-	t fluk	ζ ε	ू फुन्म पट फ़न्मिड़ (मुझेम)	t I
ति सन्ते में ज्याप के किया के किया के किया के किया के किया किया के किया किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया किया के किया कि किया कि किया कि		11 1		\म्यानाती त्ताष्ट्रमितंष्ट्र		, हाम्द(क काओंद्र (छ		इन्स्ट हाम्स ामिम		-				
		,	। प्रहीक पाम पानी इंग् ह	மூற் பசு 🏸	\$±	मृत्यु क		TiFP	- 14t	ſ		fabr	바다 첫	

पद नाम	पदों वर्गीकरण की संख्या	बेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षो में)	सीधी भर्ती केलिएनिर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टि प्पणी
2 मुख्य इंजीनियर (काटगरी - II पोर्टस्)	3 4 1 श्रेणी]	5 18500 -450- 23900	6 चयन	7 45	अनिवार्यः (i) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य । (ii) योजना/निर्माण/डिसाइन/ अनुरक्षण में विशेषतया पोर्ट तथा समुद्री संरचना में कोई औद्योगिक/ वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कार्यकारी काडर में पन्द्रह वर्षों का अनुभव ।	होगा 9 (क) नहीं (ख) जी हाँ (ग) जी नहीं	ा० लागू नहीं	ा कम्पोसिट ग्रीति के जरिए विलयन द्वारा जिसके न होने पर अन्य सरकारी संगठन से प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के अभाव में ,सीधी भर्ती द्वारा !	कम्पोसिट रीति से विलयन के लिए , सदृश पद धारण करनेवाले अधिकारी या 17500-22300 रू. के वेतनमान ग्रेड में दो सालों की नियमित सेवावाले अधिकारियों में से या किसी महा पत्तन्यास में 16000-20800 रू. के वेतनमान ग्रेड में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में तीन सालों की नियमित सेवावाले अधिकारी योग्य होंगे । प्रतिनियुक्ति के लिए , सदृश पद धारण करनेवाले अधिकारी या सरकारी / सार्वजनिक उपक्रम / स्वायत्त निकार्यों में 16000- 20800 रू. के और उससे ऊपर के वेतनमान ग्रेड में 3 साल की नियमित सेवावाले सिविल इंजीनियरिंग विभाग के उप मुख्य इंजीनियर तथा समतुल्य पद धारण करनेवाले अधिकारी योग्य होंगे । चयन योग्यता के अनुसार होगी ए सी आर के समग्र ग्रेडिंग में कसौटी '' बहुत अच्छा '' से कम न हो ।	

सतर्कता विभाग

क्रम पद नाम सं.	पदों की संख्या	गीकरण	ा वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षो में)	सीधी भर्ती केलिएनिधीरित शैक्षिकएवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू	परिवीक्षा की अवधि (वर्षो में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोत्रति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	सतर्कता पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	
1 2 1 उप मुख्य सतर्कता अधिकारी	3	4 श्रेणी 	5 13000- 350- 18250	6 चयन	7 लागू नहीं	8 लाग् नहीं	होगा 9 लागू नहीं	10 2		रू. वेतनमान में 9 साल की संयुक्त नियमित सेवावाले अधिकारियों से । सतर्कता कार्य में अनुभववाले कर्मचारियों को अधिमान दिया जाएगा ।	वर्षों के लिए होगी और

क्रम स	पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती केलिए निर्धारित शैक्षिकएवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	टिप्पणी
2	2 मुख्य सतर्कता अधिकारी	3	4 श्रेणी 1	5 18500- 450- 23900	6 चयन	7 लागू नहीं	8 लागू नहीं	9 लागू नहीं	10 लागू नहीं	11 अखिल भारतीय/केन्द्रीय सेवा अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा	12 भारत सरकार में उप सचिव/ निदेशक के स्तर पर नियुक्ति के लिए योग्य अधिकारी	13 , सी वी सी / डी ओ पी & टी द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशानुसार प्रतिनियुक्ति अवधि ।

ऽम्रू र्रिए म्हीकि

ागम्ही ।फ्रेक्टि

ह। 3 00121-0019 3 00121-0019 किममन के सहायक मिनका अधिका भारका कि मिनका कि कि मिनका मिन	नाहिए । तम् नहीं ।	\तीक्षर्भ सम्प्रमिति (माड्ड हिम्द विविम माड्ड	7 01	ण्रान्त्रमांक काशींक (छ हम्मुस्ट (ग र्क क्तीणुनीनीए \ निस्तंत्रम गर्मेड गुग्न में निमाम १ १	8	हास्ट (म् (म् इ.	प्रामी भ	00151 -057 -0016	t flok	9 €	2 निक्तिस भिक्तिरी
	प्रत्नी में हिमाम के फिथ ग्रिड किया किसी इंघ में डर्स	क्षिम सिक्ष १४ किम १८ किस	अविध (मॅ किंह)	फिर आवश्वक काम्स्य , प्राप्तक काम्यता	ग्राह्मणि एनस् ह्य कक्षीष्ट्र	भती केलिए उच्च	ाड - ग्री - म्डिट	(<i>६р.</i> ३)		गुख्या	

535 र्डीए म्झीक

हा कांद्रीकंस ;: कमाथ्य फ्रांत्रिकंतान में हिं क्षित्राक्षित कि क्षित्राक्षित न प्रजी के कींध्रि प्रभाव कि क्षित्र प्रभाव कि क्षित्र प्रभाव कि क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र		ा। किसी भती हारा	7	Ma 7. min	ाफ्रकीटी ख्योट (i) तिक्या क्य प्रकास क्यांट (i) किया क्य प्रक्ति के प्रकास क्यांट क्य	용 () 본 () 등 () <caption> () 등 () 등 () 등 () \hookrightarrow () () \hookrightarrow () () \hookrightarrow () () \hookrightarrow () ()</caption>	लग्	-00£ -00£ -00£	I flak	7	वरिष्ठ भिक्त्सा भिक्षम्ब (चित्रभित्र)	
		(2)(2)	01	रूपात वे रिमाम के गापित ?	8	(Ĥ	9	\$	th I fluk	ξ	7	-
र ीक्रमञ्ज	त्रीपृतिहीय\नयन्त्री\शिष्टिंग प्रमी में निमाम के तिथ गाउ त्मार प्रमी इंट से दर्ष १ प्रदीहि	কে চিদ চেক) কেমিচ চে টিদ থিটি কিচিহেদ কিচিহিচিয়	ाधिकार स्रोच्या (म् क्रिक्ट)	# har firh nve # present ore) Enc.(ie gineativ . # skill (@ erget (r herfar Alget Enc. Fansel	ह्मोथित् फ़रीक् फिप थिफ ज़ह्मध्यक् स्पर हज् क्छिक्	सिधी भ्यतिस् उत्राप्ति स्व भ्रमम्	FBF FBF FBF	нинъ (६₽ <i>ल</i>)	णिक्गीम्ह	हिए कि क्लिंग		!

क्रम सं.	पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकर ण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती केलिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/प्रतिनियुि क्त के मामले में	परिवीक्षा की अवधि (वर्षो में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रितिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।	णी
	2 उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सामान्य ङ्युटि)	3	4 श्रेणी I	5 13000- 350- 18250	6 चयन	7 42	8 अनिवार्यः (i) एक मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से एम बी बी एस डिग्री, या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (दन्त्य) के लिए बी डी एस डिग्री। (ii) एक वर्ष के लिए आन्तरिक सेवा की पूर्ति पर एक अस्पताल में 9 वर्ष का अनुभव। वांछनीयः एक मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से एक स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री।	लागू होगा 9 (क) नहीं (ख) जी हाँ (ग) जी नहीं	10 2	11 पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा	12 10750-16750 रू. के वेतनमान ग्रेड में 4 सालों की नियमित सेवावाले विषष्ठ चिकित्सा अधिकारी (जी डी) से पदोन्नति । जिसकें न होने पर 10750-16750 रू. के वेतनमान में दो सालों की नियमित सेवावाले तथा 9100-15100 रू. एवं 10750-16750 रू. वेतनमान में 9 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवावाले वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (जी डी) से । किसी महा पत्तन न्यास में सदृश पद धारण करनेवाले अधिकारी या फीडर पद ग्रेड में 4 साल के अनुभववालों से विलयन / प्रतिनियुक्ति ।	13

क्रम सं.	पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती केलिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोत्रति / विलयन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षो में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोत्रति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा	किया जाना चाहिए ।	टिप्पणी
। 3(ख)	2	3	4	5	6	7	8	9				
f 3	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी विशेषज्ञ)	I	श्रेणी	13000 -350- 18250	चयन	† { f	अनिवार्यः (i) एक मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से एम बी बी एस डिग्री । (ii) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से एक निर्दिष्ट विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री । (iii) विशेषज्ञता से संबन्धित क्षेत्र में एक विख्यात अस्पताल में र वर्ष का योग्यतोत्तर अनुभव ।	(क) नहीं (ख) जी हाँ (ग) जी नहीं) से पदोन्नति । जिसके न होने पर ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा के साथ संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर योग्यतावाले वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (जी डी) से ।	एवं स्त्री रोग विशेषच्या का

क्रम पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती केलिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/प्रतिनियुि क्त के मामले में	परिवीक्षा की अवधि (वर्षो में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रितिनयुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए ।
1 2 4 विरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	3 2	4 श्रेणी 1	5 16000- 400- 20800	6 चयन	7 45	8 अनिवार्यः (i) एक मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से एम बी बी एस डिग्री । (ii) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से एक निर्धारित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री । (iii) विशेषज्ञता से संबन्धित क्षेत्र में एक अस्पताल में 10 वर्ष का योग्यतोत्तर अनुभव ।	लागू होगा 9 (क) नहीं (ख) जी हाँ (ग) जी नहीं	10	11 कम्मोसिट रीति ज़िरए विलयन द्वारा जिसके न होने पर अन्य सरकारी संगठन से प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के अभाव में ,सीधी भर्ती द्वारा ।	कम्पोसिट रिति से विलयन के लिए , सदृश पद धारण करनेवाले अधिकारी या किसी महा पत्तन न्यास में 13000-18250 रू. के वेतनमान ग्रेड में 3 सालों की नियमित सेवावाले उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) तथा चिकित्सा विभाग में समतुल्य विशेषज्ञ पदधारित या दो वर्षो की नियमित सेवावाले चिकित्सा विभाग में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) तथा समतुल्य विशेषज्ञ और 10750-16750 रू. एवं 13000-18250 रू. के वेतनमान में संयुक्त रूप से 7 वर्षों की सेवा के साथ महा पत्तन न्यास के चिकित्सा विभाग के विशेषज्ञ काइर में पदधारित अधिकारी योग्य होंगे। प्रतिनियुक्ति के लिए , सदृश पद धारण करनेवाले अधिकारी या सरकारी / अर्ध सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त निकाय के चिकित्सा विभाग में 13000-18250 रू. के वेतनमान ग्रेड में 3 साल की नियमित सेवावाले उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) तथा समतुल्य विशेषज्ञ पद धारण करनेवाले अधिकारी योग्य होंगे। चयन योग्यता के अनुसार होगी। ए सी आर के समग्र ग्रेडिंगमें कसौटी " बहुत अच्छा" से कम न हो

क्रम पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)	चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती केलिए उच्च आयु सीमा (वर्षो में)	सीधी भर्ती केलिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए आवश्यक क)आयु , ख) शैक्षिक योग्यताएं ग) अनुभव पदोन्नति / विलयन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षो में)	भर्ती का तरीका (क्या सीधी भर्ती या पदोत्रति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में िति किस ग्रेड से वह किया जाना चाहिए । प
1 2 5 मुख्य चिकित्सा अधिकारी (काटगरी - II पोर्टस्)		श्रेणी I	5 18500 -450- 23900	6 चयन		8 अनिवार्यः (i) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से एम बी बी एस डिग्री । (ii) एक मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से एक स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री । (iii) विशेषज्ञता से संबन्धित क्षेत्र में एक अस्पताल में 13 वर्ष का योग्यतोत्तर अनुभव ।	9 (क) नहीं (ख) जी हाँ (ग) जी नहीं	ाण लागू नहीं	द्वारा जिसक न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के अभाव में , सीधी भर्ती द्वारा ।	कम्पोसिट रीति से विलयन के लिए, सदृश पद धारण करनेवाले अधिकारी या किसी महा पत्तन न्यास के चिकित्सा विभाग में *17500-22300 रू. के वेतनमान ग्रेड में 2 सालों की नियमित सेवावाले या 16000-20800 रू. के वेतनमान ग्रेड के पदधारी योग्य होंगे। प्रतिनियुक्ति के लिए, सदृश पद धारण करनेवाले अधिकारी या सरकारी / अर्ध सरकारी / सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त निकाय के चिकित्सा विभाग में 16000-20800 रू. के वेतनमान ग्रेड में 3 साल की नियमित सेवावाले वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा समतुल्य विशेषज्ञ पद धारण करनेवाले अधिकारी योग्य होंगे। चयन योग्यता के अनुसार होगी। ए सी अर के समग्र ग्रेडिंग में के समग्र ग्रेडिंग में किसौटी '' बहुत अच्छा '' से कम न हो।

पाद टिप्पणी :-

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरीयता और प्रोन्नित)विनियम , 1964 , जी एस आर सं. 314 दिनांक 24-2-1964 का जी एस आर सं. 314 दिनांक 24-2-1964 के तहत राजपत्र में प्रकाशित किया तथा बाद में संशोधन :-

- 1. पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 15.01.1971 की अधिसूचना सं. पी/510/70
- 2. पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 23. 10.1973 की अधिसूचना सं. बीडी/127/67
- 3. पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 23. 10.1973 की अधिसूचना सं. पी/52/72
- 4. पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 27.06.1974 की अधिसूचना सं. पी/ओएम/189/72
- 5. पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 01.02.1975 की अधिसूचना सं. पी/216/74
- 6. पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 19.09.1977 की अधिसूचना सं. पीईएक्स/56/77
- जीएसआर सं. 1343 दिनांक 08.10.1977
- 8. पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 13.09.1978 की अधिसूचना सं. पीईएक्स(45)/78
- 9. जीएसआर सं. 1169 दिनांक 23.09.1978
- 10. जीएसआर सं. 929 (ई) दिनांक 02.07.1986
- 11. पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 02.07.1986 की अधिसूचना सं. पीडब्लियु/पी ई आर-24/85
- 12. जीएसआर सं. 799(ई) दिनांक 31.08.1989
- 13. पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 31.08.1989 की अधिसूचना सं. पीआर-19024/1/86-पीई(वालियम - III) (जी एस आर 799-ई)
- 14. जीएसआर सं. 397(ई) दिनांक 02.04.1992
- 15. जीएसआर सं. 7167(ई) दिनांक 05.08.1992
- जीएसआर सं. 347(ई) दिनांक 30.03.1993
- 17. जीएसआर सं. 347(ई) दिनांक 30.03.1993
- 18. जीएसआर सं. 58(ई) दिनांक 03.03.1994
- 19. जीएसआर सं. 135(ई) दिनांक 15.03.1995
- जीएसआर सं. 758(ई) दिनांक 17.11.1995
- 21. जीएसआर सं. 80(ई) दिनांक 08.02.1996
- 22. जीएसआर सं. 157(ई) दिनांक 29.03.1996
- 23. जीएसआर सं. 36(ई) दिनांक 27.01.1997
- 24. जीएसआर सं. 349(ई) दिनांक 17.06.1998
- जीएसआर सं. 640(ई) दिनांक 23.10.1998
- जीएसआर सं. 122(ई) दिनाक 18.02.1999
- 27. जीएसआर सं. 689(ई) दिनांक 08.10.1999
- 28. जीएसआर सं. 757(ई) दिनांक 05.11.1999
- 29. जीएसआर सं. 5(ई) दिनांक 31.12.1999
- 30. जीएसआर सं. 229(ई) दिनांक 07.03.2000
- 31. जीएसआर सं. 254(ई) दिनांक 22.03.2000
 32. जीएसआर सं. 652(ई) दिनांक 07.08.2000
- 33. जीएसआर सं. 180(ई) दिनांक 08.03.2002

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (विभागाध्यक्षों की भर्ती) विनियम 1991 का भारत के असाधारण राजपत्र के 3-4-1991 के जी एस आर सं. 200 (ई) के तहत प्रकाशित किया और बाद में संशोधन किया :-

- 1. जीएसआर सं. 645(ई) दिनांक 19.09.1995
- जीएसआर सं. 290(ई) दिनांक 18.04.2002
- जीएसआर सं. 876(ई) दिनांक 07.11.2003

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2010

G.S.R. 862(E).—In exercise of the Powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Cochin Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010 made by the Board of Trustees of Cochin Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12012/7/2006-PE. I] RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.

SCHEDULE

COCHIN PORT TRUST

THE COCHIN PORT TRUST EMPLOYEES (RECRUITMENT, SENIORITY AND PROMOTION) REGULATIONS, 2010

In exercise of powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Cochin Port with the approval of the Central Government as required under Sub-Section(1) of Section 124 of the said Act, hereby frames the revised Regulations of Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010.

- 1. (i) These Regulations may be called the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and promotion) Regulations, 2010.
 - (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.
- 2. In the schedule to the Cochin Port Trust Employees ((Recruitment, Seniority and promotion) Regulations, 2010, the following entries shall be included.

SCHEDULE

Recruitment Rules of 70 categories of Class-I cadre.

Foot-Note: The existing recruitment rules in respect of Class-II, III and IV employees will be in force for recruitment till the Cadre Restructuring of the above is completed and published in the Gazette of India.

SCHEDULE

COCHIN PORT TRUST

THE COCHIN PORT TRUST EMPLOYEES (RECRUITMENT, SENIORITY AND PROMOTION) REGULATIONS, 2010

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Cochin Port hereby makes the following regulations, namely

1. Short Title and Commencement:

- (i) These Regulations may be called the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and promotion) Regulations, 2010.
- (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

2. Application

These regulations shall apply to all posts created under Section 27 of the Act under the Board, including those covered by clause (a) of sub-section (1) of section 24 of the Act.

3. Definition

In these regulations, unless the context otherwise requires

- (a) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).
- (b) "Analogous post" means a post of which the duties and level of responsibilities and the pay ranges are comparable to those of the post to which selection is to be made.
- (c) "Appointing Authority" in relation to any grade or post means the authority empowered under the Cochin Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations 1964, to make appointment to that grade or post.
- (d) "Board", "Chairman", "Deputy Chairman" and "Head of Department" have the meaning respectively assigned to them under the Act.
- (e) "Class I Posts", "Class II Posts" "Class –III posts" and Class –IV posts" shall have the same meaning as assigned to them in Regulation 6 of the Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1964.
- (f) "Departmental Promotion Committee" means a Committee constituted from time to time under regulation 26 for the purpose of making recommendation for promotion to or confirmation in any grade or post.

- (g) "Direct Recruit" means a person recruited on the basis of a competitive examination or test and/or interview by Services Selection Committee.
- (h) "Employee" means an employee of the Board.
- (i) "Grade" means any of the grades specified in the Schedule of Employees prepared and sanctioned under Section 23 of the Act.
- (j) "Lien" means the title of an employee to hold on regular basis, either immediately or on the termination of a period or periods of absence, a post to which he has been appointed on regular basis and on which he is not on probation.

Provided that the title to hold a regular post shall be subject to the condition that the junior most person in the grade will be liable to be reverted to the lower grade if the number of persons so entitled is more than the posts available in that grade

- (k) "Permaneut Employee" means an employee who has been substantively appointed to a permanent post.
- (I) "Schedule" means the Schedule appended to these regulations.
- (m) "Scheduled Castes" and "Cheduled Tribes" shall have the meanings respectively assigned to more in Clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution of India.
- (n) "Select List" in relation to any grade or post means the select list prepared in accordance with regulation 13 for that grade or post.
- (o) "Selection Post" means a post declared as such under regulation 5 of these regulations.
- (p) "Services Selection Committee" means the Committee constituted under regulation 12 for the selection of candidates by means of a written test, a trade test and/or interview for appointment to posts reserved for direct recruitment.
- (q) "Temporary Employee" means an employee holding a temporary post or officiating in a permanent post or on probation in his appointment in the service of the Board.

4. MANNER OF APPOINTMENT

All appointments to the posts to which these regulations apply shall be made in accordance with the provisions of these regulations. Appointment may be made either by promotion or by absorption or deputation or direct recruitment. Deputation will be of employees from the Major Ports, Central Govt., State Govts., autonomous bodies, Govt., Companies fulfilling the criteria of eligibility prescribed for the post. The normal period of deputation is 3 years which is extendable to four years. In exceptional circumstances, this can be extended to five years.

Provided that the appointment in respect of posts treated as Ileads of Department and posts one level below the HOD, all the vacancies shall be filled by 'Composite method of recruitment' i.e. through promotion/transfer/deputation on absorption basis failing which deputation and failing both by direct recruitment. The promotion/transfer/on absorption will be from the officers from Major Port Trusts fulfilling the criteria of eligibility prescribed in the schedule annexed to the regulation.

5. SCHEDULES

The manner of appointment i.e. whether by direct recruitment or by departmental promotion or absorption or deputation, the qualification, age. education, training, requirements of experience, classification of posts as selection posts or - non-selection posts and other matters connected with the appointments to various posts shall be shown in the Schedule annexed to these Regulations in respect of Class-I posts. In respect of Class-II, Class-III and Class-IV posts the manner of appointment shall be as laid down by the Board from time to time. The Schedule shall also show the authorized permanent and temporary strength of the various grades as shown in the Schedule of Employees prepared under the provisions of section 23 of the Major Port Trusts Act, 1963. This strength is liable to change from time to time under the provisions of section 27 of the Major The eligibility requirements prescribed for direct Port Trusts Act, 1963. recruitment will apply in the case of promotion to the extent mentioned in Column 9 of the schedule and requirement of experience for promotion will be as prescribed in Column 12 of the schedule.

Provided that the prescribed upper age limits may be relaxed by the Central Govt. in case of HODs and by Chairman in all other cases for reasons to be recorded in writing for direct recruitment/absorption/deputation as under:-

- (i) Upto 5 years where the minimum experience prescribed is 40 years or more and up to 3 years where the minimum experience prescribed is 5 to 9 years.
- (ii) in the case of a candidate who is an ex-serviceman, it is comployee of India's Defence Forces, and who has put in not less than 6 months

continuous service in the Defence Forces, up to the extent of the service rendered by him in the Defence Forces plus three years where the vacancy to be filled is a vacancy reserved for such ex-servicemen and dependants of those killed in action and upto the extent of the service rendered by him in the Defence Forces, where the vacancy to be filled is an unreserved vacancy; and

(iii) In the case of a candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or other backward classes in accordance with such orders as the Central Government may issue from time to time in this regard.

Provided further that the requirement of experience is relaxable at the discretion of the Central Govt, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Govt. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

6. ROSTER OF VACANCIES

A roster shall be maintained for each grade to show whether particular vacancy should be filled by direct recruitment or promotion. However, if a vacancy which is reserved for direct recruitment cannot be filled by direct recruitment, it may be filled by promotion and the next vacancy shall be filled by direct recruitment. Similar practice can be followed in the case of a vacancy reserved for promotion but cannot be filled by promotion method.

7. RESERVATION

- Orders issued by the Central Government from time to time for reservation of posts under it, whether to be filled by direct recruitment or promotion in favour of the Scheduled castes and the Scheduled Tribes shall apply mutatis mutandis to all appointments covered by these regulations.
- Orders issued by the Central Government from time to time for the reservation of posts under it in favour of other backward classes, exservicemen and dependants of those killed in action, sportsmen and physically handicapped persons shall also apply mutatis mutandis to appointments covered by these regulations and to which direct recruitment is made.

8. NATIONALITY, CHARACTER, PHYSICAL FITNESS ETC. FOR DIRECT RECRUITMENT;

- (1) In order to be eligible for direct recruitment to any grade or post, a candidate must be-
 - (a) a Citizen of India; or
 - (b) a subject of Nepal; or
 - (c) a subject of Bhutan; or
 - (d) A Tibetan refugee who came over to India before the 1st January; 1962 with the intention of permanently settling in India; or
 - (e) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or the East African countries of Kenya, Uganda, the united Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to category (a) shall produce such proof of his nationality as the Chairman may, from time to time require. Provided further that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India;

Provided also that a candidate in whose case the proof of nationality or a certificate of eligibility is necessary may be provisionally appointed, pending the production by him of the necessary certificate in his favour from the Central Government, as the case may be. In such cases the provisional appointment shall not exceed a period of one year.

- (2). The Chairman may, with the prior approval of the Central Government, modify or waive any of the requirements of sub regulation (1) when an appointment for work of a special nature is to be made and it is not practicable to obtain a suitable candidate who fulfils the requirements of these regulations.
- (3) No person.
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

Shall be eligible for appointment to any grade or post to which these regulations apply.;

Provided that the Central Govt. in case of HODs and Chairman in all other cases may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this sub regulation.

- (4) A candidate must satisfy the appointing authority that his character and antecedents are such as to make him suitable for appointment to any grade or post. No candidate who has been convicted by a Court of Law for an offence involving moral turpitude or who has been adjudged as an insolvent shall be eligible for appointment to a grade or post.
- (5) A candidate shall be in good mental and physical health and free from any physical defects likely to interfere with the discharge of his duties as an employee of the Board. A candidate who after such medical examination as the Central Govt. in case of HODs and Chairman in all other cases may specify, is found not to satisfy those requirements shall not be appointed.
- (6) If any question arises whether a candidate does or does not satisfy all or any of the requirements of this regulation, the same shall be decided by the Central Govt. in case of HODs and Chairman in all other cases.

9. ELIGIBILITY OF EXISTING EMPLOYEES FOR DIRECT RECRUITMENT

When the posts required to be filled by direct recruitment are advertised, employees already in service may also apply, provided they possess the prescribed qualifications and experience. Age limit in such cases will not apply.

10. ADVERTISEMENT OF VACANCIES

- (1). Vacancies of Class-III and Class-IV posts to be filled by direct recruitment shall be notified to the local employment Exchange. In case sufficient number of eligible and suitable candidates are not available, the vacancies be advertised in Newspapers published within the State. Class-I and Class-II posts intended to be filled by direct recruitment shall be advertised in national and local dailies and/or Employment News.
- (2). The crucial date for determining the qualification, experience and age shall be the first day of the month in which the post is notified/advertised unless otherwise specified.

11. CONDUCT OF WRITTEN OR SKILL TESTS IN CERTAIN CASES

The Appointing Authority may decide whether a written or a skill test or both should be held and also name the officer who should hold the said test and the manner in which the test should be held and other details thereof. It shall be open to the Appointing Authority to engage a consultant or a firm of consultants to conduct a written or skill test.

12. SERVICES SELECTION COMMITTEE:-

- (1) There shall be a Service Selection Committee for each grade or post, as mentioned in sub regulation (2) to conduct interviews of eligible candidates for making selection of candidates for appointment to different posts by direct recruitment.
- (2) The category of posts and the composition of the Services Selection Committees referred to in sub regulation (1) shall be the following, namely:

(a) For HODs

Joint Secretary (Ports) of the Ministry of Shipping - Chairman

Chairman of the Port

- Member

Any other Port Chairman or an officer having wide - Member experience in the field to be nominated by the Ministry of Shipping

Representative of SC/ ST & OBCs nominated by - Member the Ministry of Shipping

(b) For Class I posts

(i) Chairman - Chairman

(ii) Deputy Chairman - Member

(iii) HOD in charge of the Department in which - Member the vacancy occurs

(iv) HOD in charge of the Personnel - Member

(v) Representative of SC/ ST & OBCs - Member nominated by the Chairman

(c) For Class II Posts

- (i) Deputy Chairman Chairman
- (ii) Head of the Department in which the vacancy Member arises
- (iii) Head of Department in charge of Personnel Member
- (iv) Representative of SC/ ST & OBCs nominated by the Chairman Member

(d) For Class-III and Class-IV posts (Common Categories)

- (i) Deputy Chairman or in his absence, HOD Chairman Nominated by the Chairman of the Board
- (ii) HOD incharge of Personnel Member
- (iii) A senior officer in the grade not below Member Rs.16000-400-20800 to be nominated by the Chairman
- (iv) Representative of SC/ ST & OBCs nominated by the Chairman Member
- (e) For Class-III and Class-IV posts (Uncommon Categories)
- (i) HOD, where the vacancy arises Chairman
- (ii) HOD incharge of Personnel Member
- (iii) A senior officer of the concerned Division in the Grade not below Rs.16000-400-20800 to be nominated by the Chairman
- (iv) Representative of SC/ ST & OBCs nominated Member By the Chairman

The Appointing Authority may also nominate any person not in the service of the Board to be a member of a Services Selection Committee if such a person is specialized in the relevant field. Where any member of a Services Selection Committee is not available, the Appointing Authority may nominate another officer of appropriate level in his place to attend the meeting.

(3) Where recruitment to vacancies in grades common to more than one department is made in a common selection, the composition of the committee shall be decided by the Chairman in each case.

13. SELECT LIST

The Services Selection Committee may recommend, in the order of merit, as adjudged by it, the names of the selected candidates to be kept on a select list for consideration of appointment to posts earmarked for direct recruits. Such a list shall be deemed to be valid for a period of 12 months from the date on which the list is approved by the Appointing Authority. It is open to the Appointing Authority to extend the validity of the list for a period not exceeding six months or until a fresh select list is approved whichever is earlier.

14. CONSIDERATION OF RECOMMENDATIONS OF SERVICES SELECTION COMMITTEE AND ADHOC APPOINTMENTS

All appointments by direct recruitment shall be made by the Appointing Authority on the recommendations of the concerned Services Selection Committee.

Provided that it shall be open to the Appointing Authority, for reasons to be recorded in writing, not to accept the recommendations of Services Selection Committee.

Provided further that where the Appointing Authority is an authority subordinate to the Chairman and the authority disagrees with such recommendations in any case, it shall record its reasons for such disagreement and submit the case to the Chairman who shall decide the same.

Provided also that in the case of a purely temporary post, a leave vacancy or a vacancy earmarked for direct recruitment requiring immediate filling up, the Chairman may appoint a person who is eligible to fill the vacant post for a period of six months at a time and not exceeding one year on ad hoc basis subject to the condition that:

- (1) Ad-hoc appointment, where unavoidable, should be made only strictly subject to fulfilling the qualifications, experience provided in the RRs.
- (2) Total period of appointment to a temporary post will not exceed the tenure of the post.
- (3) In other cases the temporary appointment should be replaced by a regular appointment from the select list as soon as possible.

15. CANVASSING SUPPORT A DISQUALIFICATION

Any endeavor on the part of a person to canvass support by direct or indirect method for appointment to a post or for promotion to a higher post shall disqualify him for the appointment or promotion.

16. SUPPRESSION OF FACTS A DISQUALIFICATION

Any candidate who is found to have knowingly furnished any particulars which are false or have suppressed material information of a character, which if known would ordinarily have debarred him from getting an appointment to a grade or post, is liable to be disqualified, and, if appointed, to be dismissed from service.

17. CANCELLATION OF APPOINTMENT ORDER

If a candidate selected for the post earmarked for direct recruits fails to join duty within the date mentioned in the offer of appointment and where no such date is mentioned, within 30 days of the date of issue of the offer of appointment or within such extended period as the Appointing Authority may agree, the offer of appointment shall be deemed to have been cancelled.

18. PAYMENT OF TRAVELLING ALLOWANCE FOR ATTENDING INTERVIEW

In the case of posts filled by direct recruitment, all journeys which the candidates (including persons already in the service of the Board)may have to perform for the purpose of written and practical tests or interviews shall be at their own cost. However, candidates belonging to Scheduled Castes or the Scheduled Tribes called for written or trade tests or interview shall be granted traveling allowance as per orders in this regard issued by the Central Government from time to time.

19. PROBATION PERIOD

(1) Every person appointed to a post by direct recruitment or promotion or absorption shall, subject to the provisions of sub-regulation (2) & (3), be on probation for a period of two years except in case of persons appointed on absorption basis through composite method of recruitment in the posts of HODs and Dy. HODs carrying the scales of pay of Rs.16000-400-20800 and above.

Provided that where the appointment itself is for a period specified in the appointment order, such appointment shall stand terminated on the expiry of such period, unless such period is extended by the appointing authority.

Provided that, when the appointment is made by the direct recruitment and the post carries a scale of pay, the maximum of which does not exceed Rs.11,975/-, the period of probation shall be one year.

Provided that, there shall not be any probation in case of appointment by promotion within Class-III and Class-IV grades.

Provided further that, if an employee on probation to a grade or post is appointed to officiate in a higher grade or post, he shall be eligible to count the duration of his appointment to a higher grade or post to complete probation in his lower grade or post. Similarly, if an employee has previously been appointed to officiate in a grade or post, he may on appointment to the similar grade or post on probation will be eligible to count such officiating period (excluding Ad-hoc service) to complete probation in the grade or post.

- The period of probation may, if the appointing authority deems fit, be extended for a specific period at a time, but the total period of such extensions shall not, save where any extension is necessary by reason of any departmental or legal proceedings pending against the employee, exceed one year.
- Ouring the period of his probation an employee may be required to undergo such departmental training and pass such departmental tests as the appointing authority may, from time to time, specify in this behalf.

20. CONFIRMATION OF EMPLOYEES ON PROBATION

(1) General

(i) Confirmation will be made only once in the service of an employee which will be in the entry grade.

(ii) Confirmation is delinked from the availability of permanent vacancy in the grade. In other words an officer who has successfully completed the probation may be considered for confirmation.

(2) Confirmation in the grade to which initially recruited

- (i) As at present, the appointee should satisfactorily complete the probation.
- (ii) The case will be placed before DPC (for confirmation).
- (iii) A specific order of confirmation will be issued when the case is cleared from all angles.

(3) <u>On promotion</u>

(i) If the recruitment rules do not prescribe any probation, an officer promoted on regular basis (after following the prescribed DPC, etc., procedure) will have all the benefits that the person confirmed in that grade would have.

(ii) Where probation is prescribed, the appointing authority will on completion of the prescribed period of probation assess the work and conduct of the officer himself and in case the conclusion is that the officer is fit to hold the higher grade, he will pass an order declaring that the person concerned has successfully completed the probation. If, work of the officer has not been satisfactory or needs to be watched for some more time, he may revert him to the post or grade from which he was promoted, or extend the period of probation as the case may be.

Since there will be no confirmation on promotion before an official is declared to have completed the probation satisfactorily, a rigorous screening of his performance should be made and there should be no hesitation to revert a person to the post or grade from which he was promoted if the work of the officer during probation has not been satisfactory.

Confirmation of probationers: Α person appointed permanent post as a direct recruit with definite conditions of probation is to be confirmed in the grade with effect from the date on which he successfully completes the period of probation. The decision whether he should be confirmed or his probation extended should be taken soon after the expiry of the initial probationary period, i.e., ordinarily within 6 to 8 weeks and communicated to the employee together with the reasons in case of extension. Even though the meetings of the DPC may be held after the termination of the period of probation of direct recruits, a person appointed against a permanent post with definite conditions of probation is to be confirmed in the grade with effect from the date on which he successfully completes the period of probation. A probationer who is not making satisfactory progress or who shows himself to be inadequate for the service should be informed of his shortcomings well before the expiry of the original probationary period so that he can make severe efforts at selfimprovement.

In the case of probation, the DPC should not determine the relative grading of officers but only decide whether they should be declared to have completed the probation satisfactorily. If the performance of any probationer is not satisfactory, the DPC may advise whether the period of probation should be extended or whether he should be discharged from service.

21. DISCHARGE OR REVERSION OF EMPLOYEES ON PROBATION

(I) If an employee on probation in his first appointment is not considered fit, on the basis of his conduct or performance, for confirmation at the end of the period of probation prescribed in Regulation 19, he shall be discharged from the service of the Board.

- (2) If an employee on probation who holds a lien on a post and does not complete the period of probation as specified under Regulation 19 to the satisfaction of the appointing authority, he may be reverted to the post on which he holds a lien.
- (3) If an employee during the period of probation on a post is considered unfit for further retention in that post on the basis of performance or conduct or failure to pass the departmental test if prescribed, he shall be liable to be discharged from service at any time if he has no lien on any post or reverted to the post in which he holds a lien.

22. DEPARTMENTAL TEST FOR PROMOTION, CONFIRMATION IN CERTAIN CASES:

The Chairman may specify, from time to time, the posts, confirmation in or promotion to which shall be subject to the passing of a qualifying departmental test, if any. The Chairman may also specify, from time to time, the details of the qualifying departmental test such as the procedure for holding the test, the syllabus for the test, the intervals at which the test shall be held, the maximum period within which the test shall be passed by the candidates, etc.

23. REVERSION DUE TO FAILURE IN DEPARTMENTAL TEST

An employee promoted to a post shall pass such qualifying departmental test, if any, as may be specified by the Chairman from time to time, within such period, as may be specified by him failing which the employee shall be reverted. When the passing of a test is specified as a condition precedent to promotion to a higher post, no employee shall be considered for promotion to such a post, until he passes the prescribed test.

24. SENIORITY LIST

An up-to-date gradation list indicating the inter-se seniority of the employees shall be maintained for each grade. The list shall indicate separately the permanent and temporary employees in each grade. The list shall be circulated every year.

25. FIXATION OF SENIORITY

- (1) The seniority of persons directly recruited to a grade and persons appointed on the basis of departmental promotion shall be assigned interse seniority according to rotation of vacancies between direct recruits and promotees which shall be based on the quota of vacancies in the grade reserved for direct recruitment and promotion as indicated in the schedule. In cases where exchange of vacancies has been resorted to as per Regulation 6, the seniority will be as per the mode of filling up.
- (2) Direct recruits shall be ranked inter-se in the order of merit in which they are placed in the select list on the basis of their performance in the examination or interview or both, the recruits of an earlier select list being ranked senior to those of a later select list.

- (3) Persons appointed against promotion quota of vacancies shall be ranked inter-se according to the order in which they are approved for promotion by the Departmental Promotion Committee.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (3) above, the seniority already determined prior to the commencement of these regulations shall remain unaffected.

26. DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE

- (1) There shall be a Departmental Promotion Committee for each grade or post to recommend a panel of employees for appointment to different posts by promotion in accordance with these regulations.
- (2) The composition of the Departmental Promotion Committee will be the same as that of the Services Selection Committee as laid down in Regulations 12 and the validity of the panel shall be the same as mentioned in Regulation 13.

27. FIELD OF SELECTION FOR PROMOTION

- Where one or more posts in a grade are required to be filled by promotion through selection method from employees holding posts in the feeder grade in accordance with the prescribed recruitment rules employees holding the eligible posts and having the prescribed qualifications and experience for promotion shall be considered for promotion if they fall within the zone of consideration.
- (2) The following procedure shall be observed while recommending employees for promotion through selection method:
 - (a) The Departmental Promotion Committee (DPC) shall determine the merit of those being assessed for promotion with reference to the prescribed benchmark and accordingly grade the officers as 'fit' or 'unfit' only those who are graded 'fit' by the DPC shall be included and arranged in the select list in order of their inter-se seniority in the feeder grade. Those Officers who are graded as 'unfit' by the DPC shall not be included in the select list.
 - (b) The Departmental Promotion Committee shall also consider the cases of eligible employees who are on foreign service or on study leave.
 - (c) The instructions issued by the Govt. from time to time on procedure to be followed in DPC proceedings in respect of Govt. servants shall mutatis mutandis apply.

Note: - For absorption to the post carrying pay scale of Rs.16000-400-20800 and above and for which composite method of recruitment is adopted, the benchmark in the overall grading shall be 'Very Good'. In all other cases, the benchmark shall be "Good".

(3) For promotion to non-selection posts, where no bench mark is specified, the criteria for selection shall be seniority-cum-fitness.

28. ADHOC APPOINTMENTS

In case of immediate necessity when a panel recommended by the Departmental Promotion Committee has been used up, the appointing authority may make a purely ad hoc appointment to a post, by appointing the senior most eligible and suitable employee in the feeder grade or post up to a period of six months at a time and not exceeding one year or till a new panel is recommended by the Departmental Promotion Committee whichever is earlier. The ad-hoc appointment, where unavoidable, should be made only strictly subject to fulfilling the qualifications, experience provided in the RRs.

29. COMPASSIONATE APPOINTMENTS

Notwithstanding anything contained in these regulations, the Chairman may dispense with the normal procedure of recruitment prescribed in these regulations and appoint to a Clas-III or Class-IV post the legitimate sonn or daughter or the surviving spouse of an employee of the Board, who dies while in service, if the person to be so appointed possesses the prescribed qualifications and experience and is otherwise found suitable.

30. INTERPRETATION

In the application of these Regulations all the instructions of the Central Government as amended from time to time which are not contrary to any of the provisions of these Regulations and all instructions issued from time to time by the Central Government which cover matters not specifically covered will be followed.

Where a doubt arises as to the interpretation of any of these Regulations, the matter shall be referred to the Chairman for a decision.

31. REPEAL AND SAVINGS

All the regulations, procedures, practices, and customs corresponding to these regulations and in force immediately before the commencement of these regulations are hereby repealed.

Provided that any order made or action taken under the regulations, procedures, practices, and customs so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations.

[PART II—SEC. 3(i)]

SI. No.		No. of posts		Scale of Pay. (Rs.)	· ·	Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will ap v in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of probation, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Senior Assistant Secretary		Class I	10750-300-16750	Selection		Essential: (i) A Degree from a recognized University. (ii) 5 years experience in Executive cadre in the field of Gen. Admn., Personnel, Industrial Relations etcin an Industrial/ Commercial/Govt. Undertaking. Desirable Post Graduate Degree/Diploma in Personnel Management/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or Degree in Law from a recognized University/ Institution.	a) No. b) Yes c) No.	Two		Promotion from Asst. Secretary Gr.I / Asst. Secretary Gr.I (O.L) / Law Officer Gr.I in the pay scale of Rs. 9100-15100 with five years regular service in the grade failing which Asst. Secretary Gr.I (O.L) / Law Officer Gr.I, in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with two years regular service in the grade and a combined regular service of eight years in the scales of pay Rs. 9100-15100 and Rs. 8600-14600 in the respective discipline of Genl. Admn. Deptt. Absorption/deputation will be of officers holding analogous posts or post of Asst. Secretary Gr.I/ Asst. Secretary Gr.I (O.L) / Law Officer Gr.I, in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with five years regular service in the grade in a Major Port Trust.	

GL. ADMN - MAIN.	
romotion/absorption/	Rema

SI. No.	Name of post	No. of posts		Scale of Pay. (Rs.)	selection or non- selection	Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption /deputation	Period of probation, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
1	Assistant Secretary Gr. I	3	Class I	5 9100- 250- 15100	Selection	30	Essential: (i) A Degree from a recognized university. Desirable (i) Post Graduate Degree/Diploma in Personnel Management/Industria I Relations/ Social Work/Labour Welfare or allied subjects or Degree in Law from recognized University/Institution (ii)Two years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.	a) No b) Yes. c) No.	Two	Up to 21st Aug. 2012. By Direct Recruitment -33 1/3 %. By Promotion — 66 2/3 %. After 21st Aug. 2012 By Direct Recruitment -66 2/3% By Promotion — 33 1/3%	Promotion from Asst. Secretary Gr.II/ Asst. Secretary (Jr)/ Dy. Chief Accountant (Sr)-II in the scale of pay of Rs. 8600-14600 with three years regular service in the grade. OR From Class-III employees in the scale of pay of Rs.6170-11975 in the respective discipline of General Admn./Finance Dept. with 5 years regular service in the grade where there are no Class-II posts in the pay scale of Rs.8600-14600 in that discipline.	Existing post of Asst. Secretary (Sr.) in the scale of pay of Rs. 9100-15100 redesignate d as Asst. Secretary Gr. I.

i. 	Name of post	No. of posts	Classi- fication.	Scale of Pay. (Rs.)	Whether selection or non- selection	Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
	Deputy Secretary	1	Class I	13000- 350-18250		40	Essential: (i) A Degree from a recognized university. (ii) Nine years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/ Commercial/Govt. Undertaking. Desirable: Post Graduate Degree/Diploma in Personnel Management/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or Degree in Law from a recognized University/ institution.	a No. b Yes. c No.	Two		Promotion from Senior Asst. Secretary/ Senior Asst. Secretary (PR)/ Sr. Welfare Officer/Sr. Asst. Estate Manager in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with four years regular service in the grade failing which Senior Asst. Secretary/ Senior Asst. Secretary (PR)/ Sr. Welfare Officer/Sr. Asst. Estate Manager in the pay scale of Rs. 10750-16750 with two years regular service in the grade and a combined regular service of nine years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 and Rs. 9100-15100 in the respective discipline of General Administration Department. Absorption/Deputation will be of officers holding analogous posts or post of Senior Asst. Secretary/ Senior Asst. Secretary (PR)/ Sr. Welfare Officer/Sr. Asst. Estate Manager in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with four years regular service in the grade in a Major Port Trust.	13

SI. No.	Name of post		Classi- fication.	Pay. (Rs.)	selection or non- selection	Age	direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation		Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Rem arks
 ,	2	3	4	5	6	7	8	9	10		For absorption through composite method,	
4	Senior Deputy Secretary	1	Class I	16000- 400-20800	Selection	42	Essential: (i) A Degree from a recognized university. (ii) 12 years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/Commercial/Go vt. Undertaking. Desirable: Post Graduate Degree/Diploma in Personnel Management/Industrial Relations/ Social Work/Labour Welfare or allied subjects or Degree in Law from a recognized University/ Institution.	a). No b). Yes c). No.	NA	By absorption through composite method failing by deputation from other Govt. organisations and failing both by direct recruitment.	Officers holding analogous posts or the post of Dy. Secretary and equivalent posts in the respective discipline of General Admn. Dept. in the scale of pay of Rs. 13000-18250 with three years regular service in the grade in a Major Port Trust OR Dy. Secretary and equivalent posts in respective discipline of General Admn. Dept. with two years regular service in the grade AND a combined regular service of seven years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 and Rs. 13000-18250 in the respective discipline of the General Admn. Dept. in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or post of Dy. Secretary and equivalent posts in the respective discipline of General Admn. Dept. in the pay scale of Rs. 13000-18250 in Govt. / Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies with three years regular service in the grade will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	

Autonomous bodies will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the ACRs will not be below "very good".

SI. No.	Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay. (Rs.)	Whether selection or non- selection	Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
5	Secretary	3	Closs I	5	6	7	8	9	10	11	12	12
	(Category II Ports)		Class I HOD	18500- 450-23900			Essential: (i) A Degree from a recognized university. (ii) 15 years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/Commercial/Go vt. Undertaking. Desirable: Post Graduate Degree/Diploma in Personnel Management/Industrial Relations/ Social Work/Labour Welfare or allied subjects or Degree in Law from a recognized University/ Institution.	a). No b). Yes c). No	NA		For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or Officers holding posts in the scale of pay of Rs. 17500-22300 with two years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 16000-20800 with three years regular service in the grade in the GAD/Human Resources Development Dept. of a Major Port Trust will be eligible. For Deputation, Officers holding analogous posts or post of Senior Dy. Secretary and equivalent posts in the GAD/HRD in the scale of pay of Rs. 16000-20800 and above with three yrs. regular service in the grade in Govt./Semi Govt./PSUs or	13

Name of post

भारत का राजपत्र : असाधारण

promotion/absorption/ Rem of In case of Period Method Whether Educational and other Whether Upper deputation, grades from which it should | arks Name of post No. Classi-Scale of of recruitment (a) Age Qualifications prescribed for of fication, Pay. (Rs.) selection Age No. by be made. (whether proba-(b) Educational direct recruitment. limit posts or nondirect tion. qualifications for selection recruitment or by (c) Experience for (in direct promotion direct recruits will yrs.) recruitapply in the case of /absorption/ ment deputation) promotion/absorpti (in yrs) on/deputation 13 12 10 11 8 7 5 6 3 Promotion from P.A. to HOD/ P.S. to By Promotion a) No. 2 years 30 9100-250- Selection Essential: Class I Dy. Chairman in the scale of pay of P.S to Chairman failing which by b) No (i) A Degree from a Rs.8600-14600 with 3 yrs. regular 15100 absorption/Depuc) No. recognized University. service in the grade. tation, failing (ii) Proficiency in Stenography Absorption/ Deputation will be of both by direct and Typewriting with a officers holding analogous post or recruitment. speed of 120/40 wpm feeder post with three years regular respectively. service in the grade in a Major Port. (iii) Knowledge of Computer Application. (iv) Five years experience as Stenographer/P.A in an Industrial/Commercial/Gov t. undertaking. Promotion from P.S to Dy. (a) No 2 years By Promotion Class I 10750-35 Essential: Senior P.S to 1 Selection Chairman/ P.S. to Chairman in failing which (b) Yes (i) A Degree from a 300-16750 Chairman the pay scale of Rs. 9100-15100 (c) No absorption/Deput recognized University. with five years regular service ation, failing both (ii) Proficiency in Stenography in the grade failing which from by direct and Typewriting with a P.S to Dy. Chairman/P.S. to recruitment. speed of 120/40 wpm Chairman with two years respectively. regular service in the scale of (iii) Knowledge of Computer pay of Rs.9100-15100 and a Application. combined regular service of (iv) Eight years experience as eight years in the scales of pay Stenographer/P.A in an of Rs. 9100-15100 and Industrial/Commercial/ Rs. 8600-14600. Govt. undertaking. Absorption/deputation will be of officers holding analogous posts or feeder posts with five years regular service in the grade in a Major Port.

SI. No.	Name of post	No. of posts		Scale of Pay. (Rs.)	Whether selection or non- selection	Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Welfare Officer			9100- 1250- 15100	Selection	30	Essential: (i) A Degree from a recognized university. (ii) Degree/Diploma in Social Science from a recognized University/Institution (iii) Knowledge of Local Language. Desirable: Two years experience as a Labour Welfare Officer/ Industrial Relations Officer in an Industrial/ Commercial/ Govt. undertaking.	a) No. b) Yes c) No	Two	Up to 21 st Aug. 2012. By Direct Recruitment-33 1/3 %. By Promotion — 66 2/3 %. After 21 st Aug. 2012 By Direct Recruitment-66 2/3% By Promotion — 33 1/3%Note: Promotion will be on the basis of a written test and a viva voce.	Promotion from Asst. Welfare Officer/ Sports Officer in the scale of pay of Rs. 8600-14600 with 3 years regular service in the grade OR from Class-III employees in the scale of pay of Rs.6100-11975 in the respective discipline of Pers. & I.R.Division with five years regular service in the grade where there are no Class-II posts in the pay scale of Rs.8600-14600 in that discipline.	
7	Sr. Welfare Officer	1	Class I	10750- 300-16750	Selection		Essential: (i) A Degree from a recognized University. (ii) Degree/Diploma in Social Science from a recognized University/Institution (iii) 5 years experience as a Labour Welfare Officer/Industrial Relations Officer in an Industrial/Commercial/Go vt. undertaking (iv) Knowledge of Local Language.	a) No. b) Yes c) No	Two	By promotion failing which by absorption/ deputation, failing both by direct recruitment.	service in the grade failing which Welfare Officer in the scale of pay of Rs.9100-15100 with two years regular service in the grade and a combined regular service of eight years in the scale of pay of Rs.9100-15100 and Rs.8600-14600 in the	Existing post of Industrial Relations Officer in the pay scale of Rs. 10750-300-16750 is redesignated as Sr. Welfare Officer

Sl. No.	Name of post	No. of posts		Scale of Pay. (Rs.)	Whether selection or non- selection	Age	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Assistant Estate Manager Grade I		Class I	9100- 250- 15100	Selection	30	Essential: (i) Degree with a Post Graduate Degree/Diploma in Architecture/Town and Country Planning or Degree in Civil Engg. from a recognized University/ Institution or Corporate Membership of Institution of Surveyor (India). Desirable:- (i) A Degree in Law from a recognised University. (ii) Two years executive experience in Estate Management, Valuation or Land Records in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	a) No b) No. However, Diploma from a recognized University/Insti tution is essential. c) No.	Two	Up to 21st Aug2012. By Direct Recruitment-33 1/3 %. By Promotion 66 2/3 %. After 21st Aug. 2012 By Direct Recruitment-66 2/3% By Promotion 33 1/3%	Promotion from Asst. Secretary (Jr) /Dy. Chief Acctt. (Sr)-II in the scale of pay of Rs. 8600-14600 with three years regular service in the grade OR from Class III employees in the scale of pay of Rs. 6170-11975 in the discipline of Estate Division with 5 years regular service in the grade where there are no Class-II posts in the pay scale of Rs.8600-14600 in that discipline.	
11	Sr. Assistant Estate Manager	1	Class I	10750- 300-16750	Selection	35	Essential: (i) Degree with a Post Graduate Degree/Diploma in Architecture/Town and Country Planning or Degree in Civil Engg. from a recognized University/ Institution or Corporate Membership of Institution of Surveyor (India). (ii) Seven years executive experience in Estate Management, Valuation or Land Records in an Industrial/ Commercial/Govt. Undertaking. Desirable:- A Degree in Law from a recognised University.	essential. (C) No.	Two	By promotion, failing which by absorption/ deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Asst. Estate Manager Gr.I in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with five years regular service in the grade failing which Asst. Estate Manager Gr.I in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with two years regular service in the grade and a combined regular service of eight years in the scales of pay of Rs. 9100-15100 and Rs. 8600-14600 in the discipline of Estate Division. Absorption/ deputation will be of officers holding analogous posts or Asst. Estate Manager Gr.I or equivalent posts in the discipline of Estate Division in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with five years regular service in a Major Port Trust.	

भारत का राजपत्र : असाधारण

111

SI. No.	•	No. of posts		Scale of Pay. (Rs.)	Whether selection or non- selection	Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	from Class III employees in the scale of pay of Rs. 6170-11975 in the discipline of Estate Division with 5 years regular service in the grade where there are no Class-II posts in the pay scale of Rs.8600-14600 in that discipline.	13
12	Law Officer Grade I	1	Class I	9100- 250- 15100	Selection	30	Essential: (i) A Degree in Law from a recognized university. Desirable: (i) Two years executive experience in a Legal Establishment of an Industrial /Commercial / Govt. Undertaking. (ii) Post Graduate Degree in Law from a recognized University.	a) No. b) Yes c) No.	Two	After 21st Aug. 2012 By Direct Recruitment-66 2/3%	Promotion from Law Officer Gr.II in the scale of pay of Rs. 8600-14600 with three years regular service in the grade OR from Class-III employees in the scale of pay of Rs.6170-11975 in the discipline of Legal Division with 5 years regular service in the grade where there are no Class-II posts in the pay scale of Rs.8600-14600 in that discipline.	

SI. No.		No. of posts		Pay. (Rs.)	selection or non- selection	Age	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	deputation, grades from which it should be made.	Remarks
<u> </u>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Sr. Asst. Secretary (Public Relations)	1	Class I	10750- 300-16750	Selection	35	Essential: (i) Degree of a recognized University. (ii) Degree or Diploma in Public Relations/ Journalism from a recognised University/ Institution. (iii) Five years experience in Officer Cadre in Public Relation Work in Port / Public Sector / Reputed Public Ltd. Company. Desirable: (i) Post Graduate Degree / Diploma in Business Administration. (ii)Knowledge of Computer Packages.	a) No. b) Yes c) No.	Two	By Promotion failing which by absorption/ deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Asst. Secretary Gr.I (Asst. Secretary Gr.I (O.L) / Welfare Officer / Asst. Estate Manager Gr.I / Law Officer Gr.I in the pay scale of Rs. 9100-15100 with five years regular service in the grade failing which Asst. Secretary Gr.I (O.L) / Welfare Officer / Asst. Estate Manager Gr.I / Law Officer Gr.I, in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with two years regular service in the grade and a combined regular service of eight years in the scales of pay Rs. 9100-15100 and Rs. 8600-14600 in the respective discipline of Genl. Admn. Deptt. Absorption/deputation will be of officers holding analogous posts or post of Asst. Secretary Gr.I (O.L) / Welfare Officer/Asst. Estate Manager Gr.I / Law Officer Gr.I, in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with five years regular service in the grade in a Major Port Trust.	

SI. Name of post	No. of posts	fication.	Scale of Pay. (Rs.)	Whether selection or non- selection	Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
1 2 14 Asst. Secretary Gr.I (Official Language)	3	Class I	5 9100-250- 15100	6 Selection		Essential: (i) Masters Degree in Hindi with English as subject at the Degree level or Masters Degree in English with Hindi as a subject at the Degree level. (ii) Five years experience of terminological work in Hindi and translation work from English to Hindi and vice versa preferably of technical and scientific literature with at least 2 years experience in a Supervisory position. Desirable (i) Knowledge of the official Language Act and Rules framed there under. (iii) Experience in organising Hindi Classes or Workshop for noting and drafting. (iv) Post Graduate Diploma in Translation. (v)Knowledge of Malayalam.	9 a. No b. Yes c. As in Col No. 12	10 2	By Promotion failing which by absorption/ deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Hindi Translators with 5 years experience.	13

RESEARCH

SI. No.		No. of posts	Classi- fication.		selection or non- selection	Age	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Assistant Director (Research)		Class I	9100- 250- 15100	Selection	30	Essential: (i) Degree in Economics or Statistics or Mathematics from a recognized University/Institution. Desirable: (i) Two years executive experience in collection, compilation and interpretation of data or in conducting field surveys, investigations etc. (ii) Knowledge of computer operations. (iii) Post Graduate Degree/Diploma in Economics or Statistics or Mathematics or Operational Research and allied subjects from a recognized university/institution.		Two	Up to 21st Aug2012. By Direct Recruitment-33 1/3 %. By Promotion – 66 2/3 %. After 21st Aug. 2012 By Direct Recruitment-66 2/3% By Promotion – 33 1/3%	Promotion from Research Officer in the pay scale of Rs. 8600-14600 with three years regular service in the grade. OR Promotion from Class III employees in the scale of pay of Rs.6170-11975 in the respective discipline of P&R Division with five years regular service in the grade where there are no Class II posts in the scale of pay of Rs.8600-14600 in that discipline.	

SI. No.	1	No. of posts	fication.		Whether selection or non- selection	Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
16		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Deputy Director (Research)		Class I	10750- 300-16750	Selection		Essential: (i) Degree in Economics or Statistics or Mathematics from a recognized University/ Institution. (ii) Five years executive experience in Planning or in Collection, Compilation & interpretation of data or in conducting field surveys, investigations etc. Desirable: (i) PG Degree/diploma in Economics or Statistics or Mathematics or Operational Research and allied subjects from a recognised University/Institution. (ii) Knowledge of computer operations	a.No. b.Yes. c.No.	Two		Promotion from Asst. Director (Research) in the pay scale of Rs. 9100-15100 with five years regular service in the grade failing which from Asst. Director (Research) in the scale of pay of Rs.9100-15100 with two years regular service in the grade and a combined regular service of eight years in the scales of pay of Rs.9100-15100 and Rs. 8600-14600 in the respective discipline of P&R Division. Absorption/Deputation will be of Officers holding analogous posts or Asst. Director (Research) / Asst. Director (EDP) and other equivalent posts in the scale of pay of Rs.9100-15100 with five years regular service in the grade in P&R Division in a Major Port Trust.	Existing post of S& RO redesign- ated as Dy. Director (Research)

								COCHIN PORT TI	RUST			
SI. No.	Traine or pose	No. of posts			selection or non- selection	Age	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti	Period of probation, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made	Remarks
			<u></u>					on/deputation	10	11	12	13
17	Senior Deputy Director (Research)	3	4 Class I	5 13000- 350-18250	6 Selection	7 40	Essential: (i) Degree in Economics or Statistics or Mathematics from a recognized University/ Institution. (ii) Nine years executive experience in planning or Collection, Compilation, & interpretation of data OR in conducting field surveys, investigations etc. (iii) Knowledge of computer operations. Desirable: (i) Post Graduate Degree/ Diploma in Economics or Statistics or Mathematics or Operational Research and allied subjects from a recognized University/ Institution. (ii) Knowledge of computer operations.	a.No. b.Yes. c. No.	Two	By promotion failing which by absorption /deputation failing both by direct recruitment.	Promotion from Dy. Director (Research) in the pay scale of Rs. 10750-16750 with four years regular service in the grade failing which from Dy. Director (Research) in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of nine years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 and Rs. 9100-15100 in the respective discipline of P&R Division. Absorption/Deputation will be of Officers holding analogous posts or Dy. Director (Research) / Dy. Director (EDP) and other equivalent posts in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with four years regular service in the grade in P&R Division in a Major Port Trust.	

FINANCE DEPT

SI. I	Name of post	No. of posts	Classi- fication.	1		Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption /deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
I	Accounts Officer Grade I	6		9100-250- 15100	Selection		Essential: - Member of Institute of Chartered Accountants of India or Institute of Cost and Works Accountants of India. Desirable Two years experience in Executive Cadre in the field of Finance, Accounting in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No (b) No. However, a Degree from a recognized University is essential. (c) No		Up to 21st Aug2012 By Direct Recruitment -33 1/3 %. By Promotion – 66 2/3 %. After 21st Aug. 2012 By Direct Recruitment	From Class-III employees in the scale of pay of Rs.6170-11975 in the respective discipline of Finance	Existing posts of Dy.Chief Accountant (Sr.)I in the scale of pay of Rs.9100-15100 redesignated as Accounts Officer Gr-1.

S1. No.	Name of post	No. of posts	Classi- fication.	Pay. (Rs.)	selection or non- selection	Age	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Promotion from Accounts	One post will be
2	Sr. Accounts Officer	2	Class-I	10750- 300-16750	Selection	35	Essential:- (i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India. (ii) Five years experience in Executive Cadre in the field of Finance, Accounting in an Industrial/ Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) No. However, a Degree from a recognized University is essential. (c) No	Two Years	By promotion failing which by absorption/deputation, failing both, by direct recruitment.	Promotion from Accounts Officer Gr. I in the scale of pay of Rs.9100-15100 with five years regular service in the grade failing which Accounts Officer Grade I in the scale of pay of Rs.9100-15100 with two years regular service in the grade and a combined regular service of eight years in the scales of pay of Rs.9100-15100 and Rs.8600-14600 in respective discipline of Finance Dept. Absorption/Deputation will be of officers holding analogous posts or post of Accounts Officer Gr.I in the scale of pay of Rs.9100-15100 with five years regular service in the grade in a Major Port Trust.	operated as Sr. Accounts Officer (Costing).

[PART II—SEC. 3(i)]

SI. No.	Name of post	No. of posts	Classi- fication.	Scale of Pay. (Rs.)	Whether selection or non- selection	Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of position/absorpti on/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
3	Deputy Chief Accounts Officer	1	Class-I	13000- 350-18250	Selection	40	Essential:- (i) Member of Institute of	9 (a) No (b) No. However, a	10 Two Years	By promotion failing which by	Promotion from Senior	13
							Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India. (ii) Nine years experience in Executive Cadre in the field of Finance, Accounting in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.	Degree from a recognized University is essential. (c) No		absorption/deputation , failing both by direct recruitment.	Accounts Officer in the scale of pay of Rs.10750-16750 with four years regular service in the grade, failing which Senior Accounts Officer in the scale of pay of Rs.10750-16750 with two years regular service in the grade and a combined regular service of nine years in the scales of pay of Rs.10750-16750 and Rs.9100-15100 in the respective discipline of Finance Dept. Absorption/ deputation will be of officers holding analogous posts or post of Sr. Accounts Officer in the scale of pay of Rs.10750-16750 with four years regular service in the grade in a Major Port Trust.	

SI.	Name of post	No. of posts		Pay. (Rs.)		Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
	Senior Deputy Chief Accounts Officer	1	Class-I	16000- 400-20800	Selection	42	Essential:- (i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or Institute of Cost and Works Accountants of India. (ii) Twelve years experience in Executive Cadre in the field of Finance, Accounting in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.	(a). No (b). Yes (c). No	N.A	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. organizations and failing both by direct recruitment.	For absorption through Composite Method, Officers holding analogous posts OR Dy. Chief Accounts Officer and equivalent posts in respective discipline of Finance Dept. in the scale of pay of Rs. 13000-18250, with 3 years regular service in the grade of Rs.13000-18250 in a Major Port Trust or Dy. Chief Accounts Officer and equivalent posts in respective discipline of Finance Dept. with two years regular service in the grade and a combined regular service of seven years in the scale of pay of Rs.10750-16750 and Rs.13000-18250 in the respective discipline of the Finance Dept. in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or holding posts of Dy. Chief Accounts Officer and equivalent posts in respective discipline of Finance Dept in the scale of pay of Rs.13000-18250 in Govt. /Semi Govt/ PSU's or Autonomous Bodies with three years regular service in the grade will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the ACR's will not be below "Very Good".	

SI. No.		No. of posts	Classi- fication.	Scale of Pay. (Rs.)	Whether selection or non- selection	fimit for direct recruit- ment (in yrs)	Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
<u>-</u> -	Financial Advisor	3	Class-I		6	7	8	9	10	11	12	13
	and Chief Accounts Officer. (Cat II Ports)		HOD	18500- 450-23900	Selection		Essential:- (i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India. (ii) Fifteen years experience in Executive Cadre in the field of Finance, Accounting in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.	(a). No (b). Yes (c). No	N.A		For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or Officers holding posts in the scale of pay of Rs.17500-22300, with two years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.16000-20800 with three years regular service in the grade in the Finance Dept. of a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding posts of Senior Dy. Chief Accounts Officer and equivalent posts in the Finance Dept in the scale of pay of Rs.16000-20800 and above in Govt./PSUs or Autonomous Bodies with three years regular service in the grade will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	

SI. No.				Pay. (Rs.)	selection or non- selection		Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/abso rption/deputati on	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
<u> </u>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Asst. Director (EDP)	2		9100-250-15100		30	Essential: - (i) Degree in Computer Engineering/ Computer Science from a recognized University/Institution. Or Degree in Mathematics/ Statistics/ Operational Research/ Economics/ with P.G Diploma in Computer Applications/ Computer Science/ I.T from a recognized University/Institution. Or Degree in Engineering with P.G diploma in Computer applications/ Computer Science/ I.T from a recognized University / Institution. Desirable (i) Post Graduate Degree in Maths/Statistics/Operational research/ Economics or PG Degree in Computer Science or Computer Engineering or Systems or Information Systems or MIS or I.T or Computer application or Business Admn. (PG degree/ Diploma) with specialization in systems or Information systems or MIS or Information Technology and allied subjects from a recognized University/Inst.tution. (ii) Two years experience in Programming/Electronic Data Processing/ Systems Analysis etc.	(a) . No (b). Yes (c). No	Two	Up to 21 st Aug. 2012. By Direct Recruitment- 33 1/3 %. By Promotion – 66 2/3 %. After 21 st Aug. 2012 By Direct Recruitment- 66 2/3% By Promotion – 33 1/3%	Promotion from Programmer in the scale of pay of Rs.8600-14600 with three years regular service in the grade or promotion from Class- III employees in the scale of pay of Rs.6170-11975 in the respective discipline of EDP/P&R Division with five years regular service in the grade where there are no Class-II posts in the pay scale of Rs.8600- 14600 in that discipline.	The existing post of Analyst Programmer is redesignated as Asst. Director (EDP)

SI. No.	Jame of post	No. of posts	fication.	Scale of Pay. (Rs.)	Whether selection or non- selection	Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	(a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/abso rption/deputati	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method or recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	promotion/absorption/	Remar ks
		3	4	5	6	7	8	on 9	10			
7 E	Deputy Director (EDP)	2	Class-I	10750- 300-16750	Selection	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Essential: - (i) Degree in Computer Engineering/ Computer Science from a recognized University/Institution. Or Degree in Mathematics/ Statistics/ Operational Research/ Economics with P.G Diploma in Computer Applications/ Computer Science/ I.T from a recognized University/Institution. Or Degree in Engineering with P.G Diploma in Computer applications/ Computer applications/ Computer Science/ I.T from a recognized University / Institution. (ii) Five years experience in Programming/ Electronic Data Processing/ System Design & Analysis and related fields. Desirable i)Post Graduate Degree in Maths/Statistics/Operational research/ Economics or Post Graduate Degree in Computer Science or Computer Engineering or systems or Information Systems or MIS or I.T in Computer application or Business Admn. PG Degree/ Diploma) with specialization in systems or Information systems or MIS or Information Technology and allied subjects on a recognized University/Institution	(a). No (b). Yes (c). No	Two		Promotion from Asst. Director (EDP) in the scale of pay of Rs.9100-15100 with five years regular service in the grade failing which Asst. Director (EDP) in the scale of pay of Rs.9100-15100 with two years regular service in the grade and a combined regular service of eight years in the scales of pay of Rs.9100-15100 and Rs.8600-14600 in the respective discipline of EDP/P&R Div. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Assistant Director(EDP)/Assistant Director(Research) and other equivalent posts in the scale of pay of Rs.9100-15100 with 5 years regular service in the grade in EDP/P&R Division in a Major Port Trust.	13

SI. No.		No. of posts		Scale of Pay. (Rs.)	selection or non-	Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/abso rption/deputati on	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	ks	
<u> </u>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 	13	
8	Senior Deputy Director (EDP)	1	Class-I	13000- 350- 18250	Selection	40	Essential: - (i)Degree in Computer Engineering/ Computer Science from a recognized University/Institution. Or Degree in Mathematics/ Statistics/ Operational Research/ Economics/ with P.G Diploma in Computer Applications/ Computer Science/ I.T from a recognized University/Institution. Or Degree in Engineering with P.G diploma in Computer applications/Computer Science/ I.T from a recognized University / Institution. (ii) Nine years experience in Programming/ Electronic Data Processing/System Design & Analysis and related fields. Desirable Post Graduate Degree in Maths/Statistics/Operational research/ Economics or Post Graduate Degree in Computer Science or Computer Engineering or Systems or Information Systems or MIS or I.T or Computer application or Business Admn. (PG Degree/ Diploma) with specialization in systems or Information Technology and allied subjects from a recognized University/Institution	(a). No (b). Yes (c). No	Two	By promotion failing which by absorption/de putation failing both by direct recruitment.	Promotion from Deputy Director (EDP) in the scale of pay of Rs.10750-16750 with four years regular service in the grade failing which Deputy. Director (EDP) in the scale of pay of Rs.10750- 16750 with two years regular service in the grade and a combined regular service of nine years in the scales of pay of Rs.10750-16750 and Rs.9100-15100 in the respective discipline of EDP. Absorption / Deputation will be of officers holding analogous posts or Deputy Director (EDP)/Deputy Director (Research) and other equivalent posts in the scale of pay of Rs.10750-16750 with four years regular service in the grade EDP/ P & R division in a Major Port Trust.		

MARINE DEPT

SI. No.	Name of post	posts	Classi- fication.	Pay. (Rs.)	selection	Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption /deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
		3	4	5	6	7	8	9	10	deputation)		
	Pilot	11	Class I	14500- 350-18700	N.A.		Essential:- i) Must hold a certificate of competency as Master of foreign going ship issued by the Ministry of shipping, Govt. of India or an equivalent qualification recognised by the Ministry of Shipping, Govt. of India. ii) One year post qualification experience as Master / Chief Officer of a foreign going ship.	N.A.	2	By Direct recruitment.	N.A.	13

SI. No.				Pay. (Rs.)	selection or non- selection	Age	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Harbour Master		Class I	17500- 400-22300	Selection	45	i) Must hold a certificate of competency as Master of foreign going ship issued by the Ministry of shipping, Govt. of India or an equivalent qualification recognised by the Ministry of Shipping, Govt. of India. ii) Must hold Pilot license and have 6 years experience either as Master of Foreign going ship or in Piloting or cumulative.	a) : No b) : Yes c) : No	N.A.	By Absorption through composite method failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	For absorption by composite method, Officers holding analogous posts or Pilots in the scale of pay 14500 - 18700 and above with 5 years regular service in the grade in a Major Port are eligible. For deputation officers holding analogous posts or holding Pilots posts and its equivalent deck side post with experience as mentioned above in Govt./ PSUs/ Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good"	The present incumbent is in the scale of Rs. 18500-450-23900.

SI. No.	Name of post	No. of		Scale of Pay. (Rs.)	Whether selection	Upper Age	Educational and other Qualifications prescribed for	Whether	Period	Method of		Remarks
		posts			or non- selection	limit for direct recruit- ment (in yrs)	direct recruitment.	(a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	of proba- tion, (in yrs.)	recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	deputation, grades from which it should be made.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3	Deputy Conservator	1	Class I	18500 - 450 - 23900	Selection		i) Must hold a certificate of competency as Master of foreign going ship issued by the Ministry of shipping, Govt. of India or an equivalent qualification recognised by the Ministry of Shipping, Govt. of India. ii) Must hold Pilot license and have 8 years experience either as Master of Foreign going ship or in Piloting or cumulative.	a): No b): Yes c): No	N.A.	By Absorption through composite method failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	For absorption by composite method, Officers holding analogous posts or holding posts of Harbour Master in the scale of pay 17500 - 22300 with 2 years regular service in the grade in a Major Port Trust will be eligible. For deputation officers holding analogous posts or holding post of Harbour Master and its equivalent deck side post in the scale of pay of Rs.17500 - 22300 and above with 2 years regular service in the grade in Govt./ Semi-Govt./ PSUs/ Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be	13
	Marine Engineer Oy Marine			14500: 350-18700	NA	(i) MOT I Class Motor Certificate issued under Merchant Shipping Act 1958. ii) One year post Qualification experience as Chief Engineer/2 nd Engineer on board a foreign going Ship.	NA	2	By direct recruitment.	below "Very Good" NA	
	Engineer	1	Class I	10750- 100-16750	NA	35 (i	MOT II Class Motor Certificate issued under Merchant Shipping Act 1958.	NA	2	By direct recruitment	NA	

SI No					Pay. (Rs.)	selection or non- selection	Age	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absordeputation, grades from which it she made.	ption/ Rem hould arks
-	7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Promotion from the post of Dy. M.	!1
		Sr. Deputy Marine Engineer		Class I	13000- 350-18250	Selection	Not exceed -ing 40	MOT II Class Motor Certificate issued under Merchant Shipping Act 1958. Six years experience as Independent Watch Keeping Engineer on board a foreign going Ship.	a). No b). Yes c). No	2	By promotion failing which by absorption/ deputation failing both by direct recruitment	Engineer in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years reguservice in the grade. Absorption/deputation will be of officers holding analogous post or officers with 4 years regular service the post of Dy. Marine Engineer it scale of pay of Rs. 10750-16750 in Major Port Trust.	f ce in n the n any
	7	Sr. Marine Engineer /Chief Engineer Marine Vessel		Class I	16000-20800	Selection	44	(i) MOT I Class Motor Certificate issued under Merchant Shipping Act 1958. (ii) Four years experience as Chief Engineer or 5 years combined experience as Chief Engineer and 2 nd Engineer on board a foreign going ship.	a) No b) Yes c) No	NA	By promotion or by absorption (*)through composite method failing which by deputation from other Govt. organization and failing both by direct recruitment.	Promotion from the post of Chief Engineer or Marine Engineer in the scale of pay of Rs. 14500-18700 with 4 years regular service in the grade. Absorption through composite method will be of officers holding analogous posts or officers with 4 years regular service in post of Marine Engineers in the scale of pay of Rs. 14500-18700 in a Major Port Trust. For deputation officers holding analogous posts or officers holding analogous posts or officers holding analogous posts or officers holding post of Marine Engineers and its equivalents in Marine Engineering side in the scale of pay of Rs. 14500-18700 with 4 years regular service in the grade in Govt./PSUs/ Autonomous bodies will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the ACRs will not be below "very good".	(*) Applicable to cases where the post is considered as Dy.HOD viz. one level below the HOD.

[Part·II
SEC.
3 (i)

								COCHIN PORT TR	RUST			
SI. No.	Name of post	No. of posts		Scale of Pay. (Rs.)	Whether selection or non- selection	Age	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.	11	12	13
8	Marine Engineering Superintendent.	I	Class –	17500- 22300	Selection		 (i) MOT I Class Motor Certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958. (ii) Five years experience as Chief Engineer on board a Foreign going Ship. 	a). No b). Yes c). No	NA	recruitment.	For absorption through composite method, officers holding analogous post or holding the post of Chief Engineer Marine (Vessel)/Sr. Marine Engineer in a Major Port Trust in the scale of pay of Rs.16000-20800 with 1 year regular service in the grade will be eligible. For deputation Officers holding analogous post or officers holding post of Sr. Marine Engineer/Chief Engineer Marine (Vessel) and its equivalent post in Marine Engineering side in the scale of pay of Rs.16000-20800 with 1 year regular service in the grade in Govt./PSUs/Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	

Name of post No. Class No. Class Pay. (R.s.) Class Pay. (R.s.) Class Pay. (R.s.) Class Pay. (R.s.) Class Pay. (R.s.) Class Pay. (R.s.) Class Pay. (R.s.) Class Pay. (R.s.) Class Pay. (R.s.) Class Pay. (R.s.) Class Pay. (R.s.) Pay									<u>COCHIN PORT TR</u>			(les-tion)	Remarks
1 Class I 17500- 400-22300 Selection of Competency as Master of Competency as		Name of post	of	Classi- fication.	Scale of Pay. (Rs.)	selection or non-	Age limit for direct recruit- ment	Qualifications prescribed for	(a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti	of proba- tion, (in	recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/	deputation, grades from which it	Remarks
1 Class I 17500- 400-22300 Selection (Tanker Terminals) 1 Class I 17500- 400-22300 Selection (Tanker Terminals) 2 Dock Master (Tanker Terminals) 2 Class I 17500- 400-22300 Selection (Tanker Terminals) 3 No 10 No							,			10	11	12	13
Dock Master (Tanker Terminals) Dock Master (Tanker Terminals)			1 7	Δ	5	6	7		L	<u> </u>		For promotion, Pilots with 5	
Manager (Marine Pollution Control) Class I 17500- 400-22300 Mashing process (COW) Washing pr		Dock Master (Tanker	+		17500-	Selection	45	competency as. Master of foreign going ship issued by the Ministry of shipping, Govt. of India or an equivalent qualification recognised by the Ministry of Shipping, Govt. of India. ii) Must hold Pilot license and have 5 years experience either as Master of Foreign going	b): Yes c): No	(for direct recruits	failing which by absorption / deputation / failing both by	years regular service in the grade are eligible. For absorption / deputation, Officers holding analogous posts of Pilots in the scale of pay 14500 - 18700 with 5 years regular service in the grade in a	
	10	(Marine Pollution		Class			n 45	iii) Experience in handlin large tankers and Crude O Washing process (COW) i) Must hold a certificate of competency as Master of foreign going ship issued by the Ministry of shipping, Govo of India or an equivaled qualification recognised by the Ministry of Shipping, Govo. India. ii) Must hold Pilot license as have 5 years experience eith	of a): No of b): Yes oy c): No ot. of	(for direct	failing which by absorption / deputation / failing both by	years regular service in the grade are eligible For absorption / deputation Officers holding analogou posts of Pilots in the scale of pay 14500 - 18700 with 5 years are grader service in the grade in	e a. a. ss of rs

SI. No.	Name of post	No. of posts	Classification	Scale of n. Pay. (Rs.)	Whether selection or non- selection	Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	deputation, grades from which it	Remarks
1	2	3	4	5	6	1 7		on/deputation		L	j	
11	Dredger	4	Class I		Selection		8	9	10	11	12	13
	Commander			350 – 18700 for Master FG holders. 13000– 18250 for others.		45	Certificate of Competency as Master Foreign Going holder with Experience as Chief Officer for at least 6 months Or Certificate of Competency as Dredger Master Gr.I with 2 years experience on Dredgers. Or Certificate of Competency as Master NCV with 2 years experience on Dredgers Or Officers who held the post of Lt. Commander/Commander in the executive branch of the Indian Navy with at least 7 years sea service	Qln : Yes Exp : Yes	2	Promotion failing which by absorption / deputation / failing both by direct recruitment	Promotion from the grade of Master Tugs with Master (NCV) with 3 years experience or Chief Officer or Mate (FG) with experience of five years.	13
12	Dredging Master (Mobile Dredger)			250- 15100 for 1st class Inland Masters	Selection		Master (NCV) certificate or 1st Class Inland Masters Certificate issued by the MMD (a) with S.S.L.C (b) three years experience in Dredging /Tugs	Age: No. Qin: Relaxable to 1st class Inland certificate holders with experience as at col. 8		by absorption /	Transfer from Master Tugs promotion from IInd Masters/Navigation Masters (Ist Cl.) / Junior Master of Tugs	
3	Master Tugs	3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10750-300-16750 For those with Master NCV) Certificate 1100-50-5100 for hose with holand ertificate	Selection	[1	Certificate of Competency as Master (NCV) or that of Mate of a Foreign going ship	Age: No Qln: Yes Exp: No	t c	failing which a	Promotion from Junior Master of Tugs with 7 years experience on Tugs of 1000 BHP or above.	

· ·

l. Io.	, talled of pos-	No. of posts	Classi- fication.		selection or non- selection	Age	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	13
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Promotion	Promotion from Fire Officer /	Knowledge
14	Chief Fire Cum- Asst. safety pollution control officer	1	Class I	9100- 250- 15100	Selection	35	(i) B.Sc. With Chemistry as one of the subjects. (ii) Training in Divisional Officer's course at the National fire service college, Nagpur/ B.E. (Fire Engg.). (iii) 5 years experience in Industrial fire service no below the rank of station Officer. (iv) Vision normal in both eye Colour vision is essential answearing of glasses is no permissible except to employe of age over 40. (v) Must possess valid drivin license for heavy motor vehicl Desirable Knowledge of local language.	Qin: Yes Exp: No	2	failing which by absorption / deputation / failing both by direct recruitment	Safety Inspector with 5 years regular service in that post. Promotion from Senior Marine	of local language preferable
15	Surveyor / Hydro- graphic Surveyor	1	Class	9100- 250- 15100		35	Diploma in Civil Engineering with 5 years experience in Marine Survey	Age: No Qln: Yes Exp: Yes	2	Promotion failing which by absorption deputation failing both by direct recruitmen	Surveyor	

SI. No.	Name of post	No. of posts	fication.		Whether selection or non- selection	Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Chief Engineer	5	Class I	14500- 350-18700			Ist Class MOT Certificate of Competency	Age: No Qln: Yes Exp: As in Col.12	2	Promotion failing which by absorption / deputation / failing both by direct recruitment	Promotion from Marine Engineer with 3 yrs. Regular service in the grade.	
	Asst. Exe. Engineer (Ele.) Marine	1	Class I	9100-250- 15100	Selection	35	Degree in Ele. Engg. Or equivalent with 3 yrs. experience on Floating Crafts or experience as Chief Ele. Artificer (Power) of Indian Navy.	a) No. b) Relaxation to Diploma Holders c) As in Col.12.	2	Promotion failing which by absorption / deputation / failing both by direct recruitment	Promotion from Jr. Engineer Gr.I (Ele.) with 6 yrs. Experience in the grade in Floating Crafts.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
l	Assistant Traffic Manager Grade I	5	Class	I 9100- 250- 15100	Selection	on 30	(i) A Degree from a b)		Two	Aug. 2012. Mar the secret with grad from Promotion – 66 2/3 %. Dep After 21st Aug. 2012 Mar the secret with grad from promotion – 66 2/3 %.	notion from Asst. Traffic lager Grade II /Wharf Supdt. in scale of pay of Rs. 8600-14600 of three years regular service in the le OR of Class-III employees in the scale lay of Rs.6170-11975 in the ective discipline of Traffic lat., with five years regular service e grade where there are no Classists in the pay scale of Rs.8600-00 in that discipline.	i) Existing post of Asst. Traffic Manager redesignate d as Asst. Traffic Manager Grade I.

SI. No.	Name of post	No. of posts		Pay. (Rs.)	selection or non- selection	Age	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of probation, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made.	Remarks	[4 [4] []—@oS 3(1)]
1 2	Senior Assistant Traffic Manager	3 4	4 Class I	5 10750- 300-16750		7 35	Essential: (i) A Degree from a recognized University. (ii) Five years experience in Shipping / Cargo Operations / Railway Transportation in executive cadre in an Industrial/ Commercial/ Govt. undertaking.	a) No. b) Yes. c) No	Two	By Promotion failing which absorption/Deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Asst.Traffic Manager Grade I in the pay scale of Rs. 9100-15100 with five years regular service in the grade failing which Asst. Traffic Manager Gr. I in the scale of pay of Rs.9100-15100 with two years regular service in the grade and combined regular service of eight years in the scales of pay Rs. 9100-15100 & Rs. 8600-14600 in the respective discipline of the Traffic Department. Absorption/deputation will be of officers holding analogous posts or post of Asst. Traffic Manager Gr. I in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with five years regular service in the grade in a Major Port Trust.	<u> </u>	
1		3	4	5	6 Selection	7	8 Essential:	9 a No.	10 Two	By promotion failing	Promotion from Senior Asst. Traff Manager in the scale of pay of Rs.	Existing	
3.	Deputy Traffic Manager	2	Class I	13000- 350-1825	1 '	***	(i) A Degree from a recognize University. (ii) Nine years experience in Shipping / Cargo Operations / Railway Transportation in executive cadre in an Industrial/ Commercial/ Govt Undertaking.	d b Yes c No.		which by absorption/deputation , failing both by direct recruitment.		from Addl. Traffic Manager redesign ed as Deputy Traffic manager be of or post e scale our	at

No.	No. of posts	Classi- fication.	Scale of Pay. (Rs.)	Whether selection or non- selection	Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
Senior Deputy		Class I		ļ	42	8	9	10	11	12	13
4 Traffic Manager			400-20800	Scientifi		Essential: (i) A Degree from a recognized university. (ii) Twelve years experience in Shipping / Cargo Operations / Railway Transportation in executive cadre in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.	a). No b). Yes c). No	Ì		For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or post of Dy. Traffic Manager and equivalent posts in the respective discipline in Traffic Dept in the scale of pay of Rs. 13000-18250 with three years regular service in the grade in a MPT OR Dy. Traffic Manager and equivalent posts in the respective discipline of Traffic dept. with two years regular service in the grade AND a combined regular service of seven years in the pay scales of Rs. 13000-18250 and Rs. 10750-16750 in the respective discipline of the Traffic Dept. in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or holding post of Dy. Traffic Manager and equivalent posts in respective discipline of Traffic dept. in the pay scale of Rs. 13000-18250 in Govt / Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies with three years regular service in the grade will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	

SI. No.			Classi- fication.	Pay. (Rs.)	selection or non- selection	Age	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	For absorption through composite	
5	Traffic Manager (Category II Ports)	1	Class I HOD	18500- 450-23900	Selection	45	Essential: (i) A Degree from a recognized university. (ii) 15 years experience in Shipping / Cargo Operations / Railway Transportation in executive cadre in an Industrial/ Commercial/ Govt. undertaking.	a). No b). Yes c). No	NA	By absorption through composite method failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	rethod, Officers holding analogous posts or Officers holding posts in the scale of pay of Rs. 17500-22300 with 2 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 16000-20800 with 3 years regular service in the grade in the Traffic Dept. of a Major Port Trust will be eligible. For Deputation, Officers holding analogous posts or officers holding posts of Senior Dy. Traffic Manager and equivalent posts in the Traffic Dept in the scale of pay of Rs. 16000-20800 and above with three years regular service in the grade in Govt./Semi Govt./PSUs or Autonomous bodies will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	

SI. No.	Name of post	No. of posts	Classi- fication.	Scale of Pay. (Rs.)	Whether selection or non- selection	Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Rem arks
6	Welfare Officer	1	Class I	9100-	Selection	30	Essential:	(a) No.	Two	11 Up to 21st	12	13
				250- 15100			(iv) A Degree from a recognized university. (v) Degree/Diploma in Social Science from a recognized University/Institution (vi) Knowledge of Local Language. Desirable: Two years experience as a Labour Welfare Officer/ Industrial Relations Officer in an Industrial/ Commercial/ Govt. undertaking.	(b) Yes (c) No		Aug. 2012. By Direct Recruitment-33 1/3 %. By Promotion – 66 2/3 %. After 21 st Aug. 2012	Promotion from Asst. Welfare Officer/ Sports Officer in the scale of pay of Rs. 8600-14600 with 3 years regular service in the grade OR from Class-III employees in the scale of pay of Rs.6100-11975 in the respective discipline of Pers. & I.R.Division with five years regular service in the grade where there are no Class-II posts in the pay scale of Rs.8600-14600 in that discipline.	

MECHANICAL ENGG DEPT

SI. No.					selection or non- selection	Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorp tion/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	promotion/absorptio n/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13
1	Assistant Executive Engineer (Mechanical/Electric al/Electronics and Communication)	9	Class –I	9100- 250- 15100	Selection	30	Essential: Degree or equivalent in Mechanical/Electrical/Electronics and Communication Engineering from a recognised university/ Institution. Desirable: Two years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial/ Commercial/ Govt. undertaking	(a) No. (b) No. However a Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised university/ institution is essential (c) No.	2	Up to 21st Aug., 2012. By Direct Recruitment- 33 1/3 %. By Promotion – 66 2/3 %. After 21st Aug. 2012 By Direct Recruitment- 66 2/3% By Promotion – 33 1/3%	Promotion from Asst. Engineer in the scale of pay of Rs.8600-14600 with three years regular service in the grade or from Class III Employees in the scale of Pay of Rs.6170-11975 in the respective discipline of Mechanical and Electrical Engineering Department with five years regular service in the grade where there are no Class II posts in the scale of Rs.8600- 14600 in that discipline.	(i) One post has been allotted to Safety Officer with separate Recruitment Rule. (ii) One post has been allotted to Welfare Officer with separate Recruitment Rule (iii) Mechl - 5 posts Electrical - 3 posts Electronics & Communication - 1 post

Name of post	No. of posts	Classi- fication.	Scale of Pay. (Rs.)	Whether selection or non- selection	Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of probation, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
Executive Engineer (Mechanical/Elect rical/Electronics and Communication)	7	Class -I	10750- 300- 16750	Selection		ics and Communication Engineering from a recognised university/ Institution. (ii) Five years experience in relevant discipline in executive	(a) No. (b) No. however a Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised university/ institution is essential (c) No.	2		Promotion from Asst. Exe. Engineer / Safety Officer in the scale of pay of Rs.9100-15100 with 5 years regular service in the grade, failing which from Assistant Executive Engineer in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of eight years in the scale of pay of Rs.9100-15100 with two years regular service in the grade and a combined regular service of eight years in the scale of pay of Rs.9100-15100 and Rs.8600-14600 in the respective discipline of M&E Engg. Deptt. Or Diploma Engrs in the scale of pay of Rs. 8600-14600 with eight years of regular service in the grade where the pay scale of Rs.9100-15100 does not exist in that discipline. Absorption/ deputation will be	Mechl - 4 posts Electrical/Electronics & Communication - 3 posts

S1. 1 No.				Scale of Pay. (Rs.)	selection or non- selection	Age	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption /deputation	Period of probation, (in yrs.)	Method of recruitment (whether direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (a) No.	10	By promotion	Promotion from Marine	i) Mechl -4
	Superintending Engineer (Mechanical/Electric al/Electronics and Communication)	5	Class -I	13000- 350- 18250	Selection	40	Essential: (i) Degree or equivalent in Mechanical/Electrical/Electronics and Communication Engineering from a recognised University/Institution. (ii) Nine years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial/ Commercial/Govt. undertaking	(b) No. However a Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised university/ institution is essential		failing which by absorption/ deputation, failing both by direct recruitment	Engineer with MOT 1st Class /Executive Engineer in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years regular service in the grade, failing which Executive Engineer in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of nine years in the scale of pay of Rs.10750-16750 and Rs.9100-15100 in the respective discipline in the M&E Engg. Deptt. Absorption/ deputation will be of Officers holding analogous posts or feeder post with 4 years regular service in the grade in a Major Port Trust.	posts Electrical/Electronics & Communication - I post ii) The existing posts of Mechl. Supdt./ Asst. Mechl. Supdt. In the scale of Rs.13000-350-18250 is redesignated as Supdtg. Engineer (Mechanical).

SI. No.	Name of post	No. of posts	Classi- fication.	Scale of Pay. (Rs.)	Whether selection or non- selection	Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/abso rption/deputati	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	grades from which it should be made	Remarks
i	2	3	4	5	6	7	8	on 9	10			
4	Deputy Chief Mechanical Engineer	2	Class -I	16000- 400- 20800	Selection		Essential: (i) Degree or equivalent in Mechanical/Electrical/ Electronics/ Electronics & Communication Engineering from a recognised University/ Institution. (ii) Twelve years experience in relevant discipline in executive eadre in an Industrial/ Commercial/ Govt. Indertaking.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	N.A.	failing both, by direct recruitment		13 Mechl - I post Electrical/ Electro- nics & Communi -cation - I post

SI. Name o	c			Pay. (Rs.)	selection or non- selection	Age	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/abso rption/deputati on	Period of proba- tion, (in yrs.)	recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of intillicitors and or deferences	Rem arks
S Chief Enginee (Cate	Mechanical gory-II Ports)	3	4 Class -I	5 18500- 450- 23900	6 Selection	7 45	Essential: (i) Degree or equivalent in Mechanical / Electrical/ Electronics & Communication Engineering/ Naval Architecture from a recognised University/ Institution. OR MOT 1st Class Motor Certificate issued under Merchant Shipping Act 1958. (ii) Fifteen years experience in managerial capacity dealing with Mechanical/ Electrical/ Marine/ Electronics Engineering works, out of which 8 years experience shall be in workshops undertaking maintenance of cargo handling equipments/ Electrical Installations/ Ship Repairs in any Major Port Trusts/ Industrial/ Commercial / Govt Undertaking		NA NA	By absorption through composite method failing which by deputation failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, officers holding analogous posts or officers holding posts in the scale of pay of Rs.17500-22300 with two years regular service in the grade or officers holing the posts in the scale of pay of Rs.16000-20800 with three years regular service in the grade in the M&E Engg. Dept and Marine Dept (applicable to categories of Marine Engineers only) in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analgous posts or officers holding post of Dy. Chief Mechanical Engineer and equivalent posts in the Mech & Elect. Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs. 16000-20800 and above with 3 years regular service in the grade in Govt/ PSUs/ Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "very good".	

SI. No.	Name of post	posts		Pay. (Rs.)	Whether selection or non- selection	Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/abso rption/deputati on	Period of probation, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	grades from which it should be made	Rem arks
6	Assistant Materials Manager Gr I	3	Class -I	5 9100- 250- 15100	Selection		Essential: (i) Degree or equivalent in Mechanical/Electrical Engineering from a recognised University/ Institution. Desirable: (i) Post Graduate Degree/Diploma in Materials management from a recognized University/Institution. (ii) Two years post qualification experience in Materials Management in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No. (b) No. However a Diploma in relevant discipline from a recognised university/ institution is essential (c) No.		Up to 21st Aug2012. By Direct Recruitment- 33 I/3 %. By Promotion — 66 2/3 %. After 21st Aug. 2012 By Direct Recruitment- 66 2/3% By Promotion — 33 I/3%	Promotion from Asst. Materials Manager Grade II/ Asst. Controller of Stores/ Asst. Engineer(Mechl.) in the scale of pay of Rs.8600-14600 with three years regular service in the grade or from class III employees in the scale of pay of Rs.6170-11975 in the respective discipline of MM Divn. With 5 years regular service in the grade where there are no Class II posts in the pay scale of Rs.8600-14600 in that discipline.	13

भारत का राजपत्र : असाधारण

Sl. 1 No.	value of post	No. of posts		Pay. (Rs.)	selection or non- selection	Age limit	Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/ absorption/ deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
7	2 Deputy Materials Manager.	3	Class -I	5 10750- 300- 16750	6 Selection	7 35	Essential: (i) Degree or equivalent in Mechanical/Electrical Engineering from a recognised University/Institution. (ii) Five years experience in executive cadre in the field of Materials Management/Mechanical Engg./Electrical Engg in an industrial/Commercial/Govt. undertaking. Desirable: Post Graduate Degree/Diploma in Materials Management from a recognized University/Institution	(a) No. (b) No. however a Diploma in relevant discipline from a recognised university/ institution is essential (c) No.	2	By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Asst. Materials Manager Gr I in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years regular service in the grade, failing which from Assistant Executive Engineer (Mech/Electrical) in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with 5 years regular service in the grade failing both Asst. Materials Manager Grade I/Asst. Executive Engr. (Mech/Electrical) in the scale of pay of Rs. 9100-15100 with two years regular service in the grade and a combined regular service of 8 years in the scales of pay of Rs. 9100-15100 and Rs. 8600-14600 in the respective discipline of MM Divn/M&E Engg. Dept OR Diploma Engrs in the scale of pay of Rs. 8600-14600 with 8 years regular service in the grade where the pay scale of Rs. 9100-15100 does not exist in that discipline. Absorption/ deputation will be of Officers holding analogous posts or feeder posts with 5 years regular service in the grade in a Major Port Trust.	The existing post of Controller of Stores/ Planning Officer is redesignated as Dy. Materials Manager.

Name of post	No. of posts	Classi- fication.		selection or non- selection	limit for direct recruit- ment (in yrs)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/ absorption/ deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
8 Senior Dy. Materials Manager		4 Class -I	5 13000- 350- 18250	Selection		Essential: (i) Degree or equivalent in Mechanical/Electrical Engineering from a recognised University/ Institution. (ii) Nine years experience in executive cadre in the field of Materials Management/Mechanical Engg./Electrical Engg in an Industrial/Commercial/ Govt. undertaking. Desirable: Post Graduate Degree/Diploma in Materials Management from a recognized University/Institution	a) No. (b) No. however a Diploma in the relevant discipline from a recognised university/ institution is essential (c) No.		by direct recruitment	Promotion from Dy. Materials Manager in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years regular service in the grade, failing which from Executive Engineer (Mech/Electrical) in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with 4 years regular service in the grade failing both Dy. Materials Manager / Executive Engr.(Mech/Electrical) with two years regular service in the grade and a combined regular service of 9 years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 and Rs. 9100-15100 in the respective discipline of MM Divn/M&E Engg. Dept will be eligible. Absorption/ deputation will be of Officers holding analogous posts or feeder posts with 5 years regular service in the grade in a Major Port Trust.	13

SI. No.	and or post	No. of posts	Classi- fication.		selection or non- selection	Age limit	prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/ absorption/ deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		-
9	Safety Officer		Class -I	9100- 250- 15100	Selection	30	Esset.tial: (i) Degree or equivalent in Mechanical /Electrical Engineering from a recognised university/ Institution. (ii) Diploma or higher qualification in Industrial Safety or equivalent recognised by the Central Government. (iii) Two years experience in relevant discipline in supervisory capacity in an industrial/ Commercial/ Govt. undertaking. (iv) Adequate knowledge of the language spoken by majority of the workers in the Port.	(a) No. (b) Yes. (c) Yes.	2	By promotion failing which by absorption/ deputation, failing both by direct recruitment	Promotion from Assistant Engineer(Mech)/(Elec) in the scale of pay of Rs. 8600- 14600 with 3 years regular service in the grade failing which from AE(M) with 2 years regular service in the grade and 3 years regular service in immediate lower grade.	

SI. Name of post	No. of posts	Classi-fication.	Scale of Pay. (Rs.)	or non- selection	limit for direct recruit- ment (ir yrs)		Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/ absorption/ deputation	Period of probation, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	grades from which it should be and	Remarks
10 Welfare Officer	 	Class I		Selection	I	Essential: (vii) A Degree from a recognized university. (viii) Degree/Diplo ma in Social Science from a recognized University/Instituti on (ix) Knowledge of Local Language. Desirable: Two years experience as a Labour Welfare Officer/Industrial Relations Officer in an Industrial/Commercial/ Govt. Indertaking.	g) No. h) Yes i) No	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Promotion – 66 2/3 %.	Promotion from Asst. Welfare Officer/ Sports Officer in the scale of pay of Rs. 8600-14600 with 3 years regular service in the grade OR from Class-III employees in the scale of pay of Rs.6100-11975 in the respective discipline of Pers. & I.R.Division with five years regular service in the grade where there are no Class-II posts in the pay scale of Rs.8600-14600 in that discipline.	13

CIVIL ENGG DEPT

							<u>(</u>	COCHIN	PORT TRUS	<u> </u>				CIVIL ENGG DEPT		
) .	Name of post	No. of posts	Classi- fication.	Scale of Pay. (Rs.)	Whether selection or non- selection	Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	prescribed for direct recruitme	cations ent.	Whether (a) Age (b) Educations qualifications (c) Experience for direct recr will apply in a case of promotion/ab tion/deputation	al	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recru (whether by dir recruitment or t promotion /abso deputation)	ect y	In case of promotion/absorptio n/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks	
			<u> </u>				8		9		10	11		12	13	
1.	Assistant Executive Engineer (Civil)	3 e 12	Class-I	5 9100-250 15100	6 Selection	30	Essential:- Degree or equival Civil Engg. from a recognised University/ Institution. Desirable:- Two years experimental ex	d erience in Planning/ intenance Marine Industrial/	a recognised University	r From	2	Up to 21st Aug By Direct Rect 33 1/3 %. By Promotion 66 2/3 %. After 21st Aug By Direct Rec 66 2/3% By Promotion 33 1/3%	ruitment- - . 2012 ruitment-	Rs.6170-11975 in the respective discipline of Civil Engg. Dept. with five years regular service in the grade where there are no Class II posts in the pay scale of Rs.8600-14600 in that discipline.	i de la companya de l	
							8		9	10		11		12		ᅱ
2	Executive Engineer (Civil)	8	4 Class-1	5 10750- 300-16750	Selection		(i) Degree or equivalent in civil Engg. from a recognised University/ Institution. (ii) Five years experience in executive cadre in Planning/ Construction/ Design/Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking	(b) No, Diplom Engg. F recogni	however a a in Civil from a sed sity / ion is al	2	By pr which depute both recrui	by direct	Enginee pay of I years re failing Enginee pay of years re and a confeight of Rs.9 14600 discipling Abs be of C posts	on from Asst. Exer (Civil)in the scale of Rs.9100-15100 with fivingular service in the grad which Asst. Exer (Civil) in the scale of Rs.9100-15100 with two scales of recombined regular service in the grad tyears in the scales of properties of Civil Engg. Dept. Corption/Deputation work of feeder posts we ence as mentioned about a port of trust.	of the let the	

SI. No.	Name of post	No. of posts			Whether selection or non- selection	Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption /deputation	Period of probation, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	which it should be made	Remarks
3	Superintending	3	4 Class -I	5 13000-	6 Selection	7 40	8	9	10	11	12	13
	Engineer (Civil)			350-18250			(i) Degree or equivalent in Civil Engg. from a recognised University/Institution. (ii) Nine years experience in executive cadre in Planning/ Construction/ Design/Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking	(a) No (b) No, however a Diploma in Civil Engg. from a recognised University /Institution is essential (c) No.			Engineer (Civil) in the scale of pay of Rs.10750-16750 with four years regular service in the grade failing which Exe. Engineer in the	Existing post of Dy. Chief Engineer in the pay scale of Rs. 13000- 18250 will be redesignated as Sundta Engineer

SI. No.		No. of posts		Pay. (Rs.)	selection or non- selection	Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/abso rption/deputati	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
								on	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	N.A	Ву	For absorption through composite method,	
4	Dy. Chief Engineer(Civil	2	Class-I	16000- 400-20800	Selection	42	(i) Degree or equivalent in Civil Engg. from a recognised University /Institution. (ii) Twelve years experience in executive cadre in Planning/ Construction/Design/ Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking		N.A	absorption through composite method failing which by deputation from other govt. organisations and failing both by direct recruitment	Officers holding analogous posts or post of Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of Civil Engg. Dept. in the scale of pay of Rs. 13000-18250 with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust or Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of Civil Engg. Deptt. with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 and Rs. 13000-18250 in	

<u>COCHIN</u>	PORT TRUST

SI. No.	Name of post	No. of posts		Scale of Pay. (Rs.)	Whether selection or non- selection	Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorp tion/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)		Remarks
5	Chief Engineer (Category-II Ports)	3	Class-I HOD	5 18500- 450-23900	5 Selection		(i) Degree or equivalent in Civil Engg. from a recognised University/ Institution. (ii) Fifteen years experience in executive cadre in Planning/ Construction/Design/ Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking	9 (a) No (b) Yes (c) No		recruitment	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or Officers holding posts in the scale of pay of Rs. 17500-22300 with 2 years regular service in the grade or Officers holding posts in the scale of pay of Rs. 16000-20800 with 3 years regular service in the grade in the Civil Engineering Dept. in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or Officers holding post of Dy. Chief Engineer and equivalent posts in the Civil Engg. Dept. in the scale of pay of Rs. 16000-20800 and above with 3 years regular service in the grade in Govt./PSUs/Autonomous bodies will	13
	by. Chief Vigilance officer	1	Class I 3	13000-50-18250	Selection	NA	N.A.	N.A.	2		be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the ACRs will not be below "very good". Promotion/deputation/ transfer: Officers holding analogous posts or officers holding posts in the pay scale of Rs. 10750-16750 with 4 years of regular service in the grade failing which officers of a combined regular service of 9 years in the scales of pay	mally be a period 3 years in any e, not to eed 5

Sl. No.	(tame or pass	No. of posts	Classi- fication.	Pay. (Rs.)	selection or non- selection	Age	unce recrammen	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	1	recruitment	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	
-		1	Ì					Oil/deplitation	10	11	12	13
	1	3	4	5	6	7	8	<u> </u>		D. demutation of	Officers who are eligible for	Deputation
			·	10500	Selection	NΔ	N.A.	NA	NA	OFFF All	appointment at the level of	tenure as per
2	Chief Vigilance Officer	1	Class I	18500- 450-23900	ľ	1				India/Central Services.	Deputy Secretary/Director in the Govt. of India.	guidelines issued by CVC/DOP&T.

COCHIN PORT TRUST

MEDICAL DEPT

SI. No.	Name of post	No. of posts		Scale of Pay. (Rs.)	Whether selection or non- selection	Age limit	Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption /deputation	Period of probation, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
	2	1 3	+ -4	5	6	7	8	9	10	By direct	Not applicable	Existing
1.	Medical Officer	6	Class I	9100- 250- 15100	Not applicable	35	Essential: - (i) MBBS Degree from a recognised university or for Medical Officer (Dental), BDS degree of a recognised university. (ii) One year experience in a hospital, after completion of internship of one year. Desirable: A post graduate medical degree from a recognised university.		2	recruitment		post of Asst. Medical Officer in the pay scale of Rs.9100- 15100 re- designated as Medical Officer

	VZETTE OI
	E OF I
ı	OF INDIA
	EXTR
	AOBDT
UNAKY	

SI. No.	Name of post	No. of posts	Classi- fication	Scale of Pay. (Rs.	Whether selection or non- selection	Upper Age limit for direct recruit- ment (in yrs)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of proba- tion, (in	Method o recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption deputation, grades from which should be made.	on/ Remarks
2 (a)	Senior. Medical Officer (General duty)	3	Class-I	Rs.10750- 300-16750	Selection	40	Essential: (i) MBBS degree from a recognised university or for Medical Officer (Dental), BDS degree of a recognised university. (ii) 5 years experience in a hospital after completion of internship of one year. Desirable: A post graduate medical degree from a recognised university.	9 (a) No (b) Yes (c) No	10 2	By promotion failing which by absorption/ deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Medical Officer in the scale of pay of Rs.9100-15100 with 5 years regular service in the grade. Absorption/ deputation will be of officers holding analogous posts or feeder post with 5 years experience in the grade in a Major Port Trust.	13
b) So O	enior Medical fficer (Specialist)	2	Class-I I	Rs.10750- 800-16750	NA Z	40	Essential:- (i). MBBS degree from a recognised university or for Senior Medical Officer (Dental), BDS degree of a recognised university. (ii). A post graduate medical degree in the specified speciality from a recognised university. (iii). Post qualification experience of 3 years in a hospital, in the relevant field of specialization.	Not applicable :	2	By direct recruitment		In the first instance, Medical Officers having post-graduate qualification in the relevant field will be considered for appointment, failing which, the post will be filled by open advertisement.

SI. No.	Name of post	No. of posts	Classi- fication.	Scale of Pay. (Rs.)	selection	Age	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of proba- tion, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
					 	7	8	9	10	11	12	13
1 3 (a)	Dy. Chief Medical Officer (General duty)	3	Class-I	5 Rs.13000- 350-18250	Selection	├	Essential:- (i) MBBS degree from a recognised university or for Dy. Chief Medical Officer (Dental), BDS degree of a recognised university. (ii) 9 years experience in a hospital, after completion of internship of one year. Desirable:- A post graduate medical degree from a recognised university.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment	Promotion from Senior Medical Officer (G.D) in the scale of pay of Rs.10750-16750 with 4 years regular service in the grade failing which Senior Medical Officer (G.D) with 2 years regular service in the scale of pay of Rs.10750-16750 and a combined regular service of 9 years in the scales of pay of Rs.9100-15100 and 10750-16750. Absorption/ deputation will be of officers holding analogous posts or feeder post with 4 years experience in the grade in a Major Port Trust.	
3 (b	Dy. Chief Medica Officer (Specialist)	al I	Class-	I Rs.13000 350-1825		42	Essential:- (i). MBBS degree from a recognised university. (ii). A post graduate medical degree in the specified speciality from a recognised university. (iii). Post qualification experience of 7 years in a reputed hospital, in the relevatield of specialization.	(a). No (b). Yes (c). No	2	By promotion failing which by absorption/ deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Senior Medical Officer (Specialist) in the scale of pay of Rs.10750-16750 with 4 years regular service in the grade failing which Senior Medical Officer (General duty) with post graduate qualification in the relevant field and 4 years regular service in the grade. Absorption/ deputation will be of officers holding analogous posts or holding the post of Senior Medical Officer (Specialist) in the scale of pay of Rs.10750-16750 with 4 years regular service in the grade in a Major Port Trust.	Dy. Chief Medical Officer (Specialist).

No.	ame of post	No. of posts	Classi- fication.	Scale of Pay. (Rs.)	Whether selection or non- selection	Age	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of probation, (in yrs.)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /absorption/ deputation)		Ren
	Sr. Dy. Chief fedical Officer	2	Class-I	Rs.16000- 400-20800	Selection	45	Essential:- (i). MBBS degree from a recognised university (ii). A post graduate Medical degree in the specified speciality from a recognized university. (iii). Post qualification experience of 10 years in a hospital, in the relevant field of specialization	(a). No (b). Yes (c). No	1	direct recruitment.	For absorption through composite method, officers holding analogous posts or holding the post of Dy. Chief Medical Officer (Specialist) and equivalent specialist posts in medical department in the scale of pay of Rs.13000-18250 with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust or Dy. Chief Medical Officer (Specialist) and equivalent specialist posts in medical department with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs.10750-16750 and Rs.13000-18250 in specialist cadre of medical department in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, officer holding analogous posts or holding posts of Dy. Chief Medical Officer (Specialist) and equivalent specialist posts in the scale of pay of Rs.13000-18250 in medical department in a Govt./ Semi- Govt./PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in over all grading in the ACRs will not be below "very good".	13

	भारत
١	3
	K PER I
	9

	No. Cof f		Pay. (Rs.)	selection or non- selection	Age	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.	Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorpti on/deputation	Period of probation, (in yrs.)	recruitment	deputation, grades from which it should be made.	Rem arks
1 2 5 Chief Medical Officer (Category-II ports	3	4 Class-I	5 Rs.18500- 450-23900	6 Selection	50	Essential:- (i). MBBS degree from a recognised university. (ii). A post graduate medical degree from a recognised university. (iii). Post qualification experience of 13 years in a hospital, in the relevant field of specialization.	9 (a). No (b). Yes (c). No	10 N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation and failing both by direct recruitment	For absorption through composite method, officers holding analogous posts or holding posts in the scale of pay of *Rs.17500-22300 with 2 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.16000-20800 with 3 years regular service in the grade in the medical department in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, officers holding analogous posts or officers holding posts of Sr. Dy. Chief Medical Officer and equivalent specialist posts in the scale of pay of Rs.16000-20800 and above in medical department with 3 years regular service in the grade in Govt./ Semi-Govt./ PSUs or autonomous bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in over all grading in the ACRs will not be below "very good"	

FOOT NOTE:-

The Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1964, GSR N0.314 dt.24.02.1964, were published in the Gazette vide GSR No.314 dt.24.02.1964 and subsequently amended vide:-

- 1. MOST's Notification No.P/510/70 dt.15.01.1971.
- 2. MOST's Notification No.Bd-127/67 dt.23.10.1973.
- 3. MOST's Notification No.P/52/72 dt.23.10.1973.
- 4. MOST's Notification No.P/OM/189/72 dt.27.06.1974
- 5. MOST's Notification No.P/216/74 dt.01.02.1975
- 6. MOST's Notification No.PEX/56/77 dt.19.09.1977.
- 7. GSR No.1343 dt.08.10.1977
- 8. MOST's Notification No.PEX(45)/78 dt.13.09.1978.
- 9. GSR No.1169 dt.23.09.1978.
- 10. GSR No.929(E) dt.02.07.1986
- 11. MOST's Notification No.PW/PER-24/85 dt.02.07.1986.
- 12. GSR No.799(E) dt.31.08.1989
- 13. MOST's Notification No.PR-19024/1/86-PE(Volume-III) dt.31.08.1989 (GSR
- 14. GSR No.397(E) dt.02.04.1992.
- 15. GSR No.7167(E) dt.05.08.1992.
- 16. GSR No.347(E) dt.30.03.1993.
- 17. GSR No.347(E) dt.30.03.1993.
- 18. GSR No.58(E) dt.03.03.1994.
- 19. GSR No.135(E) dt.15.03.1995.
- 20. GSR No.758(E) dt.17.11.1995.
- 21. GSR No.80(E) dt.08.02.1996.
- 22. GSR No.157(E) dt.29.03.1996.
- 23. GSR No.36(E) dt.27.01.1997.
- 24. GSR No.349(E) dt.17.06.1998.
- 25. GSR No.640(E) dt.23.10.1998.
- 26. GSR No.122(E) dt.18.02.1999.
- 27. GSR No.689(E) dt.08.10.1999.
- 28. GSR No.757(E) dt.05.11.1999.
- 29. GSR No.5(E) dt.31.12.1999.
- 30. GSR No.229(E) dt.07.03.2000.
- 31. GSR No.254(E) dt.22.03.2000.
- 32. GSR No.652(E) dt.07.08.2000.
- 33. GSR No.180(E) dt.08.03.2002.

The Cochin Port Trust (Recruitments of Heads of Departments) Regulations, 1991were published in the Extraordinary Gazette of India vide GSR No.200(E) dt.03.04.1991 and subsequently amended vide :-

- 1. GSR No.645 (E) dt.19.09.1995
- 2. GSR No.290 (E) dt.18.04.2002
- 3. GSR No.876 (E) dt.07.11.2003